खण्ड-223, अंक-8
सोमवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1883
(1 मई, 1961 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

सोमवार, १ मई, १९६१

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य--३३६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादवर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री

चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पानीवाल, श्री
नंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखन्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारा देवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु कपूर, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
वसंत लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचन राम, गुप्त, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रज भूषण शरण, श्री

ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भीखा लाल, श्री
भीम सेन, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूप किशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डे, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी )
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर )
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्ति नाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूल चन्द, श्री
मोती लाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री (गाजीपुर )
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरन तेज बहादुर सिंह, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह, श्री ( एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रण बहादुर सिंह, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
राघव राम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर राव, श्री
राज देव उपाध्याय,श्री
राज नारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार वैद्य, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम कृष्ण सारस्वत, श्री
राम चन्द्र उनियाल, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
राम दीन, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नाथ पाठक, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम बली, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
राम लक्षण तिवारी, श्री
राम लखन, श्री (वाराणसी)
राम लखन मिश्र, श्री
राम लखन सिंह, श्री (जौनपुर )
राम लाल, श्री
राम शरण यादव, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री

राम सिंह चौहान बंधा, श्री
राम सूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लाल बहादुर, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोक नाथ सिंह, श्री
बजरंग बिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वर्मा नक्कर्वा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुजन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भु दयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिव प्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव मूर्ति, श्री
शिव राज बली सिंह, श्री
शिव राज बहादुर, श्री
शिव राम, श्री
शिव राम पाण्डेय, श्री
शिवचचनराव, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव शरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्रद्धा देवी शास्त्री, कुमारी
श्री कृष्ण गोयल, श्री,
श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्री नाथ, श्री (आजमगढ़)
श्री नाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्री निवास, श्री
श्री पाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुकरानी देवी, श्रीमती
सुख राम दास, श्री
सुख लाल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूरय बहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुलतान आलम खां, श्री
सूरत चन्द्र रमोला, श्री
सूर्य बली पान्डेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हर दयाल सिंह, श्री
हर दयाल सिंह पिपल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरि दत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेम वती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—अन्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

# प्रश्नोत्तर

## सोमवार, १ मई, १९६१

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा को सड़कों व पुलों के लिये विशेष अनुदान

**१—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फरवरी, मार्च, १९६१ में जिला अल्मोड़ा की (१) स्वाल, (२) कोसी, (३) जैंगण, (४) पनार तथा (५) विषौदगाड़ नदियों पर पुल बनाये जाने के लिये जिला अन्तरिम परिषद्, अल्मोड़ा को कोई राजकीय अनुदान दिया गया है? अगर हां, तो वे पुल किन स्थानों पर कितने-कितने अनुदान से बनेंगे तथा जिलाधीश, अल्मोड़ा अथवा अध्यक्ष, A. Z. P. से इस संबंध में क्या कोई संस्तुति अब तक इस विषय में आई है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव) प्रथम भाग—जी नहीं। बल्कि स्थिति यह है कि अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा को १० मार्च, १९६१ की राजाज्ञा द्वारा १,७५,००० रुपये का विशेष अनुदान इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया है कि यह अनुदान किन सड़कों तथा किन पुलों के निर्माण पर व्यय होगा इसका निर्णय करके बाद में परिषद् को सूचित किया जावेगा।

द्वितीय भाग—जिलाधीश, अल्मोड़ा की कुछ स्थानों पर किन्हीं नदियों पर पुल निर्माण के संबंध में संस्तुति आई है जो विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन नदियों पर ये पुल बनेंगे और वह स्थान कहां पर हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—जो विशेष अनुदान स्वीकार किया गया है उसमें स्पष्ट नहीं किया गया था, प्रश्न में, कि कहां पर पुल बनने हैं। सुझाव माननीय सदस्य देते हैं और कुछ अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों ने दिये हैं और जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट के साथ काफी लम्बा प्रस्ताव भेजा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा प्रश्न था कि कौन-सी नदियां हैं और कौन स्थान हैं, उसका जवाब कतई नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि बहुत से सुझाव जनता के हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जिलाधीश ने जो जगह और नदियां बतायी हैं वह कौन हैं? उन्होंने किस स्थान और किस-किस नदी के लिये ६ पुलों की सिफारिश की है?

श्री रामस्वरूप यादव—उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। इस वक्त पत्रावली मेरे पास नहीं है, वह दूसरी पत्रावली में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जो ग्रांट जिला अन्तरिम परिषद्, अल्मोड़ा को दी गयी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी गयी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थान पहले ही निश्चित हो चुके थे और उनके एस्टीमेट वगैरह भी बन चुके थे?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो विशेष अनुदान स्वीकार किया गया था और विशेष अनुदान की बात यह थी कि कौन-कौन से पुलों को बनाना चाहेंगे और किन-किन नदियों पर, वह लिख कर भेजें, और शासन निर्णय लेगा।

**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---माननीय गोविन्द सिंह जी अपने इन प्रश्नों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के जिन पुलों अथवा सड़कों की बाबत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं उनके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए क्या मंत्री जी उनके सुझावों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---मैंने तो यह निवेदन किया ही था कि माननीय विष्ट जी ने सुझाव दिये हैं, उनके बारे में कुछ जिला अन्तरिम परिषद् ने लिखा है, दोनों के बारे में सामूहिक रूप से विचार करके जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ।

**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि जिन पुलों का हवाला इस प्रश्न नम्बर १ में दिया हुआ है उनके लिये १ लाख ७५ हजार रुपया सैंक्शन किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस योजना को बदल दिया है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह तो स्पष्ट हो कर दिया कि किसी विशेष पुल के लिये नहीं, बल्कि सुझावों पर विचार करने के बाद तय होगा। उससे पैदा नहीं होता।

**श्री प्रतापसिंह**---मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक लाख ७५ हजार रुपया मंजूर हुआ था या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष**---एक लाख ७५ हजार का अनुदान स्वीकार किया गया, यह तो उन्होंने कहा ही है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---श्रीमन्, माननीय विष्ट जी ने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा है, कि क्या कोई संस्तुति अब तक इस विषय में आई है, जिसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि आई है, जिसका अर्थ है कि मंत्री जी के पास सूचना मौजूद है लेकिन वह नाम नहीं बतला रहे हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधीश ने जिन पुलों की संस्तुति की है उनको बतलाने के लिये नोटिस की क्यों आवश्यकता है ?

**श्री अध्यक्ष**---उन्होंने तो यह बताया कि वह पत्रावली उनके पास इस समय मौजूद नहीं है जिसमें जिलाधीश, विष्ट जी और अन्य लोगों की संस्तुतियां हैं, जिन पर एक साथ विचार होगा।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---मंत्री जी ने कहा कि जिलाधीश की संस्तुति आई है तो मैं जानना चाहता हूं कि किन नदियों पर किन पुलों की संस्तुति भेजी है ?

**श्री अध्यक्ष**---वह तो कहते हैं कि उनके पास पत्रावली नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---तो फिर इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**---जब फाइल नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है ?

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---श्रीमन्, प्रश्न में भी जिलाधीश की संस्तुति पूछी गई है लेकिन उसको टालने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये आप कृपया इस प्रश्न को किसी दूसरे दिन रखने की कृपा करें। मैंने तो जिलाधीश का नाम लेकर पूछा था।

**श्री अध्यक्ष**---यह तो आपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा है, तारांकित प्रश्न नहीं है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---श्रीमन्, सारा जवाब सेक्रेटेरियट में ही मौजूद है।

**श्री अध्यक्ष**---जितनी सूचना थी वह उन्होंने दे दी।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या माननीय मंत्री जी असेम्बली बन्द होने से पहले यह बता देंगे कि जिलाधीश ने किन नदियों पर किन स्थानों पर प्रायरिटी फिक्स करके पुलों का प्लान भेजा है ?

**श्री अध्यक्ष**--(श्री रामस्वरूप यादव से) आप दफ्तर से सूचना मंगाकर इनको दे दें।

**श्री रामस्वरूप यादव**--मुझे बतलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बतला दूंगा।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये अन्तरिम जिला परिषद् का जो प्रस्ताव है उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--कुछ कारणों से यह पत्रावली मुझे नहीं मिल सकी जिसमें कि वह सुझाव हैं, हालांकि मैंने उसको जल्दी में मंगाने की कोशिश भी की थी।

## नगरपालिकाओं के आम चुनाव का स्थगन

****२--श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिकाओं के जो आम चुनाव इस वर्ष में वाजिब due हैं वह अभी हाल ही में हरद्वार में मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार क्या अगले वर्ष में होंगे ? यदि हां, तो क्यों ?

**स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)**--नगरपालिकाओं के जो आम चुनाव इस वर्ष अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले थे उन्हें शासन ने एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिया है। इसका मुख्य कारण फरवरी-मार्च, १९६२ में होने वाले राज्य विधान सभा तथा लोक सभा के आम चुनावों के लिये समुचित प्रबन्ध करना है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यह चुनाव इसलिये स्थगित किये जा रहे हैं कि जहां भी चुनाव होते हैं नगरपालिकाओं में वहां जनसंघ जीतता है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जी नहीं। इस वजह से टाले जा रहे हैं कि उसी समय में आम चुनाव होने वाले हैं।

**श्री प्रतापसिंह**---मंत्री जी बतायेंगे कि इनके चुनाव कराने में और आम चुनाव की तैयारी में किस तरह से बाधा पड़ती है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--बाधा तो पड़ती है क्योंकि आम चुनाव की तैयारी कई महीनों पहले से करनी पड़ती है और उसी बीच में एक चुनाव और कर दिया जाय तो न तो प्रबन्ध हो सकता है और हर वक्त चुनाव के अलावा और कोई चीज दिखाई भी नहीं पड़ती है।

**श्री झारखंडेराय**---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फिर सरकार को क्या दिक्कत है कि ये नगरपालिकाओं के चुनाव हमेशा आम चुनाव के बाद ही हो जाया करें ? ऐसा नियम बना दें ताकि वह दिक्कत खत्म हो जाय।

**श्री रामस्वरूप यादव**--इस सुझाव पर तो विचार किया जा सकता है।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ये स्वायत्त शासन की प्रमुख इकाई है, इनका सीधा संबंध सरकार से नहीं है, अतः इनके चुनाव कराने के आदेश जारी करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष**--वे तो "नहीं" कह रहे हैं।

---

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने पूछा।

**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह फैसला लिया था कि अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव किये जायें तब सन् १९६२ के चुनाव माननीय मंत्री जी के सम्मुख नहीं थे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---ऐसा फैसला नहीं था कि अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव कराये जायेंगे । सन् १९५७ में नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ था, चार वर्ष की नगरपालिका की अवधि होती है, इस वजह से सन् १९६१ में चुनाव ड्यू थे । उसके बाद सरकार को अधिकार है कि दो वर्ष के लिये, एक-एक वर्ष के हिसाब से अगर वह आवश्यक समझती है तो उनका चुनाव बढ़ा सकती है । इसलिये अभी पहले वर्ष ही सरकार ने बढ़ाया है ।

**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री**---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि दोनों चुनाव डबल स्टाफ लगा कर करा दिये जायें जैसा कि अभी एक व्यापक चुनाव पंचायतों का हो चुका है ? उसमें क्या कठिनाई होगी जिससे कि सरकार को हिचक है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---श्रीमन्, दिक्कत तो है ही, इसी वजह से तो एक साल के लिये चुनाव बढ़ाये हैं । पंचायतों का चुनाव तो हो चुका ।

**श्री उदल** (जिला वाराणसी)---देश के और प्रदेशों में भी चार साल ही अवधि नगरपालिकाओं की है और इस वक्त आन्ध्र में सारी म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हो रहा है, क्या सरकार का ध्यान इस तरफ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी नवम्बर में चुनाव कराने में कोई कठिनाई नहीं है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---विचार और पुनः विचार में जल्दी नहीं होनी चाहिये विचार हो चुका है और अब पुनः विचार की आवश्यकता नहीं है ।

**श्री नौकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदा के लिये चुनाव बन्द कर देना ही उचित है, कोई ऐसी योजना है उनके विचार में ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---सरकार के सामने तो ऐसी कोई योजना नहीं है और न ही उसने इस बात पर कोई विचार किया है ।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

### ग्राम सभा, रसूलपुर के प्रधान का चुनाव अनियमित घोषित होना

*१---**श्री सुरेशप्रकाशसिंह** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पिछले आम चुनाव में जिला सीतापुर के विकास खंड पहला की ग्राम सभा, रसूलपुर के प्रधान का चुनाव अनियमित घोषित करके पुनः चुनाव कराया गया था ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---जी हां ।

*२---**श्री सुरेशप्रकाशसिंह** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनाव किन आधारों पर अनियमित घोषित किया गया था ?

**श्री कैलाशप्रकाश**—निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) ने मतपेटिका के अन्दर से निकले हुये मतपत्रों को संदिग्ध समझकर निर्वाचन परिणाम रोक लिया था और जिलाधीश के आदेशानुसार पुनः निर्वाचन कराया गया था।

*३—**श्री सुरेशप्रकाशसिंह** (अनुपस्थित)—क्या इस चुनाव के संबंध में सरकार के पास कोई शिकायत आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री कैलाशप्रकाश**—जी हां, इस संबंध में दो प्रार्थनापत्र जिलाधीश के नाम एक उम्मीदवार की ओर से प्राप्त हुये थे। वैधानिक रूप से उन प्रार्थना-पत्रों की जांच परगनाधीश, सिधौली ने विधिवत् की थी परन्तु पंचायत राज नियम १२-सी के अनुसार बिना चुनाव याचिका दायर हुये निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई और न चुनाव याचिका ही दायर हुई।

## कर्नलगंज नगरपालिका में मेहतरों की हड़ताल

*४—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित) **तथा श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका कर्नलगंज, जिला गोंडा में वहां के मेहतरों की हड़ताल १ अप्रैल, १९६१ से प्रारम्भ हो गई है ? यदि हां, तो हड़ताल का क्या कारण है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—नगरपालिका कर्नलगंज के मेहतरों ने नई दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (Revised dearness allowance) न मिलने के कारण हड़ताल दिनांक १ अप्रैल, १९६१ से की थी जो कि १० अप्रैल को समाप्त कर दी गई।

**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १० अप्रैल को जब हड़ताल समाप्त हुई तब क्या नगरपालिका, कर्नलगंज ने मेहतरों को रिवाइज्ड डीयरनेस एलाउन्स देना स्वीकार कर लिया था ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—सूचना तो यह है कि अभी उन्होंने नहीं दिया है लेकिन उनको देना चाहिये। सरकारी आदेश फिर दोबारा जारी कर दिया गया है।

**श्री देवनारायण भरतीय**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हड़ताल फिर किन परिस्थितियों में समाप्त हुई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—मालूम तो यही पड़ता है कि दोनों में गुडविल हो गई है, मेहतरों में और नगरपालिका के अधिकारियों में और मैंने तो उत्तर दिया कि अभी दिया नहीं गया है लेकिन देना तो है ही।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को जानकारी है कि किन कारणों के फलस्वरूप यह हड़ताल हुई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—नयी दर से ५।।) बढ़ा हुआ भत्ता उन्हें नहीं मिला।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—हड़तालियों की मांगें क्या थीं और सरकार ने उनमें से कोई मंजूर की है ?

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने कहा कि ५।।) भत्ते के लिये उन्होंने आज्ञा दे दी है।

**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या मंत्री जी नगरपालिका के रिवाइज्ड डियरनैस अलाउन्स मेहतरों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—जी हां।

## प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को समय से वेतन न मिलने की शिकायत

*५---श्री वीरसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में कृपा करके बतायेंगे कि गत एक वर्ष के भीतर किस जिले ने कितने अध्यापकों का वेतन ठीक समय से दे दिया ?

*६---जिस जिले में एक महीना से अधिक वेतन बकाया रहा है उसका कारण क्या है ?

*७---क्या सरकार बकाया रकम का सूद दिलाने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---तीनों प्रश्नों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक मंगा ली जायगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---श्रीमन्, थोड़ा समय तो लगेगा ही क्योंकि बहुत से अध्यापिकों के बारे में यह प्रश्न है।

**श्री रामायणराय**---श्रीमन्, मैंने भी ये प्रश्न देख हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो अन्तिम प्रश्न है जिसमें यह कहा गया है कि बकाया रकम का सूद दिलाने की कोई व्यवस्था सरकार करने की कृपा करेगी, तो इसमें सूचना मंगाने का कहां प्रश्न उठता है ?

**श्री अध्यक्ष**---वह तो तीनों एक ही साथ प्रश्न हैं।

**श्री रामायणराय**---श्रीमन्, पिछली बार मंत्री जी ने कबूल किया था कि शिकायत हमारे पास आती है, हम व्यवस्था करते हैं। तो इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है ?

**श्री अध्यक्ष**---अलग से सवाल होता तो दूसरी बात थी, लेकिन ये तीनों सवाल एक साथ हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

## कर्वी तहसील में कुंओं की मरम्मत

*१---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासन (इंजीनियरिंग) विभाग ने बांदा जिले की कर्वी तहसील के किन-किन ग्रामों में कूप निर्माण कराये हैं और उन पर कितना धन व्यय किया है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---अभी तक कोई नया कुंआं बनकर तैयार नहीं हुआ है लेकिन निम्नलिखित गांवों में तीन पुराने कुंओं को गहरा किया गया है और उनकी मरम्मत की गई है :---

| | |
|---|---|
| अतोह | १ कुआं |
| रानीपुर भट्ट | २ कुयें |

इस कार्य में लगभग ९,१०० रुपये व्यय किये गये हैं।

**श्री जगपतिसिंह**---क्या कुओं को खोदा नहीं गया और सिर्फ ऊपरी मरम्मत हुई है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---कुछ कठिनाई वहां कुएं बनाने में पड़ रही है।

श्री जगपतिसिंह—मेरी सूचना मानकर मंत्री जी हिदायत करेंगे कि हरिजन कुंएं जो अधखोदे हैं और जिनमें पानी है उन्हें खोदा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं माननीय सदस्य का मंशा समझ नहीं सका। अगर वह लिखकर दें तो अच्छा हो।

## गोंडा जिले में सहकारी भट्ठा

*२—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में इस समय कितने सहकारी भट्ठे हैं उनमें से कितने भट्ठे पिछले वर्ष घाटे में थे तथा कितने नफे में ? जो भट्ठे घाटे में हैं उनके घाटे में होने के क्या-क्या कारण हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—गोंडा जिला में इस समय एक सहकारी भट्ठा है। यह भट्ठा पिछले वर्ष (१९५९-६०) में भी चलाया गया था और इससे १,५६५ रुपया लाभ हुआ था।

## शाहजहांपुर जिले के सहकारी नलकूपों को चालू करने की प्रार्थना

*३—श्री देवनारायण भारतीय—प्रदेश में बेकार पड़े सहकारी नलकूपों के संबंध में दिनांक २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शाहजहांपुर जिले में जो १४ सहकारी नलकूप अब से प्रायः आठ वर्ष पहले बनाये गये उनको आज तक चलाये जाने के लिये कभी भी कोई प्रयत्न किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—ये नलकूप विभिन्न सहकारी सिंचन समितियों द्वारा सन् १९५४-५५ में और १९५५-५६ में बनाये गये थे। उसी समय इन नलकूपों को सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित किये जाने की बात चल पड़ी। संबंधित समितियों ने इस स्थानान्तरण की रजामन्दी भी दे दी और नलकूपों पर आगे पूंजी लगाना बन्द कर दिया। परन्तु इन नलकूपों के स्थानान्तरण में देरी होने के कारण कुछ नलकूपों के लिये यह प्रयत्न किया गया कि यदि संभव हो, तो उनको चालू किया जाय। इस प्रकार दो नलकूपों को चालू कर दिया गया है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे १४ ट्यूबवेल किन-किन ग्रामों में बनाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जालपुर, सहजना, हरनाई, याकूबपुर, हरिहरपुर, कुंडरिया, पंचौली, गुलरिया, मैंसी, चुरहकलां, सेहरामऊ, गोरा, लाडपुर, यारपुर।

श्री देवनारायण भारतीय—सिंचाई विभाग को स्थानांतरण में ८ वर्ष की देरी होने का कारण माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—सिंचाई विभाग देख रहा है कि कुंएं काम भी कर सकेंगे या नहीं। कुएं तो उन्होंने देख लिये हैं, लेकिन कीमत का भी प्रश्न है।

श्री देवनारायण भारतीय—जो २ नलकूप अभी तक चले हैं वे कौन-कौन से हैं और इंजिन से चलाये जा रहे हैं या बिजली से ?

श्री रामस्वरूप यादव—याकूबपुर के नलकूप के इंजिन की मरम्मत कराके और चुरहकलां का दूसरा है।

श्री देवनारायण भारतीय—शेष १२ नलकूपों का भाग्य निर्णय होने में कितना विलम्ब और लग जावेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बताना कठिन है। जल्दी की जायगी।

*४-६—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१० मई, १९६१ के लिये प्रश्न २-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## पिहानी नगरपालिका के कर्मचारियों की छटनी

*८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दो वर्ष पूर्व जिला हरदोई की पिहानी नगरपालिका की आर्थिक कठिनाई के कारण उसके कितने कर्मचारी कमिश्नर महोदय के आदेश से हटाये गये तथा कौन-कौन पद के कर्मचारी हटाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—कमिश्नर के सुझाव पर २३ कर्मचारी हटाये गये। इनका विवरण निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| क्लर्क .. .. .. .. | ३ |
| आवश्यक मोहर्रिर .. .. .. | २ |
| आवश्यक तथा कार्यालय के चपरासी .. .. | ४ |
| लैम्प लाइटर .. .. .. .. | १ |
| स्वीपर .. .. .. .. | १२ |
| स्कूल के चपरासी .. .. .. | १ |
| | २३ |

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १२ मेहतरों को हटाने के पूर्व नगरपालिका, पिहानी के मेहतरों की संख्या क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—२६।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—पब्लिक हेल्थ मैनुअल के मुताबिक प्रत्येक हजार पर कितने मेहतरों की संख्या होनी चाहिये और उसके आधार पर पिहानी में उनकी संख्या सही है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिहानी कस्बे की सफाई जैसी पहले होती थी वैसी नहीं है और जनता की शिकायत सरकार के पास आई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पिहानी तो पहले भी साफ-सुथरा शहर नहीं था। शिकायत के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कमिश्नर ने कुछ आर्थिक कठिनाई बताई जिससे इतने आदमी निकाल दिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी थी कि सरकारी अनुदानों को छोड़कर उनकी आय इतनी कम थी कि वे इतने रख नहीं सकते थे।

## गाजियाबाद नगरपालिका के सलेज फार्म की नीलामी के विरुद्ध शिकायत

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जिला मेरठ की गाजियाबाद नगरपालिका ने सलेज फार्म का जो नीलाम २३ सितम्बर, १९६० को किया था उसके संबंध में कोई लिखित शिकायत १६ जनवरी, १९६१ को दी गई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह ज्ञात है कि इसी संबंध में १९६० के सूट नं० ८३७ में स्टे आर्डर को वैकेट करते हुये मुंसिफ, गाजियाबाद ने अपने फैसले में लिखा है :—

"Under what circumstances defendant no. 1 got it, it may be best known to defendant no. 1 or the Municipal Board. But on the face of it the action of the Board in giving auction to defendant no. 1 does not appear to be above Board. I have no hesitation in making the remark that there was or may be collusion between Municipal Board and defendant no. 1." ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्रित की जा रही है।

## मवेशी मेलों में जानवरों पर बिक्री कर निर्धारण करने का सुझाव

*११—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेश में लगने वाले मवेशियों के मेलों में प्रति पशु लगाये जाने वाले कर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेरे खयाल से जो बीन सौ के करीब मेले व्यक्तिगत लोग लगवाते हैं और जो बेचने और खरीदने वाले लोगों से टैक्स वसूल करके अपने पास रख लेते हैं, क्या इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे कि उनके बारे में कोई नियम बना दिये जांय और हो सके तो उन मेलों को गांव सभाओं को दे दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—कानूनी स्थिति तो यह है कि जिस की भूमि पर मेला लगता है, वही अपना निर्धारित फीस बिक्री के समय लेते हैं। ग्राम सभाओं की जमीन में मेला लगेगा तो उनको अधिकार है और इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी अधिकार है। जो निजी लोग अपनी जमीन पर मेला लगवाते हैं उनको भी अधिकार है जैसा कि जमींदारी अबालिशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में दिया हुआ है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि जो व्यक्तिगत मेले लगवाते हैं वे बहुत ज्यादा टैक्स नाजायज तरीके से बेचने वाले और खरीदने वाले से वसूल कर लेते हैं, इसलिये सरकार प्रति पशु कोई टैक्स निर्धारित कर दे ताकि मेला लगवाने वाले उसी हिसाब से टैक्स वसूल कर सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकारो तो कानून के ही अन्तर्गत काम कर सकती है। जो कानून बना है उसी के अन्तर्गत आदेश दिये जा सकते हैं।

---

नोट—तारांकित प्रश्न ११ श्री ऊदल ने पूछा।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन व्यक्तिगत मेलों के बारे में सरकार की नीति समाजवादी नीति नहीं है, स्वतंत्र पार्टी की नीति है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---स्वतंत्र पार्टी की नीति तो अभी देखने को ही नहीं मिली है। बाकी सरकार की इस जगह समाजवादी नीति है। उसी के अन्तर्गत जो कुछ उसकी समझ में आता है, करती है। और कानून बनाती है।

**श्री झारखंडेराय**---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह जो व्यक्तिगत मेले लगते हैं, जिनके बारे में अभी सवाल किये गये, उनको क्या सरकार ने मुक्त कर दिया है कि खरीदने वाले और बेचने वालों से जितना चाहें वसूल किया करें, और उसका कहीं अन्त न हो ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---मैंने तो यही उत्तर दिया कि क़ानून बना हुआ है। क़ानून के अन्दर वह फीस वसूल करते हैं। उनकी आमदनी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। यही स्थिति है।

## मुंगरा-बादशाहपुर तथा जौनपुर चीनी मिलों में गन्ने की पेराई

*१२---**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी मिल मुंगरा-बादशाहपुर तथा जौनपुर द्वारा गत तीन वर्षों में क्रमशः कितना-कितना गन्ना पेरा गया और उससे कितनी-कितनी चीनी तैयार हुई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---सूचना निम्न प्रकार है:---

| वर्ष | गन्ना जो पेरा गया | चीनी जो तैयार हुई |
|---|---|---|
| १९५८-५९ | १,६५९ मन ३३ सेर ९ छ० | १०२ मन २७ सेर |
| १९५९-६० | १७, २७९ मन २० सेर | ९९२ मन ८ सेर ४ छ० |
| १९६०-६१ | १३, २०२ मन | ६८८ मन ३७ सेर १० छ० |

[१ मई १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## नोटिफाइड एरिया कमेटी, दोगड्डा के अध्यक्ष, श्री कृष्ण दयाल गुप्ता पर गबन का मुकदमा न चलाया जाना

*१---**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अध्यक्ष नोटिफाइड एरिया कमेटी, दोगड्डा, जिला गढ़वाल के विरुद्ध गबन का जो मुक़दमा चल रहा था उसे उठा लेने का क्या कारण है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---शासन के आदेशानुसार नोटीफाइड एरिया कमेटी, दोगड्डा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री कृष्ण दयाल गुप्ता के विरुद्ध सार्वजनिक धन का अपहरण करने के आरोप से संबंधित फौजदारी का मुकदमा चलाने से पूर्व मामले की जांच के लिये पुलिस के सुपुर्द किया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके तो ऐसा किया जावे।

बाद में श्री गुप्ता ने अपने कृत्य पर पश्चाताप प्रकट किया। इन्हें सदस्य के पद से पहले ही हटाया जा चुका था। अतः शासन ने यह आदेश दिनांक २४ नवम्बर, १९६० को दे दिये कि अब पुराने शासकीय आदेशों पर कोई कार्यवाही न की जावे।

---

नोट---तारांकित प्रश्न १ श्री रामायणराय ने पूछा।

**श्री रामायणराय**—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उक्त चेयरमैन महोदय के विरुद्ध जब एक बार मुक़दमा चलाया गया तो पुनः कौन-सा पश्चाताप उन्होंने किया जिस के कारण सरकार ने इस मुक़दमे को उठा लिया ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—मुक़दमा नहीं चलाया गया था। पुलिस से जांच करने को कहा गया था कि यदि उन्होंने जुर्म किया है तो मुकदमा चलाया जाय। उन्होंने पश्चाताप किया कि चेयरमैन की हैसियत से जो काम किया उसमें कछ त्रुटियां हुई हैं, उसके लिये क्षमा प्रार्थी हैं।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—यह गुप्ता साहब, क्या यह सही है, कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

**श्री रामायणराय**—मुक़दमा उठाने का आदेश किस तिथि को दिया गया ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—मैंने तो उत्तर में ही कहा कि यह आदेश २४ नवम्बर, १९६० को दे दिया गया कि पुराने शासकीय आदेशों पर कोई कार्यवाही न हो।

**श्री प्रतापसिंह**—क्या माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उन्होंने टैम्पोरेरी एम्बैजिलमेंट किया था ? यदि हां, तो क्या भूतपूर्व अध्यक्ष ने सरकार को कोई दरख्वास्त दी जिसकी वजह से उस दरख्वास्त पर उन्होंने यह माफीनामा लिखा ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—टेम्पोरेरी एम्बजिलमेंट की ही शिकायत थी और वह टेम्पोरेरी एम्बैजिलमेंट तो टैक्निकल हुआ करता है। इसके अलावा कुछ विधायक सज्जनों ने भी इस बारे में पत्र लिखे थे।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई नयी नीति ऐसी बनायी है कि माफी मांगने पर गबन का मामला माफ कर दिया जायगा ?

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने उसके लिये नहीं कहा है। वह कह रहे हैं कि टैम्पोरेरी ग़बन था, टैक्निकल बात थी। गबन का मामला हो, रुपया खा ही लिया हो, वैसी बात नहीं है। आप प्रश्न स्पष्ट करें।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि पहले यह सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो क्या वजह हुई जो माफी दे दी गई ?

**श्री अध्यक्ष**—वह तो बता ही दिया।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष के विरुद्ध कितने रुपये के ग़बन का मामला था जिसके लिये सरकार ने ज़रूरत नहीं समझी और कार्यवाही करने की और दूसरी चीज यह कि उन्होंने रुपया अदा करते हुये माफी भी मांगी या बिना अदायगी के ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—टैम्पोरेरी एम्बैजिलमेंट का सवाल ही यह हुआ करता है कि कोई अपने पास में उस धन को कुछ देर के लिये रख ले, जो उसका नहीं है। वह जमा तो कर ही दिया गया।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---उत्तर में बताया है कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी पत्र भेजा था, तो वह कौन सदस्य थे और क्या उन्होंने कोई सिफारिश ऐसी की थी कि इनको माफी दी जाय ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अध्यक्ष अब माफी मांग रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको माफ कर दिया जाय ।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह वही अध्यक्ष हैं जिन्होंने तीन बार एम्बेजिलमेंट किया था जिसमें दो बार उनको वार्निंग मिल चुकी थी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

**कुंवर श्योदानसिंह**---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से विधायक थे जिन्होंने यह सिफारिश की कि खुकदमा उठा लिया जाय ? उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---जी नहीं ।

## म्युनिसिपल बोर्ड के होम्योपैथिक डाक्टरों का वेतन निर्धारित न होना

*---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछली बार जब स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पे कमीशन की नियुक्ति हुई थी तो उस समय आदेश संख्या २८६५-पी-६-बी-२००० (१)-५३, दिनांक १६ जून, १९५३ के द्वारा सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड के होमियोपैथिक डाक्टर्स का वेतन-क्रम अस्थायी रूप से निर्धारित करते हुए यह कहा था कि वह वेतन-क्रम बाद में अस्थायी रूप से निश्चित किया जायगा ? तदनुसार सरकार ने स्थायी वेतन-क्रम अभी तक क्यों नहीं निर्धारित किये हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---जी हां । मामले पर शासन पुनः विचार कर रहा है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जावेगा ।

*---**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या म्युनिसिपल बोर्ड के अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर पुनर्विचार हो चुका है जैसे कि सेनीटरी इन्स्पेक्टर्स, ओवरसियर्स, कम्पाउन्डर्स तथा क्या ऐलोपैथिक डाक्टर्स के वेतन-क्रमों को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके वेतन-क्रमों में और होम्योपैथिक डाक्टर्स के वेतन-क्रमों में क्या अन्तर है और क्यों ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---जी हां । सैनीटरी इन्स्पेक्टर्स, ओवरसियर्स, कम्पाउन्डर्स और एलोपैथिक डाक्टर्स आदि के वेतन क्रम स्थायी रूप से निर्धारित कर दिये गये हैं । होम्यो-पैथिक डाक्टरों का वेतन क्रम अभी स्थाई रूप से निर्धारित नहीं हुआ है । अतः अन्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पे कमीशन ने इन होम्योपैथिक डाक्टरों के लिये क्या पे स्केल नियुक्त किया था ? क्या स्टेट होम्योपैथिक बोर्ड ने भी इसके बारे में कोई शिकायत की है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---उनका अभी प्राविजनल पे स्केल है । ऐसा मालूम पड़ता है कि जब पे कमेटी बैठी थी उसके पहले होम्योपैथिक के बारे में यह स्पष्ट नहीं था कि उसकी मान्यतायें क्या-क्या हों । होम्योपैथिक बोर्ड की सिफारिशों के लिये नोटिस की आवश्यकता

होगी मगर महानगरमहापालिका के लिये ७५–२०० के स्थान पर १००–२०० तक का ग्रेड रखा गया है जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता वालों को दिया जायगा––

1. Degree in Homoepathy of a University established be Law.

2. Five year degree of 4 year Diploma in Homoepathy (G. H. M. S.) (B. M. S.) of the Board of Homoepathic Medicines U. P. or

3. Four year Diploma course in Homoepathy from any of the recognized institutions.

**श्री उमाशंकर शुक्ल**––क्या स्वशासन मंत्री यह बतायेंगे कि इन डाक्टरों के पे स्केल्स के रिवाइज करने के बारे में जो आखिरी निर्णय होगा, वह कब से लागू किया जायगा ?

**श्री रामस्वरूप यादव**––जब पे स्केल का निर्णय होगा तभी वह तिथि भी दे दी जायगी कि किस तिथि से वह लागू होगा।

**श्री ऊदल**––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत की ?

**श्री रामस्वरूप यादव**––इसके लिये कोई पे कमीशन नहीं बैठा है। सरकार उनके बारे में विचार कर रही है। अभी तक कोई स्केल फिक्स्ड नहीं था इसलिये उनको प्रोवीजनल पे स्केल दिया गया है। १९४९ में जब पे कमेटी बैठी थी उस वक्त तक यह निश्चय नहीं किया गया था किस होम्योपैथिक डिग्री को क्या मान्यता हो। इस वक्त एक प्रावीजनल स्केल लागू कर दिया गया है और विचार किया जा रहा है क्योंकि अब यह निश्चय हो गया है कि किस होम्योपैथिक डिग्री को क्या मान्यता हो।

## फतिहाबाद टाउन एरिया के चेयरमैन को हटाने पर विचार

*४––**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**––क्या फतिहाबाद (जिला आगरा) के टाउन एरिया के चेयरमैन को रिमूव करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**––जी हां।

*५––**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**––अगर हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उनके खिलाफ क्या चार्जेज हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**––चेयरमैन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२४–७२५ पर)

*६––**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**––क्या यह सही है कि उपर्युक्त चेयरमैन के बड़े भाई श्री राजेन्द्रप्रसाद टाउन एरिया और आगरा के एम० एल० सी० श्री शिवप्रसाद गुप्ता तथा उनके पिता श्री राम चन्द्र गुप्ता में मानहानि का केस चल रहा है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**––जी हां।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**––क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि चेयरमैन के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उनके बारे में चेयरमैन ने यह लिखा है कि वे आरोप निराधार हैं और द्वेषपूर्ण हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**––चेयरमैन ने जवाब तो दिया है लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया है। आरोप अपनी जगह महत्व रखते हैं इसलिये जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जायं यह कैसे माना जा सकता है कि आरोप सही नहीं हैं।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार ने उन आरोपों के बारे में और चेयरमैन ने जो जवाब दिया है उसके बारे में, अपने विभागीय अधिकारियों से राय ली है ? यदि ली है तो उन्होंने क्या राय दी है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--श्रीमन्, इसके बारे में जिलाधीश की रिपोर्ट आ गयी है। वह शासन के विचाराधीन है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--मैंने जिलाधीश की राय नहीं मांगी थी, मैंने सरकार के विभागीय उच्चाधिकारियों की बाबत पूछा था कि सरकार ने उनकी राय इस मामले में ली या नहीं और यदि ली तो उन्होंने अपनी राय क्या दी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--श्रीमन्, पत्रावली का एक एक्जामिनेशन होता है, तो उसके अन्दर किसने क्या राय दी यह बतलाना मैं उचित नहीं समझता।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--सरकार इस प्रश्न पर कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जल्दी ही निर्णय हो जायगा ।

**श्री देवनारायण भारतीय**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन के बड़े भाई श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया और आगरा के एम० एल० सी० श्री शिव प्रसाद गुप्ता तथा उनके पिता श्री रामचन्द्र गुप्ता पर जो मानहानि का मुकदमा चल रहा है उसका इन चेयरमैन के रिमूवल से क्या सम्बन्ध है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--मैंने यह तो कहा नहीं कि इसका चेयरमैन के रिमूवल से कोई सम्बन्ध है चूंकि एक प्रश्न था इसलिये उसका मैंने उत्तर दिया कि मुकदमा चल रहा है लेकिन रिमूवल का इस मुकदमें से कोई सम्बन्ध नहीं है। रिमूवल के प्रश्न पर अपनी जगह विचार होगा और मुकदमा अपनी जगह चल रहा है । उसका निर्णय अदालत में होगा।

*७--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---[स्थगित किया गया।]

## आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति

*८--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में नवम्बर व दिसम्बर, १९६० और जनवरी व फरवरी, १९६१ में कितने पंचायत मंत्रियों की नई नियुक्तियां की गईं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--आजमगढ़ जिले में नवम्बर व दिसम्बर, १९६० और जनवरी व फरवरी, १९६१ में क्रमशः १४, ३ और शून्य व १ पंचायत मंत्री की अल्पकालीन नियुक्ति की गई ।

*९--श्री मुक्तिनाथराय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत मंत्रियों के चुनाव के सम्बन्ध में संचालक पंचायत का सरकुलर नम्बर, ४/७६८-५८-५/५९, दिनांक १४ जून, १९५८ व विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश का सरकुलर नम्बर सी-१६७/३६१७-Mise-E I, दिनांक ३०-७-५८ जो समस्त जिला अधिकारियों के पास भेजा गया था वह क्या है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--निदेशक, पंचायतराज के सरकुलर का नम्बर वास्तव में ४/७६८-५८-५-४९-४८ दिनांक १४-६-५८ है। यह मुख्यतः इस बात से सम्बन्धित है कि जो प्रशिक्षित ग्राम सेवक surplus पड़े हुये है और जो जिले के निवासी हैं उन्हें पंचायत मंत्रियों

के पदों पर नियुक्त किया जाय। इसी प्रकार विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश का सरकुलर इस बात से सम्बन्धित है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों को पंचायत मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाय।

*१०---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त सरकुलर्स के अनुसार आजमगढ़ जिले में कार्य किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री रामस्वरूप यादव**---जी हां। आजमगढ़ जिले में उक्त सरकुलरों के अनुसार कार्य किया गया है।

*११-१२---कुंवर श्रीपालसिंह---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

## मथुरा नगरपालिका में अनुमानित वजन पर चुंगी लेने की शिकायत

*१३---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं कि नरगपालिका देहात से आने वाले अनाज, शक्कर, गुड़ आदि से भरे भार वाहनों पर जो चुंगी कर लेती है वह प्रत्येक भार वाहन में यह मान कर कि इतना होगा न लेकर जितना हो उसी पर ले तथा इस प्रकार चुंगी कर में जो गलत वृद्धि हो रही है वह न हो।

**श्री रामस्वरूप यादव**---चुंगी नगरपालिका की सीमा के भीतर उपयोग, उपभोग तथा विक्रय के हेतु आने वाली वस्तुओं तथा जानवरों पर लगती है। यह अधिकतर सामान के वास्तविक तौल के हिसाब से (एक्चुवेल वेटेज) लगाई जाती है और कुछ कीमती वस्तुओं पर उनके मूल्य के आधार पर (ऐडवैलरम) लगती है। किस वाहन पर सामान आया है, उससे चुंगी की दर अथवा धनराशि से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसलिये चुंगी कर की गलत वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८ (१) (७) के अन्तर्गत, कुछ नगरपालिकायें चुंगी के बजाय, टोल टैक्स लगाती हैं जो नगरपालिका की सीमा के अन्दर आने वाले वाहनों, अन्य गाड़ियों अथवा सरबोझ लादे कुलियों पर लगता है चाहे वह वाहन खाली हो अथवा सामान से लदा हुआ हो। टोल टैक्स की दर गाड़ी की किस्म (मोड आफ कनवेयेंस) तथा उसके सामान लादने के परिमाण (कैपेसिटी) पर विभिन्न दरों से लगता है। यह वाहन पर लगता है, सामान पर नहीं।

**श्री रामहेत सिंह**---क्या माननीय मंत्री महोदय मथुरा नगरापलिका के सन् ५७ से ५९ तक के हिसाब की जांच करायेंगे कि प्रत्येक बैलगाड़ी पर चाहे कितना ही सामान हो, उसे ३६ मन और ४० मन मान कर ही चुंगी ली गयी है?

**श्री रामस्वरूप यादव**---अनियमितता की शिकायत, श्रीमन्, लिख कर दी जायगी तो जांच जरूर करा लेंगे।

*१४-१६---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८---श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०---श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१-२२---श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी), श्री मन्नालाल (जिला खीरी), श्री शिवराम (जिला बिजनौर) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२३---श्री रामहेतसिंह---[१० मई, १९६१ के लिये प्रश्न सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४-२५---श्री मदन पांडेय---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२६-२७---श्री ऊदल---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२८---श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## बिलारी टाउन एरिया द्वारा टोल-टैक्स लगाने की अनुमति मांगना

*२९---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को टाउन एरिया बिलारी, जिला मुरादाबाद की यह प्रार्थना किस तिथि को प्राप्त हुई है कि उसे टोल-टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाय ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---२ मार्च, १९५९।

**श्री महीलाल**---माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि २ मार्च, ५९ से अब तक इस प्रार्थना पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---श्रीमन्, मार्च सन् ५९ में यह सुझाव आया जो यहां से ३०-३-५९ को वापस किया गया, यह सूचना जानने के लिये कि पूरी जो आवश्यकतायें हैं उनके बारे में नगरपालिका लिखे और उस का जवाब साल भर के बाद १-४-६० को आया क्योंकि सैंक्शन से पहले तमाम बातें आ जानी चाहिये, उस का जवाब अब ६-२-६१ को आया है और जैसा कि अभी कहा गया उनके सुझाव कुछ दोषपूर्ण थे जैसे कि ट्रान्जिट टैक्स की बात उन्होंने नहीं सोची कि अगर एक वेहिकिल एक तरफ से दूसरी तरफ जायगी तो चुंगी कब लगेगी, इन आंकड़ों में उन्होंने इसका खयाल नहीं रखा, इसलिये फिर वापस किया गया है।

## अन्तरिम जिला परिषद् के गैर-सरकारी अध्यक्षों के चुनाव पर विचार

*३०---श्री महीलाल---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद् के गैर सरकारी अध्यक्षों के चुनाव के लिये कोई कार्य-क्रम तैयार कर लिया है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---अन्तरिम जिला परिषद् के गैर सरकारी अध्यक्षों के चुनाव के लिये कार्य-क्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है। विषय अभी विचाराधीन है।

**श्री महीलाल**---क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों के गैर सरकारी अध्यक्षों के चुनाव का कार्य-क्रम निश्चित करने में सरकार के सामने इस समय क्या कठिनाई है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---कोई कठिनाई नहीं है। यह तो पहले ही कहा गया है कि इस विधान सभा के अधिवेशन के बाद ही यह काम हो सकेगा और इस सम्बन्ध में अध्यक्षों के चुनाव के पहले प्रधानों के प्रतिनिधियों का चुना जाना आवश्यक है और उसके बारे में २५ अप्रैल को आदेश जारी हुये थे और २५ मई तारीख निश्चित हुई है जिस दिन प्रधानों के प्रतिनिधियों के चुनाव पूर्ण होंगे, तो २५ मई से पहले तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद ही कोई तारीख इन अध्यक्षों के चुनाव के लिये निश्चित होगी।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वह इन चुनावों को ग्राम चुनावों के पहले जरूर करा लेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---अभी तो विचार ऐसा ही है ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव कराने के लिये सरकार भिन्न-भिन्न जिला बोर्डों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें रखेगी या सब जगह के लिये एक ही तारीख रखेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---अभी यह तय नहीं हुआ है ।

**श्री महीलाल**---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार का इरादा अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव कराने का है या जिला परिषद् के अध्यक्षों का ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---जिला परिषद् बिल विधान परिषद् के सामने है, जब वह अधिनियम बन जायगा तभी इस के विषय में कहा जा सकता है, पहले नहीं कहा जा सकता; बाद में में ही यह प्रश्न उठेगा ।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बतायेंगे कि सरकार जिला परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के बारे में कब तक कोई फैसला लेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---इस विषय में अन्तिम फैसला जल्द ही हो जायगा ।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् विधेयक जो कौंसिल में पास हो गया है और उसके संशोधन को सरकार इस सदन में लाकर अधिनियम बनाने की बात सोच रही है और वह मुकम्मिल हो जाय तो उसके अनुरूप ही अध्यक्ष जिला परिषद् के चुनाव कराये जायेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---यह अभी ऐक्ट नहीं बना है, अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव उसके अनुसार ही होंगे ।

**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार विचार कर रही है कि अन्तरिम जिला परिषदों के चुनाव जब भी हों उस से पहले जिलाधीशों से अधिकार लेकर वर्तमान उपाध्यक्षों को पूरे अधिकार दे दिये जायं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---ऐसा तो अभी विचार नहीं है ।

*३१-३२---**श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये । ]

*३३-३४---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये । ]

## गोरखपुर जिले में पुराने पंचायत मंत्री

*३५---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो क्रमशः ३ साल से तथा ५ साल से अधिक एक ही स्थान पर हैं और अपने निवास-स्थान से करीब हैं या अपने निवास-स्थान पर ही हैं ?

**श्री कैलाशप्रकाश**--गोरखपुर जिले में ऐसे पंचायत मंत्री जो क्रमशः ३ साल से तथा ५ साल से अधिक एक ही स्थान पर हैं क्रमशः ८५ और २४ हैं । अपने निवास-स्थान से करीब, अर्थात् २५ मील से कम की दूरी पर नियुक्त पंचायत मंत्रियों की संख्या १२० है । अपने निवास स्थान पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या शून्य है ।

*३६-३७--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)--ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## शामली नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों पर विचार

*३८--**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको १९५८ में शामली, जिला मुजफ्फरनगर के नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध सदस्यों तथा जनता की शिकायतें उनको दी गई थीं जो जांच के लिये कमिश्नर, मेरठ को भेज दी गई थीं ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट आई है अथवा नहीं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जी हां । एक शिकायत भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री तथा एक शिकायत मुझे भी दी गई थी जो कि जिलाधीश मुजफ्फरनगर को जांच हेतु भेज दी गई थी । जिलाधीश की रिपोर्ट कमिश्नर के द्वारा शासन को प्राप्त हो गई है ।

*३९--**श्री बादामसिंह**--यदि रिपोर्ट आई, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही अब सरकार की ओर से की गई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जिलाधीश की मुख्य रिपोर्ट दिसम्बर, १९५९ में शासन को प्राप्त हुई थी और आयुक्त मेरठ, खन्ड के विचार शासन को अप्रैल, १९६० में प्राप्त हुये । शासन ने इस रिपोर्ट का परीक्षण किया तथा महसूस किया कि जांच के लिये बोर्ड की कुछ पत्रावलियों का अवलोकन करना आवश्यक है । ये पत्रावलियां अब शासन को प्राप्त हो गई हैं और मामले पर विचार किया जा रहा है ।

**श्री बादामसिंह**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य शिकायतें क्या थीं जो कमिश्नर द्वारा सही पाई गईं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--कमिश्नर की रिपोर्ट क्या है यह तो मैं इस समय बताना जनहित में उचित नहीं समझता हूं, क्या-क्या शिकायतें थीं वह, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो बता सकता हूं ।

**श्री अध्यक्ष**--मुख्य-मुख्य बता दीजिये ।

**श्री रामस्वरूप यादव**--सीमेन्ट जो ठेकेदारों को दिया जाता है उसकी जांच की जाय । नगरपालिका का जो नया भवन बना है उसमें काफी कमियां हैं । कुछ टी० एम० सील्स के बारे में हैं, घटिया किस्म की ईंटों के प्रयोग के बारे में हैं । चुनाव के दिनों में जो निर्माण-कार्य हुये उनमें न कोई टेन्डर लिया गया और न नगरपालिका की स्वीकृति ली गई । अस्पताल में कुछ कार्य नगरपालिका के धन से किया गया । नगरपालिका में जो ठेका दिया जाता है वह केवल दो व्यक्तियों को दिया जाता है, इत्यादि-इत्यादि शिकायतें हैं ।

**श्री बादामसिंह**--श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि वह मुख्य शिकायतें क्या हैं जो कमिश्नर द्वारा जांच करने पर सही पाई गईं ?

**श्री अध्यक्ष**--कमिश्नर की रिपोर्ट के लिये तो वह कहते हैं कि जबतक फैसला न कर लें तब तक उसके बारे में उनकी राय वह नहीं बताना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन शिकायतों में क्या यह भी शिकायत थी कि नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने पुलिस स्टेशन की ३० साल पुरानी दीवार को रात को ४० आदमियों की इमदाद से हंडे की रोशनी में ३ गज अन्दर को हटवा दिया था ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---शामली रेलवे फीडर रोड को नगरपालिका ने ८० फीट बताकर बोर्ड का हजारों रुपया अनुचित लाभ उठाने के लिये और निजी रंजिश निकालने के लिये बर्बाद किया, यह एक शिकायत है ।

**श्री बादामसिंह**---प्रश्न सख्या ३९ स संबंधित । मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड की पत्रावली मंगवाने के लिये आदेश हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि पत्रावली प्राप्त करने के लिये यहां से कब आदेश हुये ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---निश्चित डेट तो बताना संभव नहीं है लेकिन अप्रैल, १९६० में आयुक्त, मेरठ खंड को रिपोर्ट आई थी । परीक्षण होने में कुछ समय लगा होगा और उसके बाद चिट्ठी लिखी गई होगी ।

## सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार

*४०---**श्री श्यामलाल** (जिला मथुरा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसरों के पद का सृजन कब से हुआ है और उनकी वर्तमान संख्या क्या है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के पद वर्ष १९५१-५२ में सृजित किए गए थे और उनकी वर्तमान संख्या ५१ है ?

*४१---**श्री श्यामलाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उनमें (ए० डी० पी० ओज में ) एक भी अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं ? यदि हां तो क्यों ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---जी हां । उनके स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

**श्री श्यामलाल**---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५१ पद किन-किन वेतन-क्रमों में तथा किस-किस दिनांक से स्थायी बनाये गये हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---एक पद तो २५० से ८५० रु० क वेतन-क्रम में है और ५० पद २००-४०० रु० के वेतन-क्रम में हैं । इन ५० पदों में से १३ पद १ अप्रैल, १९५४ से तथा ३७ पद १ अप्रैल, १९६० से स्थायी किये गये हैं ?

**श्री श्यामलाल**---मंत्री जी बतायेंगे कि इन पदों को स्थायी करने में क्या कठिनाई है और वह कठिनाई कब तक दूर हो जायेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---पत्र-व्यवहार लोक-सेवा आयोग और सरकार तथा निदेशक में चल रहा है । उसके बाद में निश्चय हो जायगा ।

*४२---**श्री रामलक्षग तिवारी** (जिला बलिया)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३---**श्री प्रताप सिंह**---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४---**श्री उग्रसेन**---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५-४६---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४७-४९---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## विकास क्षेत्र तालबेहट में आदर्श-गृहों का निर्माण

*५०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास क्षेत्र तालबेहट, जिला झांसी में २८ आदर्श-गृहों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त गृह किन-किन स्थानों में निर्मित होंगे और प्रत्येक गृह के निर्माण पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—२७ आदर्श-गृहों का निर्माण किया जा रहा है। यह गृह ग्राम तरगुंवा एवं तालबेहट की सीमा पर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रत्येक मकान पर २,८१० रुपया व्यय होगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्रीजी को जानकारी है कि यह गृह जहां पर बन रहे हैं वहां कोई गांव नहीं है आसपास में न कोई पक्की सड़क है, न रेलवे स्टेशन है और न कोई धंधा है जिनके मकान बन रहेहैं? फिर ऐसी दशा में वहां क्यों बनाये जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो नोटिस चाहिये कि किसके बन रहे हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि आदर्श-गृह जहां बन रहे हैं वहां एक व्यक्ति का फार्म है और उनके नौकरों के लिये उस व्यक्ति ने अधिकारियों से मिल करके इन मकानों का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना तो मेरे पास यह है कि इन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है और वह सब पिछड़ी जाति के हैं। लेकिन अगर शिकायत है तो जांच करा ली जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी बतायेंगे कि इन आदर्श-गृहों के बनाने के पीछे सरकार की पालिसी क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऋण दिया जाता है कुछ व्यक्तियों को जो आदर्श-गृह बनाना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी जी द्वारा इंगित एक फार्म मालिक की जो बात कही गई है उसके बारे में सरकार जांच करेगी कि गृह उनके नौकरों के लिये बनाये जा रहे हैं और पिछड़ी जातियों के लिये नहीं बनाये जा रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने यही तो कहा है कि अगर शिकायत है तो जांच करा लेंगे कि नौकरों के लिये बनाये गये हैं एक सज्जन के या वहां के रहने वालों के लिये बनाये गये हैं।

---

## उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ जो विधान सभा द्वारा २७ अप्रैल, १९६१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २८ अप्रैल, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।

## विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)†

**श्री अध्यक्ष**—एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न गोरीशंकर राय जी ने मेरे पास भेजा है। अब उसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि आज उस पर फैसला न किया जाय क्योंकि वह बाहर गये हैं। तो मैं किसी दूसरे रोज उसको रखूंगा।

## जलालपुर (थाना टंडियावा) की डकैती में पुलिस द्वारा डाकुओं को सहायता पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

**श्री अध्यक्ष**—नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने के लिये जो विषय सामने लाये गये हैं, उनमें मैंने गोविन्दसिंह जी बिष्ट और टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने जो विषय मेरे सामने भेजा है उसको स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से है :—

"श्री बालकराम जी (एम० एल० ए०, कांग्रेस) ने घटनास्थल पर जांच करने पर पता लगाया है कि चार पुलिस के सिपाही जिन्हें लोग पहचानते हैं—ने तारीख २० को रात्रि को ग्राम दौलतपुर में श्री शिवमोहन लाल, राधेश्याम आदि को बताया कि आज जलालपुर, दौलतपुर गांवों में डकैती पड़ेगी अस्तु उन्हें हमें बचाना है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या प्रधान जलालपुर में सब से मालदार हैं तथा उसके पास या गांव में कोई बन्दूकें हैं या नहीं ?

उक्त चारों सिपाही अर्धरात्रि में दुर्गाप्रसाद के यहां आये। प्रधान ने उन्हें ४ पलंगों पर अपने दरवाजे पर सुलवा दिया। कुछ देर बाद दो सिपाही गायब हो गए और कुछ डाकुओं को लाकर मकान पर चढ़ गये। एक मकान के दक्षिण तरफ नाकाबन्दी करके खड़ा हो गया, दूसरा राईफल लेकर छत पर। अन्य दो मकान के पूर्व में खड़े हो गये और डकैती पड़ने लगी तो पुलिस वालों ने मकान की ओर फायर न कर अन्य दिशाओं में फायर की। दक्षिण तरफ खड़े सिपाही का भी यही हाल था। जो गांव वाले मदद को आये तो इन पुलिस वालों ने रोका। छत पर चढ़ा सिपाही भी दनादन जनता को डराने के लिये फायर करता रहा।

डाके के बाद छत पर सिपाही की राइफल की मैगजीन, दो बगैर दगे और ७–८ दगे राइफल के कारतूस, मिले हैं। मकान के पिछवाड़े एक लाठी, एक झोला जिसमें सिपाही की तहमत व टार्च थी, मिले हैं ?

हरदोई की पुलिस अपने विभाग की बदनामी के डर से मामले में कुछ नहीं कर रही है।

जनता के तथाकथित रक्षकों के भक्षक बनने से समस्त जिले की जनता त्रसित है। लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण तात्कालिक प्रश्न पर माननीय गृह-मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय।"

**शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**—५ तारीख को इस पर वक्तव्य दे दिया जायगा।

**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)—श्रीमान्, मेरा भी एक प्रश्न था.....?

**श्री अध्यक्ष**—एक दिन में केवल एक ही प्रश्न लिया जा सकता है।

## महावीर जी के मेले के उपलक्ष्य में छुट्टी करने के सम्बन्ध में निवेदन

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय उपनेता सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल यहां लखनऊ में महावीर जी का मेला है जिसकी वजह से यहां पर सचिवालय में तमाम अदालतों में और तमाम सरकारी दफ्तरों में

† २८ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

छट्टी है। जब सब जगह छट्टी है तो विधान सभा की कार्यवाही कल नहीं होनी चाहिये क्योंकि यहां के कर्मचारियों को भी छट्टी मिलनी चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय उपनेता सदन कल की छट्टी घोषित कर दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, जब स्कूलों में लड़के छट्टी मांगते हैं तब भी उनके लिये इंकार नहीं किया जाता, तो फिर इतने बड़े आदमियों के मांगने पर कौन इन्कार कर सकता है। (हंसी)

## जिला सीतापुर की खैराबाद नगर के एक मन्दिर से प्राचीन मूर्तियों को पुलिस द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग (समाप्त)†

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैं नियम ५२ के अन्दर यह व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्न देने के बाद जो आप के द्वारा स्वीकृत हो जाता है उसका उत्तर देने की कोई अवधि निर्धारित होनी चाहिये। यह एक हफ्ते की हो अथवा १५ दिन की हो, लेकिन अवधि अवश्य होनी चाहिये। क्योंकि मैंने खैराबाद के बारे में एक प्रश्न दिया था और उसका उत्तर देना भी मुख्य-मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था लेकिन उसका उत्तर आज तक नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---वह कल मिलेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---कल कहां मिलेगा?

श्री अध्यक्ष---कल माने परसों। मुझे उन्होंने कहा था कि मंगलवार को मैं उत्तर दूंगा। वह एक-आध दिन के भीतर हो जायगा।

## राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के अल्मूनियम कारखाने के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) में निर्मित हो रहे अल्मूनियम कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के संबंध में सर्वश्री झारखंडेराय तथा ऊदल द्वारा दिनांक २६ अप्रैल, १९६१ को दी गयी सूचना पर नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम मंत्री का वक्तव्य होगा।

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)---श्रीमन्, मेसर्स हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन पिपरी, जिला मिर्जापुर के श्रमिकों द्वारा अपने रहने के लिये बनायी गयी लगभग १०० झोपड़ियों में सहसा दिनांक २३ अप्रैल, १९६१ को ११ बज कर ३० मिनट पर आग लग जाने के कारण नष्ट हो गयी परन्तु अधिक संपत्ति की हानि नहीं हुई।

सेवायोजकों ने लगभग ६०, ७० श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की। सुविधा ३०, ४० श्रमिकों को रहने की व्यवस्था नहीं की गयी थी, इस कारण श्रमिकों में एक असंतोष फैला और उन्होंने प्रातः २४ अप्रैल, १९६१ से हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल से लगभग २,००० श्रमिक प्रभावित हुए।

इस प्रतिष्ठान में इस समय श्रमिकों की कोई यूनियन नहीं है। अतएव उन्होंने अपनी ओर से सेवा योजकों से बातचीत करने के लिये प्रतिनिधि चुने, जिन्होंने १३ मांगों का एक मांग-पत्र सेवायोजकों को प्रस्तुत किया। श्रम निरीक्षक, मिर्जापुर, हड़ताल शुरू होने के दिन ही पिपरी पहुंच गये और उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की। बाद में प्रादेशिक संगठन अधिकारी

† २२ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

तथा सहायक श्रम आयुक्त, इलाहाबाद भी वहां पहुंच गये और उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की जिस के फलस्वरूप दिनांक २८ अप्रैल, १९६१ ई० को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया। इस के अनुसार सेवायोजकों ने श्रमिकों की मुख्य मांगों, जैसे रहने का प्रबन्ध, छुट्टी, भत्ते, वेतन वृद्धि, अधिक समय काम करने का वेतन, इत्यादि को स्वीकार कर लिया ।

हड़ताल समाप्त हो गयी है और कारखाने में प्रात : २९ अप्रैल, १९६१ ई० से सामान्य रूप से काम शुरू हो गया है ।

**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन मजदूरों की झ पड़ियों में आग लग गयी थी, उनकी झोपड़ियों में पहले भी आग लग गयी थी और उस समय तक की जो उनकी कमायी थी वह उसमें स्वाहा हो गयी थी ?

**श्री वसी नकवी**—मैंने अपने बयान में बतलाया कि अधिक हानि नहीं हुई है, और सामान ज्यादा नहीं जला है । बहुत थोड़ा नुकसान हुआ है ।

**श्री झारखंडे राय**—मैं यह कह रहा हूं कि जिस वाकये की चर्चा मंत्री महोदय ने अपने बयान में की है उसके पहले भी एक बार मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गयी थी और वे झोपड़ियां पहले भी जल चुकी थीं और उस समय तक की उनकी कमायी उनमें स्वाहा हो चुकी थी ?

**श्री वसी नकवी**—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन १३ मांगों में से कुछ को माना गया है, उन मांगों को मजदूरों ने सालों पहले से उठा रखा था और उनको पहले क्यों नहीं माना गया ? पहले उनको कितना वेतन दिया जाता था और अब कितनी वृद्धि की गयी है ?

**श्री वसी नकवी**—इस बात की कोई इत्तला नहीं है कि पहले उन्होंने यह मांगें रखी थीं या नहीं । इस समय जो उनकी मांगें थीं वह स्वीकार हो गयी हैं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह हड़ताल कितने दिन चली और कितने मजदूर हड़ताल पर रहे और कितने वर्किंग डेज की हानि हुई ?

**श्री वसी नकवी**—मैंने तो उत्तर में बताया था कि हड़ताल २३ अप्रैल, १९६१ को शुरू हुई और २९ तारीख को समाप्त हो गयी । इससे लगभग २ हजार मजदूर प्रभावित हुये हैं ।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—जब वहां एक कारखाना स्थापित हो रहा है और मजदूरों के रहने के लिये वहां पर झोपड़ियां हैं तो उनको आग से बचाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध कर रखा है ?

**श्री वसी नकवी**—यह ब्योरा तो सरकार के पास नहीं है, लेकिन आग बुझाने का जो प्रबन्ध हर जिले में रहता है वह प्रबन्ध वहां पर भी होगा ।

**श्री एस० जी० दत्त** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो हड़ताल हुई वह बाकायदा कोई नोटिस देकर की गयी थी ? यह कैसे हुई ?

**श्री वसी नकवी**—कोई नोटिस नहीं था, यकायक आग लगी और उससे ७० आदमियों की झोपड़ियां जल गयीं । ३०, ४० रह गयी थीं । कुछ के लिये नयी बनवाई गयी थीं , लिहाजा हड़ातल हुई ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस आग वगैरह से उन मजदूरों का कितना अनुमानित नुकसान हुआ और उनको कितनी मदद दी गयी ?

श्री वसी नकवी---ऐसे कोई आंकड़े इस समय सरकार के पास नहीं है।

श्री उनियाल---माननीय मंत्री जी ने वेतन वृद्धि का हवाला दिया है, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इसके पहले कितना वेतन उनको दिया जाता था और अब कितने रुपये की वृद्धि की गयी है ?

श्री वसी नकवी---इसके आंकड़े भी इस समय सरकार के पास नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब कोई यूनियन नहीं है तो क्या मजदूरों ने खुद हड़ताल की या वह किसी पोलिटिकल जमात की सरकर्दगी में की गयी ?

श्री वसी नकवी---इसकी भी सूचना इस समय नही है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उनकी १३ मांगों में से कौन-कौन सी मांगें मंजूर कर ली गयी हैं और क्या वहां वास्तव में फैक्टरी ऐक्ट लागू है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---अभी तो वहां फैक्ट्री ही नहीं बनी है, उसका कन्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिये फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं होता।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रश्नों के भीतर एक ही महत्व का प्रश्न पैदा होता है कि आखिर वह आग कैसे लगी ? और बातों को तो यह सदन जानता है किन्तु माननीय मंत्रीजी ने इस बात की जांच क्यों नहीं कराई कि वह आग कैसे लगी? किसी मिल-मालिक ने लगवा दी, किसी संगठन के किसी आदमी ने लगा दी, या मिट्टी के तेल का पीपा उलट गया ,आखिर यह तो मालूम होना चाहिये कि यह आग कैसे लगी। हम चाहते हैं कि इसका उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह जो प्रश्न था उसमें तो यही था कि वहां के मजदूरों की मांगें हैं कि उनके रहने के लिये तथा पीने के पानी के लिये व्यवस्था की जाय, उसमें आग के कारण आदि को नहीं पूछा गया था।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, जवाब दिया गया कि आग लगी, कैसे लगी इसका उत्तर दिया गया 'नहीं मालूम'....

श्री अध्यक्ष---इस विषय पर उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था, उनके रहने का इन्तजाम हो, यह प्रश्न था। लिहाजा उन्होंने हड़ताल आदि के बारे में इन्क्वायरी करके जवाब दे दिया।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस केसर इंजीनियरिंग वर्क्स के मातहत इस फैक्टरी का निर्माण हो रहा है उसकी ओर से उन मजदूरों के रहने के लिये कोई किसी प्रकार की झोपड़ी आदि की व्यवस्था नहीं है और वहां कोई श्रमिक कानून लागू नहीं है, क्या यह सही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने कहा कि यह कारखाना तो अभी कंस्ट्रक्शन में है और कारखाना जब कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर होता है तब ठेकेदार लोग अपने लेबर वगैरह का इंतजाम करते हैं। जहांतक मुझे इल्म है कच्चे मकान वगैरह, जैसे आम होते हैं, ऐसे वक्त में उसी तरह के मकान वहां हैं और लोग उसी में रहते हैं।

## यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के नेताओं द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**--अब यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन वाले मामले के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

**श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)**--श्रीमन्, यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने अपनी ६ अप्रैल, १९६१ की मीटिंग में यह तय किया कि यदि उनकी निम्नलिखित मांगों को स्वीकार न किया गया तो श्री शिब्बनलाल सक्सेना, सदस्य लोक सभा, फेडरेशन के प्रेसीडेंट, श्री मदन पांडेय, कोषाध्यक्ष, श्री मुकुन्द सिंह, वाइस प्रेसीडेंट और श्री वी० वी० शुक्ल, जनरल सेक्रेटरी, २५ अप्रैल, १९६१ से भूख हड़ताल करेंगे।

**मांगें**--

१--चीनी उद्योग मन्डल की सिफारिशें, जो कि बहुत ही दोषपूर्ण तथा असंतोष-जनक हैं, फिर भी उन्हें शीघ्र लागू किया जाना चाहिये। अगर मिलों के मालिक उन्हें लागू करने के लिये सहमत न हों तो सरकार, पार्लियामेंट में उसे लागू करने के लिये कानून बनाये ताकि सरकार इस सीजन में उसे लागू कर सके।

२--महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद जो आई० एन० टी० यू० सी० विरोधी यूनियनों द्वारा उठाये गये अधिकांशतः दाखिल दफ्तर कर दिये गये हैं, एडजुडीकेशन के लिये भेजे जायं।

३--आई० एन० टी० यू० सी० व विरोधी यूनियनों का रजिस्ट्रेशन महीनों और सालों में किया जाताहै। रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सरल एवं सुगम बनाई जाय और आई० एन० टी० यू० सी० विरोधी यूनियनों के विरुद्ध पक्षपात न बरता जाय तथा साधारणतया रजिस्ट्रेशन में एक माह से अधिक समय न लगाया जाय।

इस सम्बन्ध में एक शिष्टमन्डल जिसमें श्री शिब्बनलाल जी सक्सेना सदस्य, लोक सभा, श्री गेंदा सिंह, सदस्य विधान सभा तथा श्री मदन पांडेय, सदस्य विधान सभा सम्मिलित थे, १८ अप्रैल, १९६१ को श्रम मन्त्री से मिला और एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत किया। उस स्मृति-पत्र में उपरोक्त तीन मांगों के अलावा निम्नलिखित एक मांग और थी :

४--सरकार यह घोषणा करे कि चीनी मिलें तब तक बन्द नहीं होने पायेंगी जबतक उनके रिजर्व्ड जोन में खड़े गन्ने पेर न लिये जायं मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने की कीमत शीघ्र ही दी जाय और गन्ने की कीमत किसी भी प्रकार कम न की जाय।

जहां तक पहली मांग का सम्बन्ध है, दिसम्बर, सन् १९५७ ई० में भारत सरकार द्वारा बनाये गये शुगर वेज बोर्ड ने नवम्बर, १९६० ई० में अपनी सिफारिशें भेजीं और भारत सरकार ने २३ फरवरी, १९६१ के रिजोल्यूशन द्वारा उन एकमत सिफारिशों को स्वीकार किया और मिल-मालिकों, मजदूरों तथा प्रदेश की सरकारों से यह अनुरोध किया कि इन सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाय। यह रिजोल्यूशन ६ मार्च, १९६१ को यहां प्राप्त हुआ। प्रदेश की सरकार ने इस पर पूरा-पूरा विचार किया और ३० मार्च, १९६१ ई० को एक त्रिदलीय सम्मेलन इन सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये बुलाया। सम्मेलन में भाग लेने के लिये मिलमालिकों के प्रतिनिधियों ने बोर्ड की एकमत सिफारिशों को लागू करने के लिये अपनी उत्सुकता प्रकट की परन्तु उन्होंने यह जाहिर किया कि जबतक चीनी का भाव इतना न बढ़ा दिया जाय कि इन सिफारिशों को लागू करने से जो अधिक भार मिलों पर पड़े वह पूरा हो जाय तब तक उनके लिये इन सिफारिशों को लागू करना सम्भव न होगा। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया और केन्द्रीय सरकार से इस पर निर्णय शीघ्र देने की प्रार्थना की।

[श्री वसी नकवी]

जब केन्द्रीय सरकार ने इसकी घोषणा कर दी कि चीनी के निर्यात में राज्य सहायता दी जायगी तो मुख्य मन्त्री ने २१ अप्रैल, १९६१ को चीनी मिल-मालिकों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की और उनसे बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिये अनुरोध किया। मिल मालिकों ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे इसे शीघ्र ही लागू कर देंगे। सरकार ने २७ अप्रैल, १९६१ को एक विज्ञप्ति द्वारा उन सिफारिशों को यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत लागू कर दिया है।

जहां तक दूसरी मांग का सम्बन्ध है, सभी औद्योगिक विवादों में जिनमें इस बात का ध्यान रख कर कि जिस यूनियन ने उन्हें उठाया है आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित हैं या नहीं, उनकी वस्तुस्थिति के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

५—यूनियनों का रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अधीन किया जाता है। अभी तक सरकार के पास उक्त ऐक्ट में निर्धारित प्रक्रिया को आसान बनाने के विषय में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। रजिस्ट्रेशन में देर केवल उन्हीं प्रकरणों में होती है जिनमें यूनियनों द्वारा रजिस्ट्रार को भेजी गई सूचनायें अपूर्ण होती हैं। रजिस्ट्रार फिर भी इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि रजिस्ट्रेशन के प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र निपटारा किया जाय, परन्तु यह मुख्यतया ट्रेड यूनियनों के सहयोग पर निर्भर है। यूनियन आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर यूनियनों के रजिस्ट्रेशन में कोई भेद नहीं किया जाता है।

६—जहां तक अन्तिम मांग का सम्बन्ध है चीनी मिलों को किसी विशेष तिथि तक चलने के लिये आदेश नहीं किया जा सकता, परन्तु वे निर्दिष्ट परिमाण में गन्ने की पेराई करने के लिये बाध्य हैं। इस समय चीनी मिलों के सामने अधिक उत्पादन तथा स्टाक जमा होने की गम्भीर समस्या उपस्थित है। उन्हें न तो चीनी के स्टाक की बिक्री से रुपया मिल पाता है और न बैंकों से। फलतः उनके एसोसिएशन ने इस बात की प्रार्थना की है कि उन्हें गन्ने का मूल्य चुकता करने के लिये समय दिया जाय। सरकार का विचार उन्हें समय देने का नहीं है। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि बकाया मालगुजारी की भांति वसूल की जाती है। जहां जानबूझ कर भुगतान नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायगी और जो मिलें समय से मूल्य का भुगतान नहीं करती हैं उन्हें ७ १/२ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान भी करना हो पड़ेगा। जहां तक गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। गन्ने का निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य कम करने का अभी कोई विचार नहीं है।

७—जो स्थिति मैं बता चुका हूं उसके बावजूद यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के निम्नलिखित पदाधिकारियों ने २५ अप्रैल, १९६१ से रायल होटल लखनऊ, में भूख हड़ताल की—

(१) श्री शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी०,
(२) श्री बी० डी० शुक्ला,
(३) श्री मदन पांडेय,
(४) श्री मुकुन्द सिंह।

यह मालूम हुआ कि २९-४-६१ को शाम के ४ बजे भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

(श्री प्रतापसिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—अब क्या रह गया है।

**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि भूख हड़ताल तोड़ने से पहले हमारे नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकीसिंह और गेंदासिंह जी का एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्री जी से मिला ? और, क्या वे कृपया इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि उनमें क्या-क्या बात-चीत हुई ?

**श्री अध्यक्ष**---इस बात का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है।

**श्री प्रतापसिंह**---श्रीमन्, भूख हड़ताल टूट गई, इस सम्बन्ध में क्या कोई बात-चीत हुई थी, वह बतला दें ?

**श्री अध्यक्ष**---यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

**श्री प्रतापसिंह**---मान्यवर, दफा ५२ का जो मेरा प्रस्ताव था उस सिलसिले में चार मांगें थीं, एक के बारे में उन्होंने बतलाया कि इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन तीन मांगें जो थीं उनके सिलसिले में क्या माननीय त्रिलोकीसिंह और माननीय गेंदा सिंह जी की कोई बात-चीत मुख्य मन्त्रीजी से हुई ?

**श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)**---उसका तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन गेंदासिंह जी ने मेरे साथ थोड़ा-बहुत वेज-बोर्ड की रिकमेन्डेशन्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात चीत की थी । वही मुझे मालूम है।

**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्रीजी बतायेंगे कि यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, चौधरी हरसहाय जी ने भी बरेली में इस सिलसिले में अनशन किया था ? क्या ऐसी सूचना गवर्नमेन्ट को है ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**---मुझे ध्यान नहीं है। मुझसे बहुत से नये-नये लोग मिले। चूंकि मैं नई-नई यू० पी० में आई हूं, इसलिये नाम याद नहीं रहते ।

**श्री अध्यक्ष**---वह यह जानना चाहते हैं कि क्या बरेली में भी किसी ने भूख हड़ताल की थी ।

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**---मुझे मालूम नहीं है।

**श्री झारखंडेराय**---हरसहाय जी ने भी भूख हड़ताल की थी, ऐसी खबर अखबारों में छपी थी, तो क्या उन्होंने हड़ताल की या नहीं ? और वह टूट गई या नहीं, इसकी सूचना गवर्नमेंट को है ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**---मुझे मालूम नहीं है। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के बहुत से लोग जगह-जगह भूख हड़ताल करते रहते हैं, उनकी फेहरिस्त अपने पास नहीं है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि किसानों के गन्ने का जो बकाया पड़ा है, जो कि मिल-मालिकों को देना है वह कितना है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री ब्रजनारायण तवारी** (जिला देवरिया)---सरकार ने अभी कहा है कि जो गन्ने का बकाया दाम है वह मालगुजारी के तौर पर वसूल किया जायगा, तो क्या उसकी वसूली के कदम सरकार की तरफ से उठाये जायेंगे या जिन किसानों के दाम बाकी हैं उन्हें ही कार्यवाही करनी होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि बकाये को मालगुजारी के तौर पर वसूल करने के कदम सरकार अपनी तरफ से उठायेगी या जब किसान दरख्वास्त देंगे तब कार्यवाही की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--नार्मल कोर्स में जैसा होता है वैसा ही होगा।

श्री प्रतापसिंह--उनकी चौथी मांग के अनुसार जो किसानों का लाखों मन गन्ना पड़ा है उसको पेरने के लिये मिलों का टाइम बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या सरकार अपने गुड आफिसेज को यूज करेगी ताकि वह गन्ना खत्म हो जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--हम भी यही चाहते हैं कि सारा गन्ना पेरा जाय।

श्री अध्यक्ष---अब यह समाप्त किया जाता है।

## सहकारी खेती को प्रोत्साहन न देने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब कुंवर श्रीपालसिंह जी के प्रस्ताव पर विचार जारी होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह प्रस्ताव समाजवाद के विरोध में था और समाजवादी लोगों की संख्या चूंकि सदन में अधिक है....

श्री अध्यक्ष---आप आगे कहिये, आपको समय ज्यादा मिल जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---धन्यवाद। श्रीमन्, कुछ और कहने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि मैंने उस दिन प्रयत्न इस बात का किया कि मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से सदन के सामने रख सकूं और माननीय सदस्य मेरी बात को समझ कर फिर उसका उत्तर दें। परन्तु शायद मैं अपनी बात को उसने स्पष्ट रूप में उनके सामने नहीं रख पाया, क्योंकि जो भी माननीय सदस्य बोले, जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव का विरोध किया, या तो उन्होंने जान-बूझ कर ऐसा किया या मैं अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं समझा पाया। क्योंकि आम तौर से लोगों ने यह कहा कि हम सहकारिता के विरोध में हैं। हमारे और हमारी पार्टी के ऊपर यह लांछन लगाया गया कि हम सहकारिता के विरोध में हैं, प्रतिक्रियावादी हैं। परन्तु मैं और मेरी पार्टी का जो विरोध है वह सहकारी संयुक्त कृषि से है और सहकारी उन्नत कृषि से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल सहकारी संयुक्त कृषि से है जिसमें खेतों का भी एकत्रीकरण कर लिया जाता है।

मैंने उस दिन भी बतलाया था कि सहकारी संयुक्त कृषि और सहकारी उन्नत कृषि में भेद है। यद्यपि साधन दोनों के एक ही हैं लेकिन भूमि के स्वामित्व में भेद है। एक में भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है और दूसरे में सामूहिक। अब श्रीमन्, मैं मन्त्री जी को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत हो तो वह उसको करके देखें कि सहकारी खेती दो प्रकार से की जाय। एक में स्वामित्व भूमि का व्यक्तिगत हो और दूसरे में स्वामित्व सामूहिक हो,

† २८ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

खाद, पानी, बीज आदि सब चीजें बराबर हों। फिर यह देखा जाय कि किसमें उपज ज्यादा होती है। अगर सामूहिक मालिकाना वाली जमीन में उपज ज्यादा हो जाय तो मैं आपके सामने शपथपूर्वक कहता हूं कि मैं उसी दिन से सामूहिक सहकारी खेती का विरोध करना छोड़ दूंगा।

श्रीमन्, केवल दो माननीय सदस्यों ने मेरी बात का उत्तर दिया। एक तो माननीय झारखंडे राय जी ने और दूसरे गोविन्द सहाय जी ने। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसमें भी एक बात है। उन्होंने इसलिये उत्तर देने का प्रयास किया क्योंकि दोनों आदमी समाजवादी हैं और इसीलिये उन्होंने समाजवादी ढंग से उत्तर देने का प्रयास किया।

**श्री अध्यक्ष**---एक तो उनमें से साम्यवादी हैं।

**कुंवर श्रीपालसिंह**---श्रीमन्, दोनों के ध्येय एक ही हैं, केवल अन्तर इतना है कि एक उनमें हलालिया है और दूसरा बलि प्रदान करने वाला। लेनिन ने अपनी दो कार्यनीति नामक पुस्तक में लिखा है :--

> "किसान पूंजीपति वर्ग का सबसे स्वाभाविक मित्र होता है...."
>
> "किसान विद्रोह और जनवादी क्रांति के बजाय जनतन्त्र कायम करके केवल समाजवाद का रास्ता साफ करते हैं।"
>
> "जनवादी संघर्ष में जमीन पर कब्जा रखने वाले वर्ग के रूप में किसान विश्वासघात तथा ढुलमुल पार्ट अदा करेंगे।"
>
> "परन्तु समाजवादी क्रांति के लिये निम्न पूंजीवादियों के संघर्ष में और समाजवादी क्रांति के लिये सर्वहारा के संघर्ष में अन्तर न समझना एक समाजवादी के लिये राजनैतिक दिवालियापन होगा।"

इससे स्पष्ट होता है कि दोनों आदमियों ने जो विरोध किया है वह इसलिये नहीं किया है कि संयुक्त सहकारी खेती से उपज बढ़ जायगी। बल्कि इसी के द्वारा किसान की भूमि लेकर समाजवाद का रास्ता साफ किया जा सकता है। उन्होंने मेरे प्रस्ताव का विरोध इसलिये नहीं किया कि संयुक्त सहकारी खेती से अनइम्पलायमेंट साल्व हो जायगा और हमारे देश के अन्दर प्रजातन्त्र का प्रसार होगा, बल्कि इसलिये विरोध किया कि समाजवाद लाने के लिये एकमात्र रास्ता वही है, जिस रास्ते से समाजवाद लाया जा सकता है और जिस रास्ते से किसान का गला घोंटा जा सकता है।

श्री उग्रसेन जी ने मेरे प्रस्ताव का घनघोर विरोध किया और इस कदर चिल्ला-चिल्ला कर विरोध किया जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने मेरे प्रस्ताव का विरोध खासतौर से इस लिये किया कि वह प्रस्ताव एक भूतपूर्व जमींदार द्वारा रखा गया है। मैंने मान लिया कि मैं भूतपूर्व जमींदार हूं, और भूतपूर्व जमींदार होना बड़ा भारी पाप है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। श्रीमन्, वाल्मीकि जो पहले डाकू थे मगर उनके द्वारा लिखी हुई रामायण समस्त संसार में पढ़ी जाती है और पूजी जाती है। मैं भूतपूर्व जमींदार हूं, तो बेईमान हूं, बदमाश हूं और न मालूम क्या-क्या हूं, लेकिन मेरी बात तो बेईमान या बदमाश नहीं थी, वह तो सही थी और कुछ कहने-सुनने के बजाय वह अपने को मेरी आलोचना में ही लिपटाये रह गये। श्रीमन्, यह केवल उनकी ही खूबी नहीं है बल्कि उनकी पूरी पार्टी की ही खूबी है। ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिये, उनका काम बस केवल गाली देना ही रह गया है। श्रीमन्, इसी प्रकार सूबे में डाक्टर सम्पूर्णानन्द को गाली देकर ऊपर उठने का प्रयत्न होता था, आल इंडिया नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को भी गाली देकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो फिर उग्रसेन जी के लिये क्या कहना है, जो चाहें कहें।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, गाली का इस्तेमाल कहां किया गया इसको माननीय सदस्य बतला सकते हैं? मैं समझता हूं कि उनको गाली शब्द को वापस लेना चाहिये।

कुंवर श्रीगोपालसिंह--श्रीमन्, जब मैंने गानों द्वारा उपज बढ़ाने की बात कही तो इसको उन्होंने तमाशा बतलाया और कहा कि चूंकि प्रस्तावक मुजरा सुनने वाले हैं इसलिये ऐसा निवेदन किया । लेकिन मैं उग्रसेन जी से निवेदन करना चाहता हूं, और वे न हों तो अवस्थी जी से निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि वे अध्यापक भी हैं और शायद पढ़े होंगे, कि एक वायब्रेशन थ्योरी होती है । सन् १९३९ में दो-तीन जर्मन साइंटिस्ट बनारस आये थे जो नगवा में एक मकान ले कर रहते थे । वे कुछ श्लोकों की तलाश में कई वर्षों से भारत भ्रमण कर रहे थे । उनसे मिलने का मुझे भी मौका मिला था । जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बतलाया कि हम सामवेद के १०० श्लोकों की तलाश में हैं, वे हमें मिल जायें तो हम एक लट्टू नचा कर इस गंगा के पुल को तोड़ सकते हैं । भारद्वाज संहिता में भी एक ऐसे यंत्र का वर्णन है कि अपने हवाई जहाज के बगल में दुश्मन का हवाई जहाज हो तो वायब्रेशन थ्योरी के आधार पर उस हवाई जहाज को बगैर कोई धक्का दिये हुये तोड़ कर गिरा सकते हैं । उसी आधार पर जर्मनों ने एक मशीन बनायी है जिस मशीन के सामने खड़ा होकर गाने पर उस स्वर का रंग परदे पर दिखलायी पड़ जायगा । सात स्वरों के सात रंग हैं और श्रीमन्, यह भी एक सिद्धान्त है कि सृष्टि की रचना सात रंगों से ही हुई है । हर स्वर के अपने अपने रंग होते हैं । जिस पौधे में जिस रंग की कमी हो, उसी रंग के स्वर--प्रधान राग को पौधे के सामने गाने से पौधे पर उसका असर पड़ेगा और उस पौधे में जो कमी होगी उसकी पूर्ति हो जायगी । यह बिलकुल सत्य और आजमाई हुई बात है । यह ऊंचे दर्जे के साइंस की बात है और यह कहने के लिये मैं माफ किया जाऊं कि श्री उग्रसेन जी के मस्तिष्क की परिधि से बाहर की यह बात है ।

संगीत सम्राट श्री ओंकारनाथ ठाकुर जो हमारे देश के एक उच्च कोटि के गायक हैं, उन्होंने इटली के तानाशाह मुसोलिनी के सामने गा कर उसे जबरदस्ती सुला दिया था । इसका उनके पास सर्टिफिकेट है, मैंने स्वयं उसको देखा है । मुसोलिनी ने लिखा है कि २० मिनट गाना सुनने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पलकों पर कोई ऐसा बोझा रख दिया गया है, मैं जागने की कोशिश करता था लेकिन नींद आती थी । उन्होंने कोमल ऋषभ पूरिया राग गाया था । पं० ओंकारनाथ जी ने फूलों पर भी रागों का प्रभाव दिखाया है । एक ही तरह के २ सफेद गुलाब के फूल के पेड़ लगाये गये और उन दोनों को एक-सी ही खाद पानी दिया गया और एक गुलाब के सामने बहार राग गाया और गुलाब का रंग सफेद से पीले में बदल गया । उग्रसेन जी को मालूम होना चाहिये कि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और पुराने समाजवाद की ढपली से अब काम नहीं चलेगा ।

एक चीज इसराइल के बारे में माननीय उग्रसेन जी ने कही । लेकिन उनको शायद यह नहीं मालूम है कि शुरू में जब वहां कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू हुआ तो वहां उन फार्मों का नाम "किवत्स" रखा गया, लेकिन वहां वह फार्म फेल हो गये और चल नहीं पाये क्योंकि वहां समाजवादी तरीके से वह कोआपरेटिव फार्म्स कायम किये गये थे, और बहुत कड़ाई के साथ सहकारिता और समाजवाद के सिद्धान्त माने जाते थे; लेकिन बाद में हार कर उन्होंने दूसरी तरह के फार्म बनाये । इसके अलावा इसराइल की जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि वहां का एक भी पुश्तैनी किसान नहीं है, 'वहां तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा' वाली बात है । इधर-उधर के लोगों ने इकट्ठा हो कर, सबने मिलकर फार्मिंग शुरू किया है, उनमें से किसी ने भी एक पैसा पूंजी नहीं लगाई है, पूरे फार्म केवल कर्जे से चल रहे हैं । इस तरह से इसराइल की जो खेती है वह भी सही नहीं है, इस तरह से कहीं भी की जा सकती है । यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं इस पुस्तक 'इंडियन एकनामी इट्स नेचर ऐन्ड प्राब्लम्स' से कह रहा हूं । माननीय उग्रसेन इसमें देख लें कि इसराइल में क्या हुआ है ।

उग्रसेन जी देखें कि इसराइल के अलावा अमरीका में, मैक्सिको में भी रिसर्च हो रहा है । वहां भी सहकारी खेती हो रही है, उनकी रिपोर्ट भी मैं श्रीमान् के सामने रखना चाहता हूं । वह यह है कि उनका अनुभव है कि इस पद्धति में श्रमिक की उत्पादन शक्ति का ह्रास होता है व्यक्तिगत पद्धति के मुकाबले में । मेक्सिकन लीग आफ सोशलिस्ट एग्रोनामिस्ट नाम की संस्था ने १९३९

में इसका तखमीना लगाया था कि व्यक्तिगत स्वामित्व काल के समक्ष २२ प्रतिशत की क्षति हुई थी। इस तरह से और देशों में जहां इसका प्रयोग हुआ है इसके द्वारा ह्रास ही हुआ है, उन्नति नहीं हुई है।

अब मैं जरा माननीय झारखंडे राय जी की बातों पर आता हूं। अगर सच पूछा जाय तो मैं केवल उन्हीं को सच्चा और असली सोशलिस्ट मानता हूं, और तो नकली और फसली सोशलिस्ट हैं। असली तो वही हैं क्योंकि सोशलिज्म पर उनकी रिसर्च है। उनका एक जगह उसके अनुसार राज्य भी चल रहा है और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से हमारी बात का विरोध किया, मैं उनकी बात से प्रभावित हो जाता और उनकी बात को अवश्य मान लेता, लेकिन उन्होंने एक ही गलती की, और वह गलती यह की कि जो आंकड़े दिये वह सिर्फ चीन के दिये। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि खाद, पानी और बीज के अतिरिक्त आदमियों की तादाद परिवार में बढ़ जाने से भी उपज बढ़ जाती है। यह मैं मानता हूं कि परिवार में जन-संख्या बढ़ने से उपज पर उसका असर पड़ता है, लेकिन वह तभी तक पड़ता है जब तक कि ढाई एकड़ फी आदमी के हिसाब से जमीन पड़े। यह नहीं है कि २ आदमियों के परिवार में इतनी उपज हुई तो ५ आदमियों में दूनी और १० में चौगुनी और १०० में न मालूम कितनी हो जायगी। एक लिमिट है उतनी ही बढ़ सकती है, उसके आगे नहीं बढ़ सकती। चीन के आंकड़े उन्होंने दिये। मैं क्षमा चाहूंगा, उन पर विश्वास करने की मेरी हिम्मत नहीं है और वह इसलिये नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन चीन गया था तो उसे बताया गया कि ३८० टन, मन नहीं श्रीमन्, धान पैदा हुआ एक एकड़ में। इसके अतिरिक्त एक पुस्तिका हमारे एक समाजवादी दोस्त की लिखी हुई है उसमें लिखा है कि १०८ मन ३० सेर प्रति एकड़ गेहूं चीन में पैदा हुआ। तो उस मुल्क के आंकड़े पेश किये जायंगे तो उन्हें मानने के लिये मैं तो कम से कम तैयार नहीं हूं। फिर, मान लीजिये कि चीन में बहुत पैदावार हुई और बड़े जोरों से सहकारी खेती हो रही है तो फिर पीपुल्स डेली अखबार जो चीन से निकलता है उसमें मई, १९६० में यह क्यों निकला कि चीन में खाद्यान्नों की कमी हो गई है और वहां लोगों को काम के वक्त भरपेट भोजन मिलेगा और बेकाम के वक्त आधे पेट? जैसे गाय-भैंस लोग पालते हैं, जब तक दूध देती है तब तक खली, चूनी व बिनौला देते हैं और जब दूध नहीं देती तब मुट्ठी भर घास ही दे देते हैं। तो काम के वक्त भरपेट भोजन और बेकाम के वक्त आधा पेट। उन्होंने यह भी कहा कि एक वक्त ठोस दिया जायगा और एक वक्त द्रव। यानी एक वक्त चावल और दूसरे वक्त उसका माड़। अगर चीन में इतनी उपज बढ़ गई है तो इस व्यवस्था की क्या जरूरत पड़ी? इसीलिये उनकी बातों पर विश्वास करने को मेरा मन नहीं चाहता है।

अब मैं गोविन्दसहाय जी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आमतौर से है, गोविन्दसहाय जी हर वक्त एक सैद्धान्तिक प्रश्न ले आते हैं। इसमें भी वह मौलिक प्रश्न समाजवाद का ले आये। मैं मानता हूं कि उनकी बातें अच्छी थीं। बौद्धिक समाजवाद उन्होंने उसको कहा। मानता हूं कि जब तक बुद्धि का परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक समाजवाद नहीं आने का क्योंकि प्रेक्टिकल चीज तो वह है ही नहीं, वह तो केवल बुद्धि की चीज है। जिस वक्त प्रैक्टिस में लाई जाएगी तो वह फेल हो जाएगी, सही नहीं उतर सकती। उन्होंने एक तर्क अपनी समझ से बड़ा सुन्दर किया कि जिस वक्त जमींदारी थी उस वक्त जमींदारी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था और जब एकतंत्र शासन था तो उसके खिलाफ नहीं कोई बोल सकता था, मगर आज हम उसका विरोध करके समाजवाद की तरफ जा रहे हैं तो समाजवाद के विरोध की बात करना असामयिक है। उनके उस तर्क को मैं उन्हीं पर लागू करता हूं। आज से १० साल पहले समाजवाद के विरुद्ध कोई एक जबान नहीं निकाल सकता था, लेकिन आज मैं दूसरों को क्या कहूं अपने को सबसे बड़े समाजवादी समझने वाले समाजवादी पार्टी के जो दोस्त हैं वह समाजवाद को छोड़कर रामायण का मेला लगा रहे हैं। उनको स्वयं समाजवाद के उन सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं रह गया, इन्होंने जान लिया कि समाजवाद के नाम पर वोट मिलने को नहीं, लिहाजा भारतवर्ष में देहात के रहने वाले किसानों की धार्मिक भावना को

[कुंवर श्रीपालसिंह]

एक्सप्लायट करो और इसीलिये चित्रकूट में रामायण मेला लगा रहे हैं। क्या यह इसको सिद्ध नहीं करता है कि समाजवाद गिरने वाला ही है ? माननीय गोविन्द सहाय जी और उग्रसेन जी के सम्हाले सम्हलने वाला नहीं है।

इसके अलावा एक और चीज कहता हूं। जर्मनी में एक समाजवादी पार्टी है जो समाजवाद इंटरनेशनल की भी सदस्या है जैसी कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है। उस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने, यह जर्मनी की है, जो अपना घोषणा-पत्र प्रकाशित किया है उसको अगर देखा जाय---समयाभाव के कारण मैं उसको यहां पूरा पढ़ नहीं सकता, कोई भी माननीय सदस्य देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा--कि स्वतंत्र पार्टी से उसका एक-एक सिद्धान्त अक्षरशः मिलता है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि हम आउट आफ डेट हैं या हमारे माननीय समाजवादी दोस्त आउट आफ डेट हैं।

एक चीज और कही माननीय गोविन्द सहाय जी ने कि धारा जो बह रही है उसको बदला नहीं जा सकता। मैं कहूंगा कि माननीय गोविन्द सहाय जी के समाजवाद की धारा जो प्रवाहित हो रही थी वह माननीय उग्रसेन जी जैसे सदस्यों से पट गई और इतनी छिछली हो गई है कि आसानी से उसको रोक करके दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है। अब समय आ गया है जब मोड़ देने में कतई भी जोर देने की जरूरत नहीं है।

समाजवाद के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, जरा वह भी बता दूं। १९४६ में लुई फिशर से गांधी जी ने कहा था कि "समाजवाद या तो अधिनायकतंत्र है या फिर आराम कुर्सी पर बैठकर प्रतिपादित किया जाने वाला दर्शन शास्त्र"। यह है व्याख्या माननीय बापू की जो समाजवाद की उन्होंने की थी। दो चीजें बतायी थीं कि या तो समाजवाद अधिनायकतंत्र है या आराम कुर्सी पर बैठकर सोचने वाला बौद्धिक समाजवाद है, बैठकर सोचते रहिये कभी यह हो सकता है ? जब विषमता के ऊपर ही सृष्टि हुई है, जिस समय सत, रज और तम सम थे तो प्रलय थी। उनमें न्यूनाधिक अन्तर होने पर ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब हम चाहते हैं कि हर एक चीज सम हो जाय तो कैसे हो सकता है ?

श्रीमन्, एक चीज और कहना चाहता हूं। यदि समाजवाद से ही भला होने को हो तो बेशक समाजवाद आवे और मैं भी उसमें शरीक हो जाऊंगा। मगर यदि उससे भला नहीं होने को है तो फिर जबरदस्ती समाजवाद, समाजवाद कह कर हिपाक्रेसी का रास्ता अख्तियार करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मनुष्य के लिये समाजवाद बना है न कि मनुष्य समाजवाद के लिये बना है। तो आप देखेंगे कि.....

(लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि समाजवाद के ऊपर थोड़ा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, बोलिये आप।

कुंवर श्रीपालसिंह---आप लोग तमाम समाजवाद ही समाजवाद कहते हैं, कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। मैं श्रीमन्, आपके सामने कुछ थोड़े आंकड़े पेश करना चाहता हूं। देश का सबसे गरीब तबका है खेतिहर मजदूरों का। यदि समाजवाद के नारे से उस वर्ग में कुछ भी उन्नति हुई हो, समाजवादी ढांचे को अपनाने के बाद तब तो मैं मानने के लिये तैयार हूं कि वास्तव समाजवाद सही चीज है। १९५१ में औसत प्रति व्यक्ति आय जो थी खेतिहर मजदूर की वह १०४ रुपये थी और १९५७ में वह हो गई ९९ रुपये। समाजवाद का ढोल जैसे बजा १९५१ में, उसके पहले तो गांधीवाद ही था, उसके बाद उन्होंने कहा कि समाजवाद हमारा ध्येय होगा, उसके बाद समाजवादी ढांचा पकड़ा और अब तो बिलकुल कम्पलीट समाजवादी हो हो गए हैं। तो १९५१ में १०४ और १९५७ में ९९। बेकारी के दिन उन खेतिहर मजदूरों के १९५१ में ९० थे और १९५७ में वह बढ़ कर १२८ हो गये। इसी तरह उनकी औसत मजदूरी थी।

सन् १९५१ में १०८ नये पैसे जो अब घट कर ९९ नये पैसे रह गयी। उनके ऊपर कुल अनुमानित कर्जा सन् १९५१ में ८० करोड़ रुपये था जो सन् १९५७ में बढ़ कर १४३ करोड़ हो गया। कर्जदार परिवारों की संख्या १९५१ में ४५ प्रतिशत थी जोकि १९५७ में वह बढ़ कर ६४ प्रतिशत हो गयी। इसी तरह से दो सौ रुपये वार्षिक से कम आय वालों की जन-संख्या १९५१ में थी ५० प्रतिशत जोकि अब बढ़ कर ६५ प्रतिशत हो गयी। तो श्रीमन्, क्या ये आंकड़े इस बात को सिद्ध नहीं करते कि समाजवाद का नारा देने के बाद गरीबी और बढ़ी है ?

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी देश या प्रदेश की जन-संख्या में जब वृद्धि होती है तो वह इस बात को सिद्ध करता है कि वह मुल्क गरीब हो रहा है क्योंकि गरीबी में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। आधा पेट खाने वाले के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। यह प्राकृतिक नियम है। मैं, श्रीमन्, १९०१ से ये आंकड़े पेश करना चाहता हूं। १९०१ में जन-संख्या थी २३५०·३ लाख, १९११ में हुई २५०७·४ लाख, १९२१ में हुई २४९९·५ लाख १९३१ में हुई २,७७४·४ लाख, १९४१ में हुई ३१००·६ लाख।

श्री अध्यक्ष—आप आंकड़े कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। २७ हजार लाख को जोड़िये तो २ अरब और ७० लाख आता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—ये आंकड़े हमको दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—क्या आप दुनियां भर की आबादी बता रहे हैं या सिर्फ हिन्दुस्तान की ?

कुंवर श्रीपालसिंह—जी नहीं, मैं सिर्फ हिन्दुस्तान की बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो २७ सौ लाख होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—यही होगा, श्रीमन्।

अब मैं प्रतिशत सुना दूं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९२१ में ३१ प्रतिशत की वृद्धि हुई, १९३१ में ११ प्रतिशत की, १९४१ में १४·२३ प्रतिशत की, १९५१ में १३·३४ प्रतिशत की और १९६१ में २१·४९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरीके से जो यह वृद्धि हुई यह भी इस बात को सिद्ध करती है कि मुल्क बराबर गरीबी की तरफ जा रहा है। इस वृद्धि को रोकने के लिये गवर्नमेंट कहती है कि परिवार नियोजन के द्वारा इसे रोका जा सकता है। मैं इसके लिये भी निवेदन करूंगा कि यह जड़वादी दर्शन के द्वारा या समाजवाद के द्वारा नहीं रोकी जा सकती है। यह अध्यात्मवादी प्रचार से या अपने प्राचीन संस्कारों के प्रचार से रोकी जा सकती है। जबतक हमारे यहां संस्कारों का प्रचार था तबतक जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन आज उसके हट जाने से लेनिन के कहने के अनुसार स्त्री भी ठंढे पानी की तरह है, उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य के लिये, तब से दिन दूनी रात चौगुनी जन-संख्या बढ़ी और बढ़ेगी।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को यह भ्रम है कि स्वतंत्र पार्टी पूंजीवादी पार्टी है। मैं यह स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हम पूंजीवादी नहीं हैं, न समाजवादी हैं। हम हैं जो भारत का नियंत्रित व्यक्तिवाद था उसको मानने वाले, जिसको महात्मा गांधी ने अपने सर्वोदय में रखा है, और यदि हमारे समाजवादी दोस्त ठंढे दिल से इस पर विचार करेंगे तो इसी पर वे भी आयेंगे। मैं बहुत थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या गुण और क्या दोष हैं, और नियंत्रित व्यक्तिवाद में इन दोनों दोषों को छोड़कर केवल उनके गुणों का ही समावेश है।

श्री अध्यक्ष—अब समय है नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह ---श्रीमन्, केवल एक मिनट में निवेदन करूंगा।

पूंजीवादी व्यवस्था में यह होता है कि राष्ट्र का धन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उस धन के जरिये कुछ थोड़े से पूंजीवादी लोग राज्य पर भी कब्जा कर लेते हैं। समाजवाद में पूंजीवादी लोग पूरे राज्य पर भी कब्जा कर लेते हैं। समाजवाद में यह होता है कि राज्य पर कब्जा करके पूरे राष्ट्र के धन को थोड़े से लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। यह पूंजीवाद और समाजवाद का अन्तर है। अच्छा उत्पादन, मितव्ययिता तथा अथक परिश्रम पूंजीवाद का गुण है तथा दूसरों को हानि पहुंचाने में तथा वितरण पर नियंत्रण समाजवाद के गुण हैं। इन दोनों गुणों को लेकर नियंत्रित व्यक्तिवाद होता है। वही स्वतंत्र पार्टी का ध्येय है। उस ध्येय के द्वारा ही उन्नति हो सकती है।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीपाल सिंह जी का साहित्यिक भाषण आज भी मैंने गौर से सुना और उस दिन भी सुनता रहा था।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुरेशप्रकाश सिंह, पीठासीन हुए।)

उनका संकल्प सहकारी खेती तक ही सीमित नहीं है। जैसी उन्होंने उस दिन चर्चा की और आज भी की, कहीं वह आध्यात्मवाद को बीच में लाते हैं, कहीं उन बातों का जिक्र करते हैं जहां पर मुसोलिनी को किसी ने सुला दिया था, कहीं पर समाजवाद का जिक्र करते हैं। उन सब विषयों पर मैं क्या जाऊं? मैं तो अपने को केवल संकल्प तक ही सीमित रखूंगा। वैसे तो मेरा बोझ बहुत हल्का हो चुका है।

पता नहीं माननीय श्रीपालसिंह ने इस बात पर विचार किया या नहीं कि जैसे उनके विचार हैं, इस सदन में पांच फीसदी भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उनके विचार के हों। वैसे तो पार्टी का जिक्र करना आवश्यक नहीं है लेकिन क्योंकि यह विषय खास तौर से स्वतन्त्र पार्टी को विचार में रख कर लाया गया है, मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि इन विचारों को लेकर अभी तक स्वतन्त्र पार्टी ने इस प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, न उन विचारों का प्रतिनिधित्व इस सदन में किया है। जो कुछ हुआ है वह दिल्ली में देखने को मिला है जहां पर सुनते हैं कि पांच हजार वोट मिले थे, एक लोक सभा के उप-चुनाव में। वह तो प्रदेश के बाहर की बात है। इस प्रदेश में जैसा भी उनका संगठन हो। चार वर्ष पहले माननीय सदस्य कुछ अपने स्वतन्त्र विचारों को लेकर आये थे। मैं नहीं कहता हूं कि पुराने राजाओं में यह बुराइयां या अच्छाइयां थीं, लेकिन यह बात जरूर है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, जो १९५१ में जबकि जमींदारी एवं लिशन और भूमि व्यवस्था कानून बना था, उससे पहले दूसरे की कमाई खाया करते थे। दूसरे की कमाई से मेरा आशय यह है कि चूंकि वह जमींदार या सीरदार दर्जे थे इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा वह काश्तकार की कमाई का लेते थे। वह एक वर्ग बीच में था। उस वर्ग को खत्म किया गया। यह स्वाभाविक है कि उस वर्ग के लोगों को समाजवाद अच्छा नहीं लगा। श्रीमन्, आज की परिस्थिति में अगर हम यह सोचें कि समाजवाद सफल नहीं हो सकता, मैं समझता हूं कि यही विचार रखना यह साबित करता है कि विचारों में खोखलापन है। कह देने से कोई विचारधारा रुक नहीं सकती किसी देश या प्रदेश में। लेकिन विशेष रूप से जैसी हवा चल रही है, अगर हम मुकाबला करना चाहें कि हम असमानता दूर नहीं होने देंगे, असमानता रहेगी तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

अधिष्ठाता महोदय, जितने भी भूमि सुधार सम्बन्धी विचार हैं, शायद ही कोई ऐसा विचार होगा जिसको माननीय श्रीपालसिंह ने स्वागत की दृष्टि से देखा हो। या उनके सहयोगियों ने स्वागत की दृष्टि से देखा हो, चाहे वह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हों या न रहे हों। लेकिन यह बात अपनी जगह बिलकुल सही है कि जब जमींदारी उन्मूलन से लेकर आज तक जो भी भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार इस सरकार के हुए हैं उनसे उनका

मेल नहीं खाता, तो स्वाभाविक है कि इन विचारों से भी उनका मेल नहीं खाना चाहिए जब कि एक विचार यह चल रहा है कि हम काश्तकार के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करें। श्रीमन्, यह निर्विवाद बात है कि हमें अपने प्रदेश और देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। जितनी हमें खाद्यान्न की आवश्यकता है वह नहीं है, और न हम अपनी भूमि से उतना उत्पादन कर पाते हैं। यह भी बात अपनी जगह सही है जितना हमारे काश्तकार अपनी भूमि से उत्पादन कर सकते हैं उससे बहुत कम पैदा करते हैं। यानी जितना वह आज पैदा करते हैं उससे बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं, यदि उसके लिए साधन जितने आवश्यक हैं वह जुटाये जा सकें। इस परिस्थिति में कितना हम सफल हुए हैं, श्रीमन्, यह तो समय बतायेगा, लेकिन अभी हमारे काश्तकार पुराने विचारों के हैं, कंजर्वेटिव हैं, वह आसानी से हर विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए जैसी भी हमारी परिस्थिति है उसमें जितना भी स्वेच्छा से हो जाय, अच्छा है। जितना अच्छा बीज और साधन हम जुटाना चाहते हैं, मुमकिन है हम उतना न जुटा पाये हों, जिसकी वजह से उत्पादन में सफलता न हुई हो, यह तो दूसरी बात है; लेकिन यह चीज अपनी जगह पर है कि हमको कृषि का उत्पादन बढ़ाना है और जब तक हम कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे तब तक चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम उन्नति कर सकें या प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकें, यह मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारा लक्ष्य यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा भूमि से उत्पादन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति की शक्ति का प्रयोग कर सकें। इन दोनों बातों को देखते हुए छोटे-छोटे काश्तकारों का इस तरह बिखरा रहना ठीक नहीं है। यह बात जरूर है कि जैसा आज हमारा विघटित समाज है, उसमें हम सहकारिता के ऊपर सोचने में घबड़ाते हैं। कुछ लोगों के ऐसे विचार हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं-कहीं जो बीज वगैरह की सहकारी समितियां चल रही हैं वहां वह उतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं, लेकिन केवल इस भय से कि उन व्यक्तियों का चरित्र जो कि उन सहकारी समितियों को बनायेंगे उतना ऊंचा नहीं है जितना कि होना चाहिए, केवल इसी बात को सोचकर हम इस आन्दोलन को शुरू न करें, यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता।

श्रीमन्, यह तो आंकड़ों से उस दिन माननीय सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था और बता दिया था कि किस तरह से इन सहकारी समितियों के बनने से उत्पादन बढ़ा। मैं विदेशों की बात नहीं करता, मैं तो अपने प्रदेश की बात करना चाहता हूं। अपने प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में छोटे-छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास कि औसत दो एकड़ भूमि है और पूरब में तो इससे भी बहुत छोटी काश्त उनके पास है जिस पर कि एक पूरा परिवार निर्भर रहता है। उनकी पूरी ताकत उस छोटे से खेत पर काम करने में ही सीमित रहती है जिससे कि वह अपने खाने भर को उत्पादन मुश्किल से कर सकते हैं। उस छोटे खेत पर क्या यह सम्भव हो सकता है कि वह उन सभी साधनों को जुटायें जिनके कि जुटाने की आवश्यकता होती है। उस छोटे से खेत के लिए बैल रखना जरूरी है या और भी आवश्यक साधनों को रखना जरूरी है। लेकिन श्रीमन्, अगर उसका हिसाब देखा जाय, जितना उसका रुपया उस पर लगता है उस छोटी सी खेती पर, तो मालूम होगा कि वह बहुत ज्यादा हो जाता है और उस परिवार की मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा उस छोटी सी खेती पर सीमित हो जाता है। उसमें सुधार करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और साधन समितियां, श्रीमन्, यह कुंवर श्रीपालसिंह जी भी स्वीकार करते हैं कि, अच्छा काम कर रही हैं।

यह बात भी स्वीकार की जाती है कि काश्तकारों की हालत केवल उनका उत्पादन बढ़ा देने से ही अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि उसका उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उसके लिए बाजार का भी प्रबन्ध न किया जाय। अगर यह बात है तो छोटे-छोटे काश्तकारों को, जो स्वेच्छा से अपनी खेती को सहकारी ढंग से चलाना चाहते हैं क्यों न प्रोत्साहन दिया जाय? जैसा कि गौतम जी ने कहा था कि यह संविधान के खिलाफ होगा---जब कि हमारा लक्ष्य यही है कि हम सहकारिता के आधार पर खेती को प्रोत्साहन दें---तो यह संविधान के खिलाफ होगा ऐसा प्रस्ताव पास करना जिसमें कि यह कहा जाय कि सहकारी खेती को किसी प्रकार की सहायता या

[श्री रामस्वरूप यादव]

प्रोत्साहन न दिया जाय। सहकारी खेती को प्रोत्साहन न देना गरीबी को बढ़ाना है। अगर यह बात नहीं है तो पिछला इतिहास उठा कर देख लिया जाय कि माननीय श्रीपालसिंह जी हैं जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि, मुश्किल से ५ फीसदी ही होंगे। कभी उन्होंने यह सोचा कि किसानों की हालत आजादी के पहले क्या थी? क्या किसान और मजदूर की हालत पर कोई कभी विचार करता था? कोई सोचता था कि आज किसानों के बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके लिये कुछ प्रबन्ध किया जाय? जो हर तरह से सम्पन्न थे चाहे उनको जमींदार कहें या रुपये वाले कहें, उन व्यक्तियों ने कभी अपनी आमदनी का हिस्सा उनको दिया? क्या उनके पास खाने के लिये है और क्या उनके बच्चों की व्यवस्था है उस पर कोई सोचता नहीं था। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है।

सहकारिता का जो सिद्धान्त है वह सारी सम्पत्ति को सीमित नहीं करता है किन्तु उत्पादन के बढ़ाने के साथ-साथ जो लेबर है, उसके परिवार से जो मेहनत ली जाती है उसके उपयोग के लिये खेती की सहकारिता की बात सोची जाती है। अगर आज एक परिवार के सारे व्यक्ति सहकारिता पर निर्वाह करना चाहें तो सब व्यक्ति उस काम पर नहीं लग सकते। कम से कम आधे ही व्यक्ति ही ऐसे हो जायं कि जो इसमें लगें तो आधे व्यक्ति दूसरे काम में खपाये जा सकते हैं। कृषि प्रधान देश में भी यह मुश्किल है कि सब लोग काश्त पर निर्भर रहें। उनकी जीविका के लिए यह आवश्यक है कि छोटे-छोटे उद्योगों में उनको लगाया जाय जहां पर सब काश्तकारों की सहकारी समितियां बन जाती हैं। उनमें सारे व्यक्ति नहीं जाते हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को उद्योग के काम में लगाया जाता है और वह छोटे-छोटे उद्योगों में समिति बना कर काम कर सकते हैं।

हमारा तीसरे प्लान में यह लक्ष्य है कि बड़े-बड़े उद्योग और कारखाने खोले जायं। उसके चारों तरफ छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाना है। वह खोले ही इसलिये जाते हैं कि उसके चारों तरफ छोटे-छोटे उद्योग पनपाये जायं। जब छोटे-छोटे उद्योग उन क्षेत्रों में पनपेंगे तो सहकारी कृषि के काम के बाद जो मैन पावर बचेगी वह उन उद्योगों के काम में आयेगी। इस तरह से उत्पादन देश में बढ़ेगा तो उन काश्तकारों की आय भी बढ़ेगी। उनके आय बढ़े बिना उनकी हालत ठीक नहीं हो सकती है। हमारा लक्ष्य यही है कि उन काश्तकारों की हालत को सुधारने के काम किये जायं। जब उनकी हालत को सुधारना लक्ष्य है तो कुछ काश्त पर अपना काम करेंगे और कुछ मैन पावर को उद्योग के काम में लगाना होगा।

आज देश के लिये उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके लिये यह जरूरी है कि उनको एक जगह केन्द्रित करें। उनको अच्छा बीज, अच्छा पानी और अच्छे यन्त्र दिये जायं, तो पैदावार बढ़ सकती है। अच्छे बीज और अच्छे यन्त्र का प्रबन्ध करना एक परिवार के लिये कठिन होता है क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है। अगर कई व्यक्ति मिल जायं और उसको पूल कर लें तो उससे अपनी सारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और उससे उत्पादन भी बढ़ सकता है। मैं समझता हूं अगर आर्थिक दृष्टि से काश्तकारों के शोषण को हमें रोकना है और काश्तकारों को आर्थिक शोषण से बचाना है तो यह आवश्यक है कि उनका रुझान उस तरफ किया जाय कि वह सहकारी समिति के अन्दर अपने सब कार्य करें। एक आदमी अगर कोई काम शुरू करता है तो पहले उसमें सफलता नहीं होती है और दिक्कत होती है। कुछ आदमी उनसे कहते चले जायंगे कि यह सहकारी खेती नहीं है बल्कि सरकारी खेती है। 'ह' के स्थान पर 'र' रखना मुश्किल नहीं होता है। इस सरकारी और सहकारी खेती के फर्क को हर एक काश्तकार के लिये समझना मुश्किल है किन्तु जब इसका प्रसार होगा तो सब समझने लगेंगे। यह बात जरूर है कि किसान को अपनी भूमि से स्नेह होता है और वह उसकी पैतृक भूमि होती है किन्तु जो उसके सामने दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हल करने का उपाय करना चाहिये और उसके लिये उनको साधन जुटाने चाहिये जिससे उनके बीच में भ्रम न रहे। सरकार का यह लक्ष्य है कि उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय। काफी ऐसी समितियां दूसरी योजना में बनी हैं और तीसरी

योजना में और भी बढ़ेगी। मेरा खयाल है कि ऐसी समितियों को ही ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है कि जिन समितियों के अन्दर किसान अपनी भूमि का मालिक बना रहे। उसको साधन को सुविधायें देने के लिये उन समितियों को जो आवश्यक है वह सहायता और दी जाय। मैं समझता हूं, जैसा मैंने कहा, कि यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर एक बड़े बहुमत का घोर विरोध अगर उग्रसेन जी ने किया तो उससे मुझे आश्चर्य नहीं होता और घोर विरोध का नतीजा घोर विरोध ही होता है। जिसे सबसे कम संख्या में समर्थन मिले उसका घोर विरोध होगा ही, तो इसलिये मैं भी इसका घोर विरोध करता हूं और श्रीपालसिंह जी इस पर पुनर्विचार कर लें। आज की परिस्थिति में जब कि समाज और विश्व सोशलिस्ट पैटर्न पर जाना चाहता है, सब ओर की आवाज है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना यहां होनी चाहिये, यह एक अजीब सी बात उनके मुंह से निकलती है। अच्छा हो कि उनकी पार्टी भी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात सोचे, भले ही वे कुछ लोगों के लिये पैतृक अधिकार उसमें सुरक्षित कर दें और अपनी तरफ से वह चाहे जैसी परिभाषा उसकी कर लें; लेकिन वह सोचें कि आज विश्व किस ओर जा रहा है और वे किस ओर जा रहे हैं। उनका भाषण अच्छा रहा। आध्यात्मवाद में यह तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी की हालत खराब होनी चाहिये। उसमें तो सब जीव समान माने गये हैं। उसका इससे सम्बन्ध न जोड़िये। हम तो गांधियन विचारों के हैं, उनकी फिलासफी में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के ढंग की सोसाइटी यहां कायम करना चाहते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि कुंवर श्रीपालसिंह जी अपना संकल्प वापस ले लेंगे अन्यथा उसे अस्वीकार कर दिया जायगा।

**श्री अधिष्ठाता**—अब इस संकल्प पर प्रश्न दो बजे उपस्थित किया जायगा। इस समय माननीय नारायणदास पासी अपने संकल्प को प्रस्तुत करेंगे।

## १८५७ के क्रांतिकारियों और देशभक्तों को राजनीतिक पीड़ितों के समान सुविधायें देने के लिये संकल्प

**श्री नारायणदास पासी** (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सन् १८५७ ई० में चलाये गये स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, "क्रान्तिकारियों और देशभक्तों के परिवारों को, जिनकी संपत्तियां जब्त हो गयीं अथवा जो अपने घरों से निष्कासित किये गये अथवा जो लूटे फूंके गये, अथवा जो नैपाल की तराई और प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में भयंकर दुख उठा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जायं और राजनीतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधायें दी जायं।"

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करने का आपने मुझे मौका दिया। आज इत्तफाक की बात है कि पहली मई है और आज रूसी अथवा किसान मजदूर क्रान्ति दिवस सारे विश्व में मनाया जा रहा है। यह भी एक इत्तफाक है कि इसी १० मई, १८५७ को यहां क्रान्ति शुरू हुई थी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जिस समय १५ अगस्त, १९४७ को हमारा मुल्क आजाद हुआ उस समय ८ जनवरी को हमारी सरकार ने 'हिन्दुस्तान' में मैंने देखा था, यह घोषणा की थी कि जो जायदादें १८५७ के गदर के सिलसिले में लोगों की जप्त हुई हैं, उनको वापस कर दिया जायगा या उस सिलसिले में विचार किया जायगा। अंजाम उसका यह हुआ कि कुंवरसिंह, जगदीशपुर की जायदाद बिहार सरकार ने वापस की। झांसी में भी कुछ हुआ। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के बारे में भी कुछ बात हुई। श्रीमन्, ऐसा विचार होता रहा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाय। लेकिन श्रीमन्, आप जानते हैं अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। इस बीच में हुआ यह कि सन् १९५२ में जिस वक्त जमींदारी उन्मूलन हो गया तो वह सम्पत्ति जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी उनके खैरख्वाह लोगों को तथा उन लोगों को जिन्होंने सन् १८५७ में गद्दारी की थी दे दी गयी और उससे उन्होंने बेजा फायदा उठाया। आप जानते हैं कि करीब डेढ़ अरब रुपया मुआवजे का उन लोगों को मिला जिनमें से बहुत से हमारे प्रदेश में अंग्रेज के खैरख्वाह थे। आप जानते हैं अधिष्ठाता

[श्री नारायणदास पासी]

महोदय, राणा देवीबक्श सिंह बिसेन, गोंडा, रानी साहिबा, तुलसीपुर, गोंडा, राजा बेणीमाधो, शंकरपुर, आदि लोगों की सम्पत्ति जब्त करके दूसरों को दी गयी। विक्टोरिया की घोषणा के बाद भी संग्राम जारी रहा और नैपाल की तराई में लड़ते-लड़ते सैकड़ों वीर मारे गये, उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और वह दूसरों को दे दी गयी। यह तो बातें हैं, किन्तु १८५७ के बाद हमारा स्वतंत्रता संग्राम तेजी के साथ आगे बढ़ा। कुछ विदेशी लोग यह कहते हैं कि उस समय गदर में जो मामूली जमींदार थे और छोटे-छोटे पद के उद्दण्ड सिपाही थे उन लोगों ने जनता को आकर भड़काया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसका फल भी सारे प्रदेश को भुगतना पड़ा। उस समय का इतिहास भी लिखा गया, लेकिन आप जानते हैं इतिहास अपनी जगह पर इतिहास ही होता है। जो उस समय १८५७ में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी वह खास तौर से उत्तर प्रदेश में हुई थी। उसमें पूरी असफलता जरूर रही थी, लेकिन वास्तव में वह असफलता नहीं थी। यहां पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी राज्य करती थी और उस समय जो लड़ाई देश ने लड़ी वह बड़े भयंकर रूप में हुई जिसमें हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी की थी। उसी का फल था कि उस समय ईस्ट इन्डिया कम्पनी का राज्य खत्म हुआ और इंगलैण्ड की रानी विक्टोरिया का यहां शासन हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लोगों ने भाग लिया था और वे मारे गये थे। उस समय के महान् वीरों के प्रति बेला में शताब्दी मनाई जाती है। हमारी सरकार ने उन सेनानियों के, जो उस समय शहीद हुये थे, जगह-जगह स्मारक भी बनाये हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिये जो भी आन्दोलन हुये हैं उन सब में उनकी पहली सीढ़ी १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम की थी।

श्रीमन्, आप उसको इतिहास में देख लें और यह संग्राम जो अत्याचार अंग्रेजों ने किया हुआ था उस बुनियाद पर भी था। उसका मैं क्या वर्णन करूं, सिर्फ इतना ही समझ लिया जाय कि जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम सेनानी बनाया गया था वह बहादुरशाह था और बहादुरशाह ने सर्वप्रथम वह काम किया था जिसे हिन्दू मुसलिम एकता कहते हैं। उन्होंने एलान कर दिया कि हिन्दू मुसलमान जो भी हमारे देश में रहते हैं वह सब एक हैं और हमें किसी भी तरह से विदेशी गवर्नमेंट को निकाल बाहर करना चाहिये और श्रीमन् उनके साथ क्या हुआ? जिस वक्त १० मई, १८५७ को मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो मेरठ आजाद हो गया, दिल्ली भी आजाद हो गयी और सारे देश में एलान हो गया कि इन विदेशियों को सारे देश से ही निकाल दिया जाय जैसा हमारे राष्ट्रपिता परमपूज्य गांधी जी ने सन् १९४३ में कहा था "क्विट इंडिया", "भारत छोड़ो", वह उसी का प्रतिरूप था। जिस समय दिल्ली का पतन हुआ हमारे देश के कुछ गद्दारों ने और कुछ अन्य लोगों ने, जो समझते नहीं थे इस लक्ष्य को कि भारत को आजादी क्या चीज है खासतौर से सिक्खों और गोरखों और बिलोचियों तथा गोरों ने, सबने मिल कर दिल्ली फतेह किया था। आप उस घटना पर ध्यान दें कि सबेरे का वक्त था बहादुरशाह बैठे हुये थे, हडसन, मिर्जा मुगल, मिर्जा अस्फरी और अबूबकर, दो उनके पोते और उनके बेटे थे, उनके सिर को काट लेते हैं और हडसन उनके सिरों को लाकर क्रान्ति-नेता बहादुरशाह के सामने रख देता है और कहता है कि यह सौगात ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आपके लिये भेजी है। बहादुरशाह ने अपने पोतों और बेटों के कटे हुये सर थाली में रखे देखे और कहा कि अलहम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद अपने बाप के सामने ऐसे ही सुर्खरू होकर आती है। फिर हडसन से कहते हैं—

"हडसन तू भी इन्सान है करतूत है हैवान की।
इन्सानियत को मार दी औलाद तू शैतान की।।"

उसके बाद कांप उठता है और भावुकता में आते हुये कहता है :—

"हरबा में दम नहीं अब खैर मांगो जान की,
ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिन्दुस्तान की।।"

जिस वक्त वह कैद होता है और अन्धा करके रंगून भेजा जाता है तो कहता है---

'अलविदा अहले वतन जाये न रूह फर्मान की।
आजादी के पैगाम की और शान हिन्दुस्तान की।'

दिल्ली के पतन के बाद कानपुर-बिठूर में पेशवा जी बाजीराव, के दत्तक पुत्र श्री बाजी राव जी झांसी की रानी और तांत्या टोपे इन सरदारों के साथ न केवल बड़े-बड़े वीर थे बल्कि आम जनता थी और झांसी की रानी के साथ ४ स्त्रियां, मन्दार, झलकारी, चम्पा और सुन्दर वीरांगनायें थीं। जिस समय ह्यू रोज पीछा करता है रानी झांसी का वह २२ आदमियों को लेकर लड़ती है। हजारों गोरों के साथ युद्ध में जिस वक्त इधर मन्दार को गोली लगती है तो वह मरती हुई कहती है कि बहिन मैं विदा होती हूं। झांसी की रानी लौट पड़ती है और जिस गोरे ने गोली मारी थी उसके ऐसी तलवार मारी कि :--

'तुण्ड काट, मुण्ड काट, जोशन जिरह काट
नीमा जामा जीन काट, जिमीं आन ठहकी ।।'

और उस अंग्रेज की बोटी-बोटी काट दी और इस तरह से झांसी की रानी फिर आगे बढ़ती हैं। नाले के पास जहां गंगाराम बाबा की कुटी थी जहां रामचन्द्र राव ने दाह क्रिया की थी वहां अंग्रेज घेर लेते हैं एक अंग्रेज बुरी तरह घायल कर देता है उस वीरांगना को लेकिन वह तलवार मारती है उस अंग्रेज का सर फट जाता है सीना कट जाता है और फिर गोरे की बोटी-बोटी काट कर वह अमरगति की अन्तिम सांस लेती हैं और कहती है "इन्कलाब जिन्दाबाद" और बैकुंठ को जाती हैं।

श्रीमन्, अवध में क्या हालत होती है कि फैजाबाद के एक मौलवी अहमद उल्ला शाह थे, एक बेगम हजरत महल थीं जो कि एक गरीब मुसलमान के यहां पैदा हुई और बढ़ते-बढ़ते वाजिद अली शाह की ेगम हो गयीं। इनके साथियों के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़े-बड़े राजा रहे हों, बल्कि देश के नेता थे कुछ ताल्लुकेदार थे तथा हजरत महल बेगम की फौज में ४० हजार तो पासी थे जोकि युद्ध में शहीद हुए। इसी तरह से अहीर, कुर्मी, गड़रिये, छत्रिय, ब्राह्मण वैश्य इत्यादि हिन्दू- मुसलमान अनेकों थे। लाखों की तादाद में लोग लखनऊ में लड़े और शहीद हुए, स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ़ गये।

श्रीमन्, आप जानते होंगे कि मैंने भी यह कहा था कि देश में जो क्रान्ति हुई वह यूरोप की क्रान्ति की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रान्ति थी। उसकी तस्वीर यह है कि १८१५ में जिस समय ब्रिटेन के अन्दर टोरी दल राज्य कर रहा था, वहां का कार्न ला पास होता है। उसका ध्येय यह था कि ब्रिटेन के अन्दर किसान भूखे मर जायं, बाहर से गल्ला न आ सके और हम शोषण करें। फल यह होता है कि किसान क्रान्ति करता है, शहरों को फूंक देता है, पार्लियामेंट पर चढ़ाई करता है, फौजें जाती हैं, दमन करती हैं और हजारों किसानों को पकड़ कर आस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। इस तरह से १८२६ में क्रान्ति बराबर जारी रहती है। फिर मजदूर दल सशस्त्र क्रान्ति करता है, लाखों आदमी उसमें काम आते हैं और साथ ही वह बालिग-मताधिकार प्राप्त कर लेता है। यह क्रान्ति केवल ब्रिटेन में ही नहीं, फ्रांस में, जर्मनी में भी हो रही थी और ३० वर्ष के जर्मनी के युद्ध में लाखों, करोड़ों आदमी मारे गये थे और वहां के किसानों, मजदूरों, गरीबों ने जो क्रान्ति की थी उसका फल यह हुआ कि फ्रांस सर्वप्रथम जनतांत्रिक देश घोषित हुआ। इस प्रकार से आपको मालूम हो गया होगा कि टोरी दल, सामंत वर्ग, राजा वर्ग और पूंजीपति किस प्रकार मिलकर जनता का शोषण करते हैं। जब उसकी हवा हमारे यहां पहुंची तो टोरी दल और ईस्ट इंडिया कम्पनी में समझौता होता है जिसमें किसानों का सारा अनाज वह खरीद लेती है, छीन लेती है मालगुजारी के रूप में और हमारे प्रदेश और देश में इतना जबर्दस्त अकाल पड़ता है कि १ करोड़ आदमी उसमें मर जाते हैं और बिहार के गवर्नर, टेलर, ने जो रिपोर्ट दी

[श्री नारायणदास पाहो]

है वह यह है कि बड़ी आसानी से, खूबसूरती से, बिला किसी रोकथाम के करोड़ों रुपया माल-गुजारी का जनता से वसूल हो गया।

श्रीमन्, आप सोच लीजिये कि क्या दशा हमारे देश की थी। उस समय के नेता, जैसा कि कहा जाता है राजा लोग थे। मैं जानना चाहता हूं कि स्वामी दयानन्द जी कहां के राजा थे, श्री राममोहन राय कहां के राजा थे और श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द कहां के राजा थे? उस समय उन नेताओं ने धार्मिक रूप में या सामाजिक रूप में जो क्रान्ति की उसने जनता को बल दिया। तो श्रीमन्, उसी क्रान्ति का प्रभाव यह पड़ा कि हमारे देश के लोगों ने आजादी की कोशिश की। उनके अन्दर यह जागृति पैदा हुई कि देश आजाद हो। श्रीमन्, इटावा में ए० ओ० ह्यूम कलेक्टर था गदर में, वह गूजरी का लंहगा और चोली पहन कर एक स्त्री का रूप धारण करके भाग गया। उसने बहुत से जुल्म जिले में किये थे। १८८२ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने आवाज उठाई अखबार के जरिये सरकार के विरुद्ध। उन्होंने आवाज भी उठाई और जेल भी गये।

१८८३ में सारे देश और प्रदेशों का दौरा करके बंगाल के नेता श्री रासबिहारी लहरी की अध्यक्षता में प्रथम कांग्रेस की बुनियाद डाली गई। उस समय ह्यूम ने लार्ड डलहौजी को रिपोर्ट दी कि अगर भारत की जनता के असंतोष पर ध्यान न दिया गया तो वैसी ही भयंकर क्रांति यहां भी हो जायेगी जैसी कि विलायत में हुई थी। यह आग जो भड़की हुई है वह रुकने वाली नहीं है। तब १८८५ में बम्बई में श्री सुरेन्द्रनाथबनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन होता है और दूसरा अधिवेशन श्री बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। दोनों संस्थायें एक दूसरे की विरोधी थीं लेकिन एक अरसे के बाद हमारे नेताओं ने आजादी की आवाज उठाने वाली संस्था बना ही ली। जब यह संस्था श्री गोपालकृष्ण गोखले और तिलक के हाथ में आई और लाला लाजपत राय के हाथ में आई तो वह संस्था क्रान्तिकारी हो गई। पहले यह संस्था इतनी संकीर्ण थी, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे पूज्य बापू को, श्री लोकमान्य तिलक अपने अधिकारों से एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखते थे। १९२० में गांधी जी का प्रभुत्व कांग्रेस पर हुआ और अहिंसात्मक आन्दोलन शुरू हुआ। उसके बाद कुर्बानियां हुईं और जिस प्रकार से संग्राम हुए वह सदन के सदस्यों को मालूम ही है क्योंकि यहां पर सदन में बहुत से त्यागी, और और तपस्वी सज्जन और देवियां बैठे हैं जिन्होंने सन् १९४२ के स्वतन्त्रता संग्राम में पूर्णरूप से भाग लिया है और तरह-तरह की यातनायें और कष्ट भोग चुके हैं। श्रीमन्, इस प्रकार से हमारा स्वतन्त्रता संग्राम १५ अगस्त, १९४७ को पूर्ण होता है। और देश आजाद होता है। हमने इस बात की जरूर कोशिश की है और हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि स्वतन्त्रता संग्राम में जेल गये हुए सेनानियों को कुछ पेंशनें दीं। हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी की सहानुभूति काकोरी केस से थी जिसमें २८ आदमी पकड़े गये थे, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह साहब आदि क्रान्तिकारी देशभक्त थे। यह सही है कि आजाद जी नहीं पकड़े गये थे वह बाहर चले गये थे, लेकिन हमारे बड़े-बड़े वकील-नेताओं ने उस मुकदमे की पैरवी की जैसे माननीय स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, मोहनलाल सक्सेना, हमारे मुख्य मंत्री और चौधरी साहेब। उस ५०१० की डकैती के मुकदमे के ऊपर १० लाख रुपया गवर्नमेंट ने खर्च किया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि वह मामूली केस नहीं था। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों में बेगम हजरत महल और राणा बेनीमाधो सिंह भी हैं जो नैपाल की तराई में गये और फिर नहीं लौटे। उनके साथ हजारों व्यक्ति थे उनकी भी हालत की जांच होनी चाहिये कि उनके बंशजों की क्या दशा है। जो लोग बुरी हालत में पड़े हुए हैं उनको सहायता या तो उन लोगों के मुआवजे में से दी जाय जो उनकी रियासतें लिये हुए हैं या सरकार कोई और प्रबन्ध करे परन्तु उन्हें राष्ट्रीय सम्मान सूचक-प्रमाण पत्र और राजनीतिक पीड़ितों के अधिकार अवश्य मिलने चाहिये।

नैपाल की तराई वह क्षेत्र है जहां यदि हमला हो तो २४ घंटे में हमलावर लखनऊ में आ सकता है। आज बिलकुल समझिये मैदान साफ है। वहां के पानी में मिट्टी के तेल का असर है। वहां बड़े-बड़े मच्छर हैं वहां कोई भी सफाई के साधन नहीं हैं। जहां हमारी सहानुभूति ने, हमारी इस रोशनी ने, अभी तक प्रवेश नहीं किया ऐसी जगहों पर जो लोग रह रहे हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि सन् १८५७ के सभी शहीदों के परिवार का इन्तजाम आप कीजिये अथवा सनद बांटिये। उन में से बहुत से मर भी चुके हैं। जिनके कोई नहीं है उनका सवाल नहीं है। लेकिन उत्तराधिकारियों को सहायता और सम्मान मिलना ही चाहिये। मेरा यह सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज कन्हई और भुवन, इसी घासीराम पुर्वा में, जहां यह आदरणीय सदन खड़ा है, वीरगति को प्राप्त हुए। हमारी भी जागीर जब्त हुई। हमारे माता-पिता ने मिट्टी बेच-बेच कर थोड़ा अक्षर-ज्ञान हमें करा दिया, लेकिन हमने आज तक सुख नहीं पाया है। इस सदन में आपके एक भुक्त भोगी की तरह से खड़ा होकर मैं अपनी आवाज रख रहा हूं कि सरकार उनकी ओर जो सन् १८५७ से सन् १९४२ तक त्याग कर चुके, मर खप गये उनके बच्चों पर, ध्यान दें और उनके लिये गौर करें, उनकी सहायता करें, जिन माताओं बहनों और भोले-भाले बच्चों की पूर्वज देशभक्ति में, युद्ध में लड़कर खत्म हो गये, खप गये, जिन्होंने अपनी सम्पत्ति जब्त कराई और कट गये, हमारी सरकार का कर्तव्य है कि उन लोगों के लिये कुछ इन्तजाम करे और उनका सम्मान करे।

श्रीमन्, आजादी सारे शहीदात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए, इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव की भावना को समझ कर इसे पारित करने की अनुज्ञा दे।

**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)--मान्यवर, इस पर मेरे दो संशोधन हैं, पहला और तीसरा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों को एक साथ रख दूं?

**श्री अधिष्ठाता**--जी हां।

**श्री रामजीलाल सहायक**--अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नारायणदास जी पासी के संकल्प में ये संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की पहली तथा दूसरी पंक्ति के शब्द "सन् १८५७ में चलाये गये स्वतन्त्रता संग्राम" के स्थान पर शब्द "भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामों और आन्दोलनों" रख दिया जाय, तथा संकल्प की तीसरी पंक्ति के शब्द 'के' को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "अथवा उनके" रख दिया जाय।

**श्री अधिष्ठाता**--मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि संकल्प की तीसरी पंक्ति में शब्द "के" है ही नहीं ....

**श्री रामजीलाल सहायक**--जो पहले हमको मिला था उसमें तीसरी पंक्ति में है और अब दूसरी में है।

**श्री अधिष्ठाता**--ठीक है।

**श्री रामजीलाल सहायक**--मान्यवर, आज कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो देश-भक्तों के प्रति अपना आदर-सम्मान प्रकट न करे। देश के लिये जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दीं और त्याग किया, जिन्होंने स्वतन्त्रता के आन्दोलन में भाग लिया, वे देश-भक्त सदैव ही सम्मान के पात्र रहे हैं और रहेंगे। इसलिये माननीय नारायणदास पासी जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, सन् १८५७ से, जबसे हमारे देश की स्वतन्त्रता का सूत्रपात हुआ, आज तक संक्षेप में उसका इतिहास उन्होंने रखा है। हमारी स्वतंत्रता का इतिहास तो लम्बा है और इस १०५ वर्ष के लम्बे इतिहास को बिस्तार से रखना भी एक व्यक्ति के लिये कठिनाई की बात है। उन्होंने फिर भी संक्षेप में बहुत-सी बातें बता

[श्री रामजीलाल खाटिक]

दी है। मैं उनमें न जाकर इतना निवेदन करूंगा कि देश-भक्तों और शहीदों का स्थान हमारे देश में सराहनीय और सर्वोच्च रहा है। एक अंग्रेजी के कवि ने कहा है, मैं उसके ब्यौरे में न जाता हुआ संक्षेप में सारांश बताये देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने देश के बाहर विदेश में जाकर लौटने को लालायित नहीं होता है या अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य-पालन नहीं करता, जिसके हृदय में देश के प्रति कोई प्रेम नहीं होता, ऐसा व्यक्ति चाहे जितना धनाढ्य हो, राजा हो या महाराजा हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई कवि अपनी कविता नहीं बनावेगा, कोई संगीतज्ञ अपना गीत नहीं गावेगा और देश के प्रति जो देश-भक्त की भावनायें नहीं रखता है, उसको कोई सम्मान प्रदान नहीं करेगा।

जब उन्होंने अपने देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिये अपने प्राणों की आहुति दी तो हमारा सब का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि हम उनके प्रति आदर प्रकट करें और उनके परिवार वाले, जो खोजे जा सकें उनको हम सम्मान दें, प्रमाण-पत्र दें अथवा उनके प्रति जो कुछ कर सकें, करें।

मान्यवर, मैं अपने संशोधन के द्वारा श्री नारायणदास जी पासी से आगे बढ़ कर कुछ बात कहता हूं। क्योंकि उनके प्रस्ताव में १८५७ के आन्दोलन को अधिक वजन दिया गया है लेकिन मेरा ऐसा मत है कि हमारे देश में १८५७ का आन्दोलन तो हमारे देश में आजादी की लड़ाई का सूत्रपात था और उसके बाद हमारी आजादी की लड़ाई कई रूपों में आयी। हम देखते हैं कि उसके बाद कई आन्दोलन चलाये गये--१९२० में चला, १९३० में नमक सत्याग्रह हुआ, १९३१-३२ में सत्याग्रह आन्दोलन चला, १९३७ में चला और उसके बाद १९४१-४२ में चला। ये जितने भी आन्दोलन चले उन सब का संबंध भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से था और ये विभिन्न दलों द्वारा लड़े गये। जब कि एक ओर हम सत्य और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो दूसरी ओर ऐसे भी देश भक्त कम न थे जिनको बम पार्टी का नाम दिया जाता था, क्रांतिकारी दल का कहा जाता था। यद्यपि उनको हम उतना बल नहीं देते थे फिर भी उनका सहयोग हमारे देश की स्वतन्त्रता में पूरा रहा। क्या हम चन्द्र शेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को भुला सकते हैं? ये हमारे वे देश भक्त हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की आजादी के लिये दे दी, जो हंसते-हंसते अपने गलों में फांसी का फंदा डालकर फांसी के तख्ते पर लटक गये। चाहे वे अहिंसा की नीति के विपरीत ही रहे हों लेकिन देश की स्वतन्त्रता में उनका पूरा-पूरा सहयोग रहा। आज हम उन क्रान्तिकारी दलों और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को भुला नहीं सकते। आजाद हिन्द फौज से भी हम सब लोग परिचित हैं। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने इस बात का बीड़ा उठाया था कि हम अहिंसा के बजाय हथियारों से लड़ें और उसके लिये उन्होंने एक फौज संगठित की थी। हमें उनके प्रति भी सम्मान प्रकट करना होगा।

मान्यवर, १८५७ आज से १०५ साल पहले की बात है इसलिये उसमें भाग लेने वाले शहीदों के परिवारों का पता लगाना भी एक कठिन कार्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि १९३०, १९३२, १९४१ और १९४२ के आन्दोलनों में भाग लेने वालों के परिवारों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ लोगों की एक कमेटी बनाये जो उन देशभक्तों का पता लगाये जिन्होंने इन आन्दोलनों में भाग लिया है और फिर उनके रिश्तेदारों का पता लगाया जाय। और जैसा कि माननीय नारायण दास जी ने अपने संकल्प में कहा है, कि उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जायं, उनको जो नुकसानात हुए हैं उनका मुआवजा दिया जाय, उनके इस विचार से मैं सहमत हूं और यह चाहता हूं कि वह कमेटी इस बात का पता लगाकर उन देशभक्तों को सम्मानित करे। हम सरकार को इस बात के लिये बधाई देते हैं कि उसकी निगाह इस ओर रही है। हमारे प्रदेश में ही कई स्थानों पर शहीद स्मारक बनाये गये हैं और सरकार ने एक कमेटी बनायी है जो स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिख रही है; फिर हम यह भी जानते हैं कि बहुत से राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें भी दी जाती हैं। यह सब कार्य सरकार की ओर से

होता है। कुछ लोगों को और भी व्यापारिक सहूलियतें दी गयी हैं ताकि वे अपने धंधे लगा कर काम कर सकें, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन हम समझते हैं कि देशभक्तों तथा उनके परिवारों के लिये जितना भी किया जा सके वह थोड़ा है। जिन देशभक्तों ने अपना सब कुछ देश के प्रति लगा दिया उनके लिये हम सभी का यह फर्ज होता है कि हम अधिक से अधिक उनका सम्मान करें।

श्रीमन्, जहां सरकार पेंशन देती है, वहां बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने खुद ही अपनी देशभक्ति के आवेश में अपना सब कुछ बर्बाद किया और वे कुछ भी नहीं चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ८० वर्ष की हो गयी है, लेकिन जब उनसे हमने कहा कि आप पेंशन के लिये कुछ लिखा पढ़ी करें, तो उन्होंने यह कह कर मना कर दिया कि हमने कोई गवर्नमेंट से मुआवजा लेने के लिये आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि हमने तो अपने फर्ज को अदा किया है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो काफी परेशानी में हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनकी जमीनें छीनी गयी हैं, और उनके कमाने के जो जरिये थे वे भी छीने गये हैं, और उन लोगों का कोई इन्तजाम नहीं हो पा रहा है।

मैं इन शब्दों के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव उनके सम्मुख है उस पर वे विचार करें और मेरा अपना सुझाव है कि सरकार एक कमेटी संगठित करे जो न केवल सन् १८५७ के आन्दोलन में, बल्कि उन सभी आन्दोलनों में, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये लड़े गये हैं उनमें जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों तथा, जो जिन्दा हैं का सम्मान किया जाय और जितनी उनकी बर्बादी हुई है, और जो उनकी जमीनें तथा और चीजें छीनी गयी हैं, उनके लिये सरकार मुआवजे के रूप में जहां तक मदद कर सकती है, करे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पहली तथा दूसरी पंक्ति के शब्द "ई० में चलाये गये" के स्थान पर शब्द "सन् १९२०, ३०, ३२, ४१, तथा ४२ की आजादी के सैनिक तथा व्यक्तिगत सत्याग्रही और कांग्रेस सेवा दल आन्दोलन के सिपाही तथा मैनपुरी, मेरठ और काकोरी षडयन्त्र केस के तथा लाहौर षडयंत्र केस और अन्य स्थानों के आजादी के आन्दोलनों के शहीद उत्तर प्रदेश के निवासी और आजादी की लड़ाई में विभिन्न दफाओं में हिंसक तथा अहिंसक आन्दोलनों में भाग लेने वाले" रख दिये जायं।

संकल्प की दूसरी पंक्ति के शब्द "परिवारों" के पहले का शब्द 'के' निकाल कर उसके स्थान पर 'और उनके" रख दिया जाय।

संकल्प की चौथी पंक्ति के शब्द "प्रदेश" के पहले शब्द 'देश'रख दिया जाय व इसी पंक्ति का शब्द "उनको" को निकाल कर उसके स्थान पर "और जो स्वर्गवासी हो गये हैं, उन के तथा उन के परिवार की" रख दिया जाय।

संकल्प की छठवीं पंक्ति के शब्द "राजनीतिक पीड़ितों" के स्थान पर शब्द "स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं श्री नारायणदास जी के प्रस्ताव में ये महत्वपूर्ण संशोधन रख रहा हूं। प्रस्ताव के मुख्य अंश में सन् १८५७ के शहीदों की चर्चा की गई है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि १८५७ के महावीरों का स्मरण हमारे इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता। उन महावीरों के सम्बन्ध में जो भी चर्चा की जाय थोड़ी है। सन् १८५७ की आजादी की लड़ाई के सम्बन्ध में, यहां माननीय सदस्यों में जो बैठे हुए हैं और जिन्होंने आजादी की लड़ाईयों में भाग लिया और सफलता प्राप्त की है, के सम्मुख १८५७ के उन महावीरों की विशेषताओं का जिक्र करके सदन का समय न लूंगा। यह सभी जानते हैं कि बेगम हजरत महल की किस तरह से बेइज्जती की गई और दिल्ली की छाती पर बहादुरशाह की किस तरह से बेइज्जती हुई और

[श्री रामदुलारे मिश्र]

उनके रास्ते में कौन सी परेशानी नहीं डाली गई। यह इतिहास प्रसिद्ध है, और सभी लोग जानते हैं कि कानपुर, मेरठ और लखनऊ में क्या नहीं हुआ। इन सब चीजों की चर्चा करके मैं सदन का वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। इस के साथ ही जहां हम इन महावीरों का स्मरण करते हैं, उनकी यादगार कायम करने की चर्चा करते हैं वहां हम यह भी जानते हैं कि आजादी की लड़ाइयों में जिन लोगों ने योग दिया है उनको भुलाया नहीं जा सकता। सब जानते हैं कि सन् १९२० की आजादी की लड़ाई कौन भूल सकता है। जालियां वाले बाग में डायर द्वारा जो हत्याकांड हुआ उसके बाद इस बात की आवश्यकता हुई कि सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया जाय। बापू के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन चलाया गया और उस समय अनेक रणबांकुरे जेल गये और बहुतों ने प्राणों की कुर्बानी किया। इस के बाद सन् १९३० का आन्दोलन आया और उस वक्त यह जरूरत महसूस की गई कि नमक कानून तोड़ा जाय क्योंकि नमक जैसी जरूरत की वस्तु पर उस समय की सरकार अपने तरीके पर नियंत्रण रखना चाहती थी। बापू के संकेत पर सारे देश और प्रदेश में नमक कानून तोड़ा गया और अनेक महावीर जेलों में भरे गये और बलिदान हुये उस कुर्बानी को भी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता।

इसके बाद पूज्य महात्मा गांधी गोलमेज कांफ्रेन्स से हताश होकर लौटे तो आवश्यकता महसूस की गई कि देश में शीघ्र आन्दोलन शुरू किया जाय और उस समय लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर सन् १९३२ में लगानबन्दी आन्दोलन शुरू हुआ और लगानबन्दी आन्दोलन भी चरम सीमा पर पहुंचा, जेलें भरी गईं और लोगों ने बलिदान किये। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन आया। वह अपने तरीके का एक अनूठा आन्दोलन था। उसमें अहिंसात्मक तरीके पर लोगों ने अपने आप को आगे रोकने की कोशिश की और यह कोशिश की गई कि जो लोग ईमानदारी के साथ इस आन्दोलन में आना चाहते हैं, जो वास्तव में इसके काबिल हैं, वही आयें। उन बहादुरों की टोली भी निराली थी। सन् १९४१ का यह आन्दोलन भी हम नहीं भूल सकते और इसके बाद जब सन् १९४२ में बम्बई में ब्रिटिश सरकार ने हमारे आन्दोलन को चुनौती दी और उसके बाद "करो या मरो" आन्दोलन शुरू हुआ तो क्या नहीं हुआ। जो लोग अहिंसा का पाठ पढ़ते और पढ़ाने वाले थे वह उपदेश देते थे कार्यकर्त्ताओं को कि थाने जला दो बन्दूक और कारतूस लेकर आजादी की लड़ाई का संचालन करो। इसमें भी बहुत से बहादुर जेल गये, मारे गये और बर्बाद हुये।

सन् १९१८ का वह आन्दोलन भी हम नहीं भूल सकते जब मैनपुरी षड्यंत्र केस के बहादुर सिपाहियों ने श्री गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। भले ही वह आन्दोलन फेल हुआ हो लेकिन उस चुनौती से गवर्नमेन्ट थर्रा गई थी। उसके बाद कुछ लोगों को जेल भी हुई और फिर वह मुकदमे वापस भी ले लिये गये।

मेरठ षड्यंत्र केस भी अपना एक स्थान रखता है। चाहे उसमें किसी विचारधारा के लोग थे लेकिन वह भी ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिये एक महान आन्दोलन था। भले ही वह भिन्न विचारों के लोग थे लेकिन इससे क्या, उनकी भी कोशिश और आन्दोलन ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिये ही था। इसलिये हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिये।

काकोरी के महावीरों की चर्चा अभी की गई। कौन उनको भूल सकता है? कौन भूल सकता है हुतात्मा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी को जिन्होंने उनकी मदद की थी? कौन भूल सकता है बैकुंठवासी श्री गोविन्द वल्लभ पंत को जिन्होंने रुपये से, कानूनी तरीके से मदद देकर उन लोगों की पैरवी की और उनको राहत देने के लिये काफी कठिनाइयों में अपने को डाला?

लाहौर षड्यंत्र केस में बहुत से अपने साथी ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के थे, कानपुर के भी थे। आजाद हिन्द फौज का आन्दोलन भी आजादी के लिये ही था।

तो जहां १८५७ की बात आती है, हम १८५७ के महावीरों को ऊंचा स्थान देते हैं। लेकिन इसके बाद आने वाले सन् १९२० से १९४२ तक के आन्दोलनों को और उसके बाद मैनपुरी, काकोरी और दूसरे-दूसरे षड्यंत्र केसों के वीरों को हम भुला नहीं सकते हैं।

कहने के लिये जो अपनी सरकार है, जो जनप्रिय सरकार भी है, वह बहुत कुछ कर रही है और अपने तरीके पर कभी-कभी सवालों का जवाब भी देती है जिलेवार सूची बनाने के लिये, जिलों में एक कमेटी बनाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जो कमेटी बन रही है वह लेखपालों क तरीके की होती है और जो उनका इतिहास लिखा जाता है वह गजेटियर के तरीके पर लिखा जा रहा है। श्रीमन्, यह भी कोई बात समझ में नहीं आती कि आजादी की लड़ाई में जो मर गये, तबाह हो गये, उनकी याद बनाये रखने के लिये जिलों में कुछ भी न हो, यह बड़े खेद की बात है। मैं यह भी अपनी जनप्रिय सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सही है कि राजनीतिक पीड़ितों को थोड़े से टुकड़े देने की जरूर कोशिश की गई है, लेकिन बहुत से ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति हैं जो इस तरह की सहायता और दक्षिणा की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन लोग यह जरूर चाहते हैं कि सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाय। इतिहास के पन्नों में, सोने के अक्षरों में न सही, मामूली तरीकों पर उनका नाम आ जाय। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि नारायणदास जी के प्रस्ताव के साथ मेरा संशोधन भी अपने स्थान पर महत्व रखता है अथवा नहीं, इसका आप स्वयं फैसला करें।

हर जिले में आजादी के सैनिकों की फेहरिस्त तैयार की जा रही है। मैं आपको बताऊं, अभी तक बहुत से हमारे साथी जो जेल गये, जिन्होंने अपने को बर्बाद किया उनके नाम जेल के रजिस्टर तक में नहीं हैं। जाते हैं जेल में, तो परेशानी उठाते हैं; लेकिन देखते हैं उनका कहीं पर नाम ही नहीं है। जब हम ब्रिटिश सरकार से मोर्चा ले रहे थे, जब हम उस सरकार को खत्म करने का प्रण कर चुके थे, उस समय हम लोगों को यह ख्वाहिश नहीं थी कि हमारा नाम रजिस्टर में होगा कि नहीं। वे रजिस्टर कागजात आखिर गये कहां? उनका पता लगाया जाय, जिसमें उन लोगों के नाम थे जो दफा २६ में नजरबन्द हुये थे। वे सारे कागजात ब्रिटिश गवर्नर की मार्फत कहां पर चले गये, पता नहीं। इसके लिये जेलों में मुआयना करवाइये, गैर सरकारी कमेटी बनाइये ताकि जिम्मेदारी के साथ वे इस काम को आगे बढ़ा सकें। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि हर जिले में सूची तैयार की जा रही है। हर जिले में तो गजेटियर भी तैयार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हर जिले में एक गैरसरकारी कमेटी मुकर्रर की जाय जिम्मेदार कार्यकर्त्ताओं की जो इस काम में दिलचस्पी लें। श्रीमन्, जल्दी से जल्दी हर जिले में उन महावीरों की याद सदा बनाये रखने के लिये उनके स्मारक स्वरूप कुछ अवश्य किया जाय।

यह भी सही है कि उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जायं क्योंकि अब तो जनप्रिय सरकार है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर भी हम लोगों के ही बराबर हैं, साथ साथ जेल गये हैं, साथ में रहे हैं, यहां पर बैठ जाने के बाद हम अपने साथियों को क्या भूल सकते हैं? जरूरत इस बात की है कि हर जिले में एक सूची तैयार करायें और देखें कि किस गांव, तहसील से हमारे कार्यकर्त्ता जेल गये, तबाह हुये, बर्बाद हुये। हम भले ही उनको पेंशन दें या न दें? पेंशन जो दी जा रही है वह सभी जानते हैं, जिन लोगों को जरूरत है उनको नहीं मिली और जिनको जरूरत नहीं थी उनको मिल गई।

भाई चन्द्र शेखर आजाद, जिनके साथ मेरा भी थोड़ा सम्पर्क रहा है उनकी मां मरते समय किस परेशानी में रही यह सब जानते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि जिनके बल पर हम और आप सब यहां बैठे हुये हैं उनका नाम इतिहास में रहे, उनकी यादगार गांव और जिले में बनाये रखने की कोशिश जरूर हो तभी ठीक रहेगा। यहां प्रश्नों का जवाब दिया जाता है कि एक सूची बनायी जा रही है, कमेटी मुकर्रर हो गई है। इससे काम नहीं चलेगा। बजट में खासतौर पर एक मुख्य आइटम रखा जाय जिससे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का इतिहास लिखा जाय,

[श्री रामदुलारे मिश्र]

उसके लिये चाहे बहुत भी खर्च हो । अगर खर्चा ज्यादा भी हो तो बहुत से ऐसे मद हैं जिनके खर्चों में कमी की जा सकती है ।

एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के सैनिक जिन्होंने अपना खून बहा कर आजादी प्राप्त की वह थोड़े से टुकड़ों में अपनी हैसियत और अपनी ईमानदारी बेचने के लिये तैयार नहीं हैं । श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत अपनी जनप्रिय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन के मुताबिक एक गैरसरकारी कमेटी बनाये जिसके जरिये पूरा इतिहास तैयार हो और उसकी जिलेवार जांच हो जाने के बाद वह प्रमाणित माना जाय ।

(इस समय २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण सिंघाड़ी, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, मैं निवेदन यह कर रहा था कि आजादी के बहुत से सिपाही ऐसे भी हैं जिनके नामों का अभी तक पता नहीं है, सरकारी रजिस्टरों में नाम गायब हैं और उनको बड़ी बड़ी सख्त सजायें हुयी थीं । उसका पता लगाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि एक गैरसरकारी कमेटी बनायी जाय जिसमें जिम्मेदार लोग, जो इस मामले में दिलचस्पी रखते हों, रखे जायं ।

यही चन्द संशोधन मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की दूसरी पंक्ति के शब्द "परिवारों" और शब्द "को" के बीच में शब्द "जिसमें दत्तक पुत्रों के उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, आज माननीय नारायणदास जी द्वारा प्रस्तुत जो संकल्प हमारे सामने है और जिसमें श्री रामगोलाल सहायक और श्री मिश्र ने अपने संशोधन रखे हैं, मैं मुख्यतः इन सभी के समर्थन में खड़ा हूं । श्री नारायणदासजी के द्वारा जो एक ऐतिहासिक व्याख्यान हर एक गहन और गम्भीरतापूर्ण भाषण दिया गया उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसके साथ साथ श्री रामदुलारे जी के द्वारा जो उस पर जोरदार तकरीर की गयी उसके लिये मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं । किन्तु मैं इन तीनों सज्जनों को जरा एक संकेत कर दूं कि यह प्रस्ताव तीनों ऐसे ही सज्जनों द्वारा प्रस्तावित और समर्थित है जो कांग्रेस पक्ष से आते हैं, लेकिन इस सदन का एक दिन या उससे ज्यादा समय ले लेने के बाद यदि उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लेने की क्षमता दिखायी तो हम लोगों का समय यों ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि अभी तक जो परिपाटी चली आयी है वह यही रही है कि कांग्रेस पक्ष के प्रस्ताव सदन में यों ही बहस मुबाहिसे के बाद वापस ले लिये जाते हैं और हमारा यह समय जो कि किसी दूसरे प्रस्ताव पर विचार करने में लगता है वह व्यर्थ चला जाता है । लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि माननीय नारायणदास जी अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे क्योंकि उनका प्रस्ताव एक बहुत ही आवश्यक विषय के बारे में है । अभी तक जितने भी अशासकीय संकल्प आये हैं मैं समझता हूं कि उनका संकल्प सब से महत्वपूर्ण है । मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते उनके द्वारा कही हुई सभी बातों का समर्थन करता हूं । उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्य किया कि उन भूले हुये देशभक्तों की याद इस सदन में करायी । माननीय रामदुलारे जी ने पुराने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के साथ वर्तमान स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की भी बात उसमें जोड़ दी है जिसके कारण प्रथम और द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध के सभी सैनिकों की बात हमारे सामने है । सरकार का जहां तक ताल्लुक है मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने उन प्रथम स्वतंत्रता युद्ध के सेनानियों के प्रति जो रुख अख्तियार किया वह आश्चर्य देने वाली बात है ।

पहले तो मैं माननीय रामदुलारे मिश्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन की बात करूंगा । उन्होंने उन आन्दोलनों के सत्याग्रहियों या शहीदों की बात कही है । एक तरफ सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने की घोषणा भी की है दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़

कार्य होता है । यह बड़े आश्चर्य की बात है । यह प्रयास बहुत अर्से से किया जा रहा है कि जितने राजनीतिक पीड़ित हैं उन की एक सूची लेखबद्ध हो । सरकार ने कुछ जिलों में प्रयास भी किया और सूचियां तैयार भी कीं, लेकिन इसी सरकार ने उस प्रयास को भी बन्द कर दिया और वह सूची अब नहीं तैयार की जा रही है । उसका परिणाम यह हो रहा है कि बहुत से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले साथी जब सरकारी सहायता लेना चाहते हैं तो उनको कोई सूचना मिल नहीं पाती है । जेल में रेकार्ड मौजूद नहीं है । अत : वह सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं ।

मैं सरकार का ध्यान एक दिक्कत की तरफ और दिलाना चाहता हूं । एक नियम यह है कि तीन महीने की सजा यातना सहने वाले को सरकार सहायता देने को तैयार नहीं है । यह बड़ी अटपटी सी बात है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने तीन महीने की यातना सही है उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसका मूल्यांकन न किया जाय । क्या उन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में योग नहीं दिया ? ऐसी कल्पना सरकार को नहीं करनी चाहिए ।

इसके साथ साथ मैं यह बात भी आप के सामने रख दूं । श्री रामदुलारे मिश्र ने उन शहीदों की भी याद दिलायी है जिनको सरकार भुलाये हुए है । मैं भी उनकी याद दिलाता हूं । मेरे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे हमारे उस समय के शहीद हैं जिन्होंने गोली की मार सही । हमारे क्षेत्र के ग्राम सोढ़ी इतम के निवासी श्री सालिग्राम जी ने कानपुर में हंसते हंसते गोली खायी और उनका प्राणान्त हो गया । उनकी भाभी वगैरह सम्बन्धी जीवित हैं । सरकार उनको कोई सहायता नहीं दे रही है । श्री चन्द्रशेखर आजाद के संबंध में श्री रामदुलारे मिश्र ने जो बात कही वह यथार्थ है । उनके परिवार को भी वैसी सहायता नहीं मिली ।

एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि कानपुर १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख केन्द्र रहा । १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर तीन प्रमुख केन्द्रों में से एक था । कानपुर ने कई दफा अंग्रेजों को हराया और पलायन किया । नाना साहब और तांतिया टोपे ने अंग्रेजों को हरा कर भगा दिया था । बिठूर में नाना साहब की मूर्ति केवल स्थापित कर दी गयी है । उसमें कई हजार या कुछ लाख खर्च किये होंगे । लेकिन केवल एक प्रस्तर मूर्ति है । वह खुले स्थान पर पड़ी है । वहां कोई सुन्दर उद्यान या बाग नहीं है । केवल एक प्रस्तर मूर्ति बना दी गयी है । उसका उद्घाटन करने में कई हजार रुपये खर्च किये गये । कुछ मंत्री आदि गये । उस प्रस्तर मूर्ति पर यह भी विवाद उठा था कि यह किस की मूर्ति है । उस मूर्ति को बदलने की बात सरकार ने स्वीकार की, लेकिन वह काम कभी होगा इसमें मुझे संदेह है । इसके साथ साथ तांतिया टोपे की मूर्ति को कानपुर में स्थापित करने का प्रयास किया गया है । लेकिन वह भी उनके आदर के अनुकूल नहीं है । केवल प्रस्तर मूर्ति लगा देने से ही सरकार समझती है कि उसके कर्तव्य की इतिश्री हो गयी । लखनऊ में हजरत महल का एक टबल्यू लगाने की बात कही गयी है । मूर्ति लगाने की बात स्वीकार नहीं की गयी है । सरकार को चाहिए कि स्वतन्त्रता संग्राम के वीरों को समुचित सम्मान दे और कानपुर ऐसे स्थानों में जहां उनका क्रीड़ांगन रहा, और जहां बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक बातें करके दिखायी गयीं, उस स्थान में समुचित आदरयुक्त स्मारकों की स्थापना होनी चाहिए । न केवल उन स्थानों पर प्रस्तर इमारतें हों बल्कि उनको स्थिर या स्थायी बनाने के लिए भी कुछ ऐसी संस्थायें उनके साथ लगी हुई हों जो कुछ साहित्यिक या चारित्रिक बात उठाने के लिये सम्पन्न हों और जो उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाती रहें । मैं चाहूंगा कि कानपुर में इन शहीदों के लिये कुछ विशेष कदम उठाये जायं ।

मुझे विशेष तौर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कुछ बातें कहनी हैं । मेरे पास सूचना है कि लक्ष्मी बाई के दत्तक पुत्र श्री दामोदर राव को अंग्रेज सरकार ने सौ रुपये के करीब सहायता या पेंशन दी थी । लेकिन उनके लड़के लक्ष्मण राव को जो इस सरकार ने सहायता दी है वह केवल ५० रुपये थी और बाद में प्रदेशीय सरकार ने २५ रुपये सहायता उसमें और

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बढ़वा दी थी। इन ७५ रुपयों में उनका काम कैसे चल सकता है? अंग्रेजी राज में सन् १८५७ या १८५८ के १०० रुपये का १९५७ या १९५८ के १०० रुपये से मुकाबिला करें तो वह उसका दशांश जाकर ठहरता है। तो ऐसी हालत में उनको ७५ रुपये पेंशन देना उचित नहीं कहा जा सकता। इस पर भी आश्चर्य की बात यह है कि मुझे यह सुनने में आया है कि वह भी अब बन्द कर दी गई। इससे क्या हम यह समझें कि उनके उत्तराधिकारी के साथ सरकार इसी प्रकार का आदर प्रकट करना चाहती है? महारानी लक्ष्मीबाई के रहने के स्थान को, वह जहां रहीं, राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थान मानकर सुरक्षित कर दिया गया है, तथा उनके ऐतिहासिक किले की भी मरम्मत की गई है और सुरक्षित किया गया है। लेकिन इन सब बातों से हम इस बात पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हैं कि हम उनका पूरा आदर कर रहे हैं। उनके उत्तराधिकारियों को, जो कोई भी वह हों, ढूंढ़कर उनको सहायता देनी चाहिए।

यह उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े वीर निकले और यही नहीं बल्कि इस संग्राम में भी शहीदों का एक तांता सा लग गया। लेकिन इस सरकार ने चाहे वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे यह द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, इन दोनों में से किसी के प्रति भी अपने कर्तव्य को पूरा अदा नहीं किया है। यह मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब कभी हम सत्याग्रहियों के लिये राजनीतिक सहायता पाने के लिये दरख्वास्तें देते हैं तो सरकार की तरफ से उत्तर मिलता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मुझे मालूम है कि सैकड़ों दरख्वास्तें सालों दफ्तरों में पड़ी रहती हैं और बाद में उनका जवाब यही मिलता है कि सरकार उचित नहीं समझती कि तुम्हें सहायता दी जाय। मुझे ऐसे कई साथियों का हाल मालूम है जिनकी दरख्वास्तें वर्षों यहां पड़ी रहीं और बाद में उनके बारे में यही मालूम पड़ा कि सरकार उन्हें सहायता देना उचित नहीं समझती। क्या सरकार के पास दस बीस रुपये भी उनकी सहायता के लिये देने को नहीं हैं जिन्होंने कि अपने जीवन का अच्छा हिस्सा इस स्वतंत्रता की लड़ाई में लगा दिया? मुझे ऐसे सैकड़ों साथियों के साथ रहने का मौका मिला है और मैं जानता हूं कि वह कितनी परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार को उनके साथ सहानुभूति व सहयोग आना चाहिए और उनके परिवार के उन लोगों को, जो कि आज जीवित हैं, समुचित सहायता देनी चाहिए।

इसके साथ-साथ जो हमारे सामने संकल्प है नारायण दास जी का, वह अपने स्थान में एक नवीनता को रखनेवाला है। इसे मैं समझता हूं कि यह सदन एकमत से पास करेगा बशर्ते कि प्रस्तावक महोदय भी हिम्मत करें और इसे एक आदर रूप में या सरकार के कुछ निश्चित संकल्पों में जाने देने के लिये प्रयत्नशील बने रहें। लेकिन मेरे सामने तो इन शहीदों का आदर करने की ही बात नहीं है बल्कि एक बात यह भी है कि हम सरकार को इस बात के लिये मजबूर करें कि वह भी इनका आदर करना सीखे और वह आदर करने का तरीका यह हो सकता है कि उसके लिये कुछ वास्तविक कदम उठाये जायं। हमारे राष्ट्रनायक पूज्य महात्मा गान्धी का जो समाधि स्थान है उसमें केवल एक समाधि ही नहीं बनी है। बल्कि उसको एक सांस्कृतिक स्थान बना दिया गया है। उसको देखकर लोगों के हृदय में एक भावना पैदा हो जाती है और उनमें देश भक्ति के प्रति कुछ नवीनता पैदा हो जाती है। क्या ये हमारे शहीद जो अनेकानेक हैं और जिनकी अभी तक कोई गिनती भी नहीं है, जो न्यून रूप में रखे गये हैं, उनके स्मारक भी यदि उसी रूप में बनाये जायं तो उचित नहीं होगा? उचित यह है कि उनके परिवार को हम देखें जिससे उनका भरण पोषण सुचारु रूप से चल सके।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि उन सारे सत्याग्रहियों की खोज की जायगी जो देश के लिये जेल गये या देश के लिये जिन्होंने कष्ट उठाया है। पता नहीं सरकार उनकी खोज करने में क्यों ढील कर रही है? उस काम को पूरा करने के लिये कदम उठाने जरूरी हैं। ताकि वह सूची बनाने का काम पूरा हो सके। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि बाराबंकी में कलेक्टर द्वारा एक समिति बनाई गई है जो "हू इज हू" की सूची

बनायेगी । जिन लोगों ने देश के लिये काम किया है उनकी सूची बनाई जायगी । पता नहीं और जिलों में ऐसा किया जायगा या नहीं । मैं यह समझता हूं कि जितने लोग भी स्वतन्त्रता संग्राम में काम करते रहे हैं उनकी खोज का काम पूरा किया जाय और जो जाने और अनजाने स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं जिनकी सूची आज तक नहीं बन पाई है उनकी भी खोज होनी चाहिये और उनको वही स्थान मिलना चाहिये जो उचित है ।

## सहकारी खेती को प्रोत्साहन न देने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

**श्री उपाध्यक्ष**--अब मैं कुंवर श्रीपालसिंह के प्रस्ताव पर मत ले लेता हूं ।

**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष**--इस बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "होगी" के पश्चात् तथा शब्द "अतः" से पहिले निम्नलिखित वाक्यांश बढ़ा दिया जायें

'यदि यह खेती स्वेच्छा पर आधारित नहीं होगी और साथ ही यदि ऐसी खेती करने वालों को सरकार द्वारा सिंचन के सुलभ साधन, सस्ती खाद, कृषि फार्म के लिये न्यूनतम ब्याज, तकावी व मूलदान तथा अन्य सहायतायें प्रदान नहीं की जावेंगी "।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति दो में शब्द "अतः" के स्थान पर शब्द "अन्यथा" रख दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि संकल्प की अन्तिम पंक्ति के शब्द "न दिया जावे" के स्थान पर शब्द "देना निरर्थक हो जावेगा" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री उपाध्यक्ष**--अब मैं मूल संकल्प लेता हूं ।

**श्री जगन्नाथ लहरी**--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि प्रस्तावक या उसके समर्थकों में से कोई भी सदन में उपस्थित न हो तो क्या उस प्रस्ताव पर मत लिया जा सकता है ?

**श्री उपाध्यक्ष**--यह बात तो उस समय के लिये लागू होती है कि जब प्रस्ताव उपस्थित करने का समय हो और वे न हों तो वे अपना अवसर खो देते हैं, लेकिन जब प्रस्ताव सदन के सामने है और कोई प्रस्तावक नहीं है और वे तय कर लें कि वह नहीं आयेंगे तो क्या होगा ?

(कुछ ठहर कर )

प्रश्न यह है कि इस सदन का मत है कि शामिल सहकारी खेती किसानों तथा देश के लिये अहितकर सिद्ध होगी । अतः यह सदन निश्चय करता है कि सहकारी खेती को किसी रूप में सहायता या प्रोत्साहन न दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

## १८५७ के क्रांतिकारियों और देशभक्तों को राजनीतिक पीड़ितों के समान सुविधायें देने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--- "और हर जिले में जांच कर के जप्त शुदा जायदाद उनके उत्तराधिकारियों को वापस की जाय तथा सारी प्रकाशन गदर का किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ गलत छप गया है। अन्त में "गदर कर दिया" छप गया है जो "गदर का करना दिया जाय" होना चाहिये। इसे दुरुस्त कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद १८५७ में पड़ी और हमारा मुल्क १५ अगस्त, १९४७ को आजाद हुआ। इस बीच में बहुत बलिदान हुए, लेकिन १८५७ में जिन लोगों की जायदादें जब्त हुई, जिन लोगों को फांसी लगी, उन्हें राजनीतिक पीड़ित समझ कर उनकी सहायता करना इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को चाहे वे १९४२ के हों, १९२० के हों अथवा १९३१ के, सुविधा देने की नीति अपनायी है और वह सुविधा पूर्ण रूप में मिल पा रही हो अथवा नहीं यह दूसरी बात है, लेकिन उस नीति को सरकार ने मान लिया है कि हम राजनीतिक पीड़ितों की मदद करेंगे। इसे देखते हुए कोई कारण समझ में नहीं आता कि १८५७ के शहीद जिन्होंने कि बलिदान किया है, चाहे वह कामयाब न हुए हों, उनको राजनीतिक पीड़ित मानना, उनकी जायदादों की जांच कराना और उनको वापस करना सरकार क्यों आवश्यक नहीं समझती। यह बात ठीक वैसी ही मालूम पड़ती है जैसे किसी मकान की बुनियाद में कोई पत्थर पड़ा होता है और उसे कोई देख नहीं पाता। सन् १८५७ में जिन लोगों की जायदादें जब्त हुई वह इस क्रान्ति में नींव के पत्थर का काम किये हैं और इस देश की आजादी की लड़ाई के ही वे वीर नहीं हैं बल्कि इस देश की आजादी में उनके बलिदान और उनकी भावनायें काम कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने अभी पिछले दिनों एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसके आधार पर बिहार तथा अन्य कई राज्यों ने सन् १८५७ के शहीदों की जायदाद को उनके आश्रितों को वापस करने के संबंध में कुछ आदेश निकाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का प्रश्न कई बार उठा, प्रश्नों के रूप में भी तथा और रूप में भी इस पर विचार किया गया। सरकार यदि चाहे तो इस संबंध में जिलों में जो एक पृथक कार्यालय है जिसमें ऐसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी रहती है वहां से मालूमात कर सकती है और वहां से जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर विचार कर सकती है कि उन लोगों के आश्रितों को कुछ सुविधायें दी जायं, जैसे सर्विस वगैरह की सहूलियतें हैं, वह उनको दी जा सकती हैं। उन शहीदों के आश्रितों को अगर कुछ उपाधियां आदि दी जाती हैं तो वह उनके अन्दर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में सहायक होगी। सरकार ने अभी तक न तो उन लोगों को किसी सम्मानित उपाधि आदि से विभूषित किया है और न ही अब तक उसके संबंध में कोई विचार ही किया है। यदि इस संबंध में कोई कमेटी या कमीशन बिठाया जाय तो उसको केन्द्रीय सरकार से तथा जिलों से पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

आज इस प्रस्ताव को लाने की मंशा यही है कि सरकार इस प्रश्न पर जल्दी ही विचार करे और जिन लोगों की जायदादें जब्त हो गयी हैं वे उनके आश्रितों को मिल सकें। अगर सरकार इसके लिये कोई कमेटी बिठाये तो बड़ी आसानी से उन सब बातों की जानकारी हो सकती है। मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूं और उस ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां एक जगह कालाआम है जो बहुत ही मशहूर है। वहां पर उन लोगों को फांसी दी गयी थी जिन्होंने अंग्रेजों से बगावत की थी। पहले उस जगह का नाम कालाआम था, अब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे बदल कर उसका नाम कालाआम रख दिया गया है। वह जगह उन शहीदों को याद दिलाती है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और बहादुरी के साथ अपने को बलिदान कर दिया था। हमारे यहां मालागढ़ एक किला अब भी है जहां पर इस सरकार का रिसर्च का कार्य होता है। वहां के नबाब के बारे में आज तक एक चौपाई गायी जाती है—

मालागढ़ छोटा सा गांव, वहदे में हो गया सरनाम,
किला और मंडी बनवाई, अंग्रेजों से बैर लगायी।

इस तरह के नारे आज भी वहां लगाये जाते हैं। वहां के नबाब ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। दादरी में, जहां आज भी एक किला है, वहां पर प्राइमरी स्कूल चल रहा है और रावजी की कचहरी भी मौजूद है। रावजी के ३ बुजुर्ग थे, जिनके परिवार को फांसी दी गयी थी और जो उनकी २१० गांव की जायदाद थी उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर झंडा लगाया था। आज उनके परिवार वालों को सरकार को कुछ सहायता देनी चाहिये, वे लोग बहुत परेशान हैं। उनको आज तक किसी प्रकार की सहायता सरकार की ओर से नहीं मिली और न ही उनके बच्चों को नौकरी आदि में ही कोई प्राथमिकता मिली। उन्होंने इसके लिये कोशिश की कि आज जो भी उनकी सम्पत्ति बाकी है वह उनको दे दी जाय ताकि वे उनकी याद ही मना सकें, लेकिन वह उनको नहीं मिली। हमको उनकी याद में कुछ करना चाहिये। यदि वह हम उनको दे देते हैं तो वे अपने बुजुर्गों की याद तो कर सकते हैं। यदि इसमें कोई कानूनी दिक्कत हो तो आप उन मकानों को, जो आज खाली या टूटे पड़े हुए हैं उनको दे ही सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और उनको अपने परिवार वालों की याददहानी के लिये कुछ अवश्य दे और मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

लेकिन मालूम यह होता है कि सरकार का ध्यान अभी इस महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सही रूप से गया नहीं है। अगर सही रूप से गया होता तो १८५७ के शहीदों की शताब्दी २ साल हुए मनाई गयी थी और उस वक्त भी यदि सरकार जानकारी चाहती तो १० मई, १९५७ को जो शताब्दी मनायी गयी तो उसमें भी उन स्थानों ही पर मेले और जल से हुये जो गदर में जब्त हुये थे। जिलों-जिलों में इस बात का पता लग सकता है कि सन् १९५७ में किन-किन स्थानों में शताब्दि मनाई गई और यदि सरकार कोई कमेटी बनाकर यह जानकारी कराये कि आखिर किन लोगों की जायदादें जब्त हुई और वह जायदाद किस रूप में है और उसमें कितनी सहायता लोगों की आज कर सकते हैं तो यह सरकार के लिये कोई कठिन काम नहीं है। मैं समझता हूं कि सन् १८५७ के शहीदों या १९४२ के शहीदों के लिये जिनकी जायदादें जब्त हुई, आसानी से जानकारी की जा सकती है। हमारे कुछ जिले तो बहुत मशहूर हैं। बलिया और कुछ और जिले हैं जिनको दूर-दूर तक लोग जानते हैं। उनकी जानकारी सरकार ने की हो और उनकी जायदादों को वापस कराने की कोशिश की हो यह मैं नहीं जानता। तो चाहे वह ४२,४१,३१,२१ के शहीद हों या ५७ के शहीद हों उन सबकी एक सूची सरकार के पास होनी चाहिये और उनकी जायदाद की पूरी जानकारी करके वह जायदादें जहां तक वैधानिकता के साथ वापस की जा सकें वापस की जायं वरना उनके आश्रितों को कोई न कोई सहायता सरकारी नौकरियों के रूप में या आर्थिक रूप में या सम्मान के रूप में देनी चाहिये, यह मैंने संशोधन रखा है।

सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को पास करे और चूंकि यह प्रस्ताव ऐसा है जो सचमुच में उत्तम है और जिसको मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के जिन लोगों ने बलिदान किया है वह किसी विचार के हों, तबके हों, किसी जिले के हों, किसी इलाके के हों, वे देशभक्त हैं, और उन देश भक्तों के प्रति सभी लोगों की सद्भावना है। तो मैं नहीं समझता कि सदन में इस प्रस्ताव को क्यों नहीं पास होना चाहिये और इसको पास कराकर उसको अमल में लाने में सरकार को कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को मेरे संशोधन के साथ स्वीकार करे और इस पर शीघ्र से शीघ्र अमल करने की कृपा करे।

श्री इकलाख्यर तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायणदास जी द्वारा प्रस्तुत सरकारी प्रस्ताव का तथा अन्य मित्रों द्वारा उसमें संशोधनों का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह प्रस्ताव तथा अन्य सदस्यों ने जिस भावना से संशोधन प्रस्तुत किये हैं वह बड़ा महान् है। लेकिन समर्थन करते हुए एक बात की ओर निगाह जरूर जाती है जब सरकार की गतिविधि की ओर हम ध्यान देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव अन्त में वापस होगा और हालांकि इतने माननीय सदस्य बैठे हैं सब जो भाषण होते हुए जो अन्त में यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो फिर इसमें कहीं कुछ है यह नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में १८५७ से लेकर १९४२ तक के लिये उनकी कुर्बानियों की कहानियां कहने से या उनके बलिदानों की गाथायें गाने से इतिश्री अन्त नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, आप भी अंग्रेजी जमाने में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं, कि किस प्रकार की कठिनाइयां प्रत्येक उस व्यक्ति के सामने रही हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं। किस-किस तरह से वे बचे हैं और वे जिनका बलिदान हो गया उनकी कहानी कहनेवाली नहीं है। जो बचे हैं वे अपने साथ आज अपनी जायदादें भोग रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १८५७ से १९४२ तक की कहानी बलिदानों की कहानी है। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ इस देश के लिये लड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जो लोग उस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए उनके परिवारों को पूछने वाला कोई नहीं है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि पं० जवाहर लाल नेहरू और श्री राजेन्द्र प्रसाद जी जलियान वाला बाग में जाते हैं और वहां एक बुढ़िया का सम्मान किया जाता है जिसका नौनिहाल बेटा डायर की गोली का शिकार हुआ था। उस समय के अंग्रेज गवर्नर ने उस बुढ़िया को २२,००० रुपये का चेक दिया, इसलिये कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, तुम गुजर बसर कर सको। उस बुढ़िया ने उस चेक को फाड़ दिया। पता नहीं जवाहर लाल जी की सरकार ने और राजेश की सरकार ने उस प्रकार की शहीदों के लिये कुछ किया या नहीं किया। जिस समय बंगाल के खुदीराम बोस की स्मृति में बंगाल के कुछ लोगों ने एक शिलान्यास कराना चाहा और उसके लिए जवाहर लाल जी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं खूनी क्रान्ति में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं तो अहिंसक हूं। अब गद्दी पर बैठकर हिंसा और अहिंसा का संगम पैदा हो गया। मैं भी स्वतंत्रता का सैनिक रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिस समय शान्ति से काम नहीं चलता था उस समय बम फेंकना, पिस्तौल रखना अंग्रेजी सरकार को एक हौवा मालूम होता था और सरकार सतर्क रहती थी और उसको ठीक करने के लिये दौड़ धूप करती थी। उस समय हिन्सा और अहिन्सा से जिस प्रकार से जिससे जो कुछ बन पड़ता था वह अपने मुल्क के लिये त्याग करता था। लेकिन आज कुछ ऐसी मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है कि जो पुराने शासन के बागी थे वह आज भी सरकार के बागी हैं, क्योंकि सरकार का एक ढंग होता है शासन करने का और कोई आदमी जब गद्दी पर बैठता है तो पहले जो सरकार की जो निगाह होती है वह उसको भी हो जाती है।

मैं जानना चाहूंगा अपने मित्र से, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है कि क्या आप चाहते हैं कि जो शहीद हो गये उनके बच्चों को कोई प्रमाण-पत्र दिया जाय, उनके जीवन यापन के लिये कोई व्यवस्था की जाय, लेकिन जिन गद्दारों के कारण उस समय आजादी न मिल सकी और जिन्होंने देश की पीठ में छुरा भोंका, उनको आप कहां बैठाते हैं? मैं प्रमाण दे सकता हूं कि इस सरकार से आशा करना कि यह कुछ करेगी, यह बिलकुल असम्भव बात है। कुछ थोड़ा इधर-उधर की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहां सरदार साहब हैं, बन्ध सिंह मजोठिया। बन्ध सिंह का इलाका ३६ हजार एकड़ का पूरा परिवार का परिवार सारा समाप्त और वह सब गद्दार सुन्दर सिंह मजोठिया के कब्जे में है और उनका बेटा इस सरकार का एक मंत्री है जो केन्द्र में बैठा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार क्या करने जा रही है ? शहीदों का बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। उन शहीदों के परिवार कहां हैं, किस स्थिति में हैं, इसकी जानकारी करना बड़ा कठिन काम है। उनके रहने के लिये मकान है या नहीं,पढ़ने का प्रबन्ध है या नहीं इसे कौन जानता है। आज १३ वर्ष का जमाना हो गया, सन् १९४७ के बाद सन् १९६० का जमाना है। उधर के सन् १८५७ को बात जाने दीजिये। हाल ही में जिन शहीदों की कुर्बानी हुई और जिनके आधार पर आज यह सरकार बैठी हुई है यह उन्हीं शहीदों के खून और पसीने की कमाई है।

श्रीमन्, मैं तो कहूंगा कि अधिकांश वही लोग हैं जिनको मरने से डर लगता था और वास्तव में जिनके अन्दर प्रेम था उन्होंने अपने को मिटाया। उस प्रकार के आधे से कम ही आदमी हैं। बहुतेरे तो यह सोचते थे कि किसी तरह जान बच जाय फिर देखा जायगा।

अब श्रीमन् मैं कुछ राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज राजनीतिक पीड़ितों के साथ में सरकार जो कुछ कर रही है वह मुनासिब नहीं है। आप उनको दस रुपये से ७५ रुपये माहवार तक देने की बात करते हैं। लेकिन वह अधिकारी जिन्होंने उनके गोलीमारी थी डंडे लगाये थे वह तो ५५ साल के बाद पेंशन लेते हैं, तो फिर जो शहीद हुये उनको अधिक से अधिक ७५ रुपया देने की बात क्यों की जाती है ? आखिर इसमें क्या औचित्य है ? एक पोलीटिकल सफरर जिसने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ न अपनी इज्जत की परवाह की, न शिक्षा की परवाह की, न धन की परवाह की और न अपने परिवार की परवाह की, सारी चीजों को तिलांजलि देकर लड़ाई लड़ी उसके लिये यह पारितोषिक है कि ५० साल के बाद उसे १० रुपये से ७५ रुपये तक मासिक दिया जाय। इस प्रकार से आप उन राजनीतिक पीड़ितों की प्रतिष्ठा नहीं कर पायेंगे और न आगे के लिये भविष्य ही बना पायेंगे कि अगर कभी कोई खतरा मुल्क पर आया, किसी विदेशी ने आक्रमण किया तो मुल्क के नौजवान कुर्बानी के लिये तैयार हो सकें। आपकी इस प्रकार की नीति से तो उन गद्दारों का ही भारी बहुमत हो जायगा जो देश के पेट में छुरा भोंकने के लिये तैयार रहेंगे और यह सोचेंगे कि लड़ने से फायदा क्या है ? लड़ने वालों को लड़ने दो उनका हाल तो जैसा पहले हुआ था वैसा ही होगा हम बच जायेंगे तो मजा करेंगे।

श्रीमन्, मुझे एक घटना याद आती है। एक मेरे मित्र थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, व्यक्तिगत आन्दोलन में वह भी चले गये। वह हमारे गांव के छोटी कौम के आदमी थे। उस समय जमींदारी थी। वह जमींदार के पास गये। उनको लगान अदा करना था। वह और उनके पिता दोनों गये थे। वह कौम के तेली थे। जमींदार ने कहा कि लगान के साथ कटिहारी भी दो। उस लड़के ने कहा कि महाराज सब जगह तो जमींदार शांत पड़ रहेहैं लेकिन आप अब भी तेज हैं। लेकिन जमींदार ने कहा कि जबतक कटिहारी नहीं दोगे तब तक लगान की रसीद नहीं कटेगी। उसका पिता बेचारा तो जमींदार की चिरौरी कर रहा था। जमींदार ने कहा कि हुकूमत बन जाने के १०० वरस बाद तक भी तुम समझ लो कि तुम्हारी दशा बेहतर नहीं होगी तुम इसी दशा में रहोगे जिसमें आज हो और हमारी जमींदारी खत्म हो जाने के बाद भी हम तुम से अच्छे ही रहेंगे। तो श्रीमन्, आप सोचें कि एक आदमी जो एक प्रकार से जुर्म कर रहा था वह किस तरह से सोच रहा था। वह सोचता था कि कोई भी हुकूमत आयेगी उसकी हिफाजत करेगी और उसकी हिफाजत इस सरकार ने कर दी।

श्रीमन्, उसकी बात को जाने दिया जाय। थोड़ा विषयान्तर होगा लेकिन मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि बड़े शर्म की बात है सरकार के लिये कि एक प्रश्न के उत्तर में यादव जी ने यह उत्तर इस सदन में दिया कि हम जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि अधिकार दे दिया गया है कि व्यक्तिगत मालिक जिस जमीन का जो हो वह उस पर बाजार या बैलों का मेला लगवा सकता है और जनता को लूट सकता है। साधारण चीज

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

के लिये भी सरकार झुकने के लिये तैयार नहीं है तो फिर इतना बड़ा भार उठाना सरकार के लिये असम्भव है उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इसके साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह सही है कि जिन तथ्यों को लेकर १८५७ का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था उसके कुछ खास खास आधार थे। १८५७ के पहले अंग्रेजों को राज्य के बढ़ाने का चस्का पड़ चुका था। छोटे-छोटे रजवाड़ों का यदि कोई राजा मर गया तो यह कहकर कि विधवा स्त्री राज्य का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं चला सकती है, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। अगर किसी का नाबालिग लड़का है तो उसका भी राज्य ले लिया। फिर लड़का हो या न हो, हमारे देश में यह भी प्रथा चली आती है कि जो लड़का गोद ले लिया जाता है वह भी अपने लड़के के समान ही समझा जाता है। लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं माना। इस छीना-झपटी को देखकर इस देश के बड़े-बड़े लोगों में यह भावना पैदा हुई कि वास्तव में हम लोग गुलाम हो गये हैं और हमारी इज्जत निश्चित रूप से चली गयी है। नतीजा यह हुआ कि कुछ थोड़े से लोग जो प्रभुता रखते थे, जिनके पास संपत्ति थी, जो लोग हुकूमत करते चले आये थे, वे संगठित हुए और उन्होंने एक विरोह का रूप धारण किया। यही कारण था कि पूरे मुल्क ने उनका साथ नहीं दिया और अंग्रेजों ने, क्योंकि उसको दबा दिया, उसका नाम गदर रख दिया। गदर में भी लोग किसी न किसी सरकारी व्यवस्था का विरोध ही तो करते हैं। क्या १८५७ के गदर में पुलिस और फौज ने गोलियां नहीं चलायीं? जिन लोगों ने गोलियां चलाई, घरों को फूंका, डंडे बरसाये, आज उन्हीं की यह सरकार तरक्की करती है। अब इस सरकार से क्या आशा की जा सकती है कि वह राजनैतिक पीड़ितों की कोई व्यवस्था करे।

लेकिन अगर सरकार को इस देश में मूल्य स्थापित करना है, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना है तो इस सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह उन राजनैतिक पीड़ितों का पता लगाये जिन्होंने १८५७ से लेकर १९४२ तक कुरबानी की है। उनका सम्मान होना चाहिये, उनके बाल-बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिये, उनकी दवादारू का इन्तजाम होना चाहिये और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर तथा आर्थिक आधार पर उनके जीवन-यापन की व्यवस्था होनी चाहिये। अंग्रेजों ने चौरीचौरा में अपना एक स्मारक बना दिया लेकिन इस सरकार ने अभी तक तो कुछ बनाया नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत संकल्प का हृदय से स्वागत करता हूं। हमें उन शहीदों को नहीं भुलाना है जिन्होंने मातृभूमि की जंजीरों को तोड़ने के लिये इस देश के अन्दर स्वतंत्रता के विचारों का सूत्रपात किया। १८५७ का चाहे वह गदर ही क्यों न हो लेकिन वह अपने मुल्क को स्वतंत्र करने का एक प्रयत्न था। चाहे उसका नाम स्वतन्त्रता का संग्राम हो या गदर हो लेकिन उसमें भाग लेने वालों ने अत्याचार और अन्याय की हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया था। आज भी उन शहीदों का खून का जर्रा-जर्रा भारतवर्ष के प्राणियों से चिल्ला-चिल्ला कर कहता है कि हमारे देश के अन्दर जब तक पूरी स्वतन्त्रता कायम नहीं हो जायगी तब तक हमारी कुरबानी का पूरा आदर और सम्मान नहीं होगा। केवल राजनीतिक गुलामी को खतम कर देने से ही मुल्क आजाद नहीं हुआ करता। मैं बतला देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता युद्ध के अन्दर जितने भी वीर योद्धा या वीरांगनायें थीं उनके दिमाग में भारतवर्ष की स्वतंत्रता का यह चित्र नहीं था कि अंग्रेज हिन्दुस्तान से कूच कर जायें और हिन्दुस्तानी अंग्रेजों की जगह पर हुकूमत करने लगें। हम यह समझते हैं कि जब तक हमारे देश के अन्दर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक हमारे देश में भूखों और नंगों की कमी नहीं हो जाती तब तक हम हिन्दुस्तान को पूरा स्वतंत्र कहने के लिये तैयार नहीं हैं। इसीलिये हम देखते हैं कि बार-बार आजादी की तहरीक हमारे देश में हलचल मचाती रही है और हमारे गांव-गांव की झोपड़ियों में महात्मा गांधी का आदेश और उनकी वाणी आज भी गूंजती हुई दिखायी देती है और वह नौजवानों के लिये आह्वान करती है कि आज भी इस देश में आहुति की जरूरत है जो आपने देश के लिये नयी जिन्दगी बिखेरना चाहते हैं और जो अपनी आहुति देकर इस मुल्क को हरा भरा करना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे वे सेनानी जिन्होंने १९२०–२१, १९३०–३१,१९४०-४१ और १९४२ के आन्दोलनों में भाग लिया है वे हमारे राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि के अधिकारी हैं। और जो कौम अपने पूर्वजों के त्याग और तपस्या को भूल जाती है वह कौम उठ नहीं सकती। जो कौम अपने शहीदों को भूल सकती है, जो कौम अपने साथियों को हमेशा के लिये भुला सकती है, जो कौम देश पर कुर्बान होने वाले लोगों की स्मृति को अपने दिमाग से खतम कर सकती है वह कौम कुत्ते की तरह जिन्दगी रखने वाली कौम हुआ करती है। कुत्ते और इन्सान में फर्क हुआ करता है। कुत्ता रोटी के टुकड़े पर अपने को बेच देता है लेकिन इन्सान अपनी मातृभूमि की मान-मर्यादा के लिये अपने प्राणों की आहुति करने के लिये तैयार रहता है और उसे न्योछावर कर देता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार यह पेंशन दे और यह तो बहुत छोटी चीज है कि जो सच्चे शहीद हैं उनकी आल-औलाद हमारी सरकार के सामने हाथ फैलावे कि उन्हें पेन्शन दी जाय और उनकी कुर्बानी की कीमत को रुपये-पैसे में आंका जाय। इसके लिये मुआवजा मांगना तो मैं बहुत ही पतित, नीच और कमीना काम समझता हूं। हमारे देशवासियों ने इसलिये कुर्बानी नहीं दी थी कि उन्हें या उनके आल-औलाद को पेन्शन मिले। उन्होंने अपने देश को हरा-भरा करने के लिये, अपने देश के नवयुवकों के अन्दर एक नया जीवन भरने के लिये और अपने देश-वासियों को देशभक्त बनाने के लिये ही अपना खून बहाया था। परन्तु मैं आशा रखता हूं कि मानवता की आशा की जा सकती है। जो अधम और पतित नहीं हैं, उनको देश के उन शहीदों की शुक्रिया अवश्य करनी चाहिये जिन्होंने अपने देश के अन्दर ऐसी चीजें बिखेरी हैं जिनको जिन्दा देखकर हर नौजवान और बच्चा लहलहाता हुआ सैनिक नजर आता है और मैं समझता हूं कि जो हमारे देश को अग्रसर करता है, उसका इतिहास लिखा जाना अत्यन्त आवश्यकीय है। हम रुपये-पैसे को तुच्छ समझते हैं लेकिन उनकी यादगार को, उनकी स्मृति को भारत के लोगों के दिमागों तथा हृदय पटल पर अंकित करने के लिये हम एक आशा अवश्य रखते हैं। अगर हम भारतीय कौम को जिन्दा रखना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की देन को भुलाना नहीं है और जो कुछ उन लोगों ने हमारे लिये किया है, जब तक कि हमारे सामने उनका इतिहास न हो हमारी भावी सन्तानों को कभी भी प्रेरणा प्रदान नहीं हो सकती। जो प्रेरणा आज के बच्चों और नौजवानों में है, जिन्होंने अपनी आंखों से उन त्यागियों को देखा है, जो अपने राष्ट्र के लिये फना हो गये हैं, वह आगे नहीं रहेगी। उनके लिये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक प्रत्यक्ष इतिहास की आवश्यकता है। आज हालत यह है कि जिन्होंने कभी स्वतंत्रता के नाम को भी नहीं लिया, हमने उन नौजवानों को देखा है कि जो गांधी जी के नाम पर, आजादी के नाम पर और देश के नाम पर जूते पीटने के लिये तैयार रहते थे। हमने उन व्यक्तियों को भी देखा है कि जिनको अंग्रेजों ने रुपये से और पैसे से खरीद कर दुनिया की राजधानियों में हिन्दुस्तान को आजादी के लिये नाकाबिल बताने के लिये प्रचार के वास्ते भेजा था, हम उन्हें माफ कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। भले ही हमारे देशवासियों ने उनको सम्मानित किया हो, लेकिन हम कभी भी ऐसे लोगों का दिल से सम्मान कर नहीं सकते जिन्होंने कि विदेशियों का साथ दिया है और जिन्होंने कि अपनी मातृभूमि को पीठ दिखाई है और जिन्होंने भारतीय झंडे को कुचला है और जिन्होंने उस को घृणा की दृष्टि से देखा है। हम आज भी उस बात को भूल नहीं सकते, भले ही आज वह लोग बड़ी-बड़ी पोजीशन में हों, भले ही उन के मित्र उन के कारनामों को भूल जायं और उनको बड़ी-बड़ी पोजीशन में रख दें। लेकिन उन के ऐसे कारनामों से जो हमारे दिल पर और हृदय पर धक्का लगा है और चोट पहुंची है हम कभी भी उस को भुला नहीं सकते। हम उन को भले ही माफ कर दें लेकिन उन के अत्याचारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि जो कांग्रेसी नहीं थे वह कांग्रेसी बन कर बड़ी-बड़ी पोजीशन पर कुर्बानी करने वालों की छाती पर जमकर आज देश के धन का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें देख कर आज हमें महान खेद और घृणा होती है, हम इस चीज को कभी गवारा नहीं कर सकते। इसके बाद एक दिन वह आने वाला है जब हर किसी से हिसाब लिया जायगा। हम इस चीज को गवारा कर नहीं सकते। बहुत से लोगों को पेंशनें दी जाती हैं उन को सत्याग्रही और राजनैतिक पीड़ित माना जाता है जब कि उन्होंने कभी

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

राजनीति में भाग नहीं लिया, बहुत से लोग राजनैतिक पीड़ित होने के नाते और कांग्रेसी होने के नाते नौकरियों में घुस गये, इसका हमें बड़ा दुख है। अगर हमारे देशवासी इस सम्बन्ध में आंखों से काम न लें और दिमाग से न सोचें अच्छी तरह से कि कौन वाकई राजनैतिक पीड़ित है, इस का मनन न करें तो मैं समझता हूं कि खुले दिल-दिमाग से फैसला नहीं करते बल्कि वह बिना रोशनी की आंखों से देश का फैसला करते हैं तो वह फैसला सही कैसे हो सकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम कभी यह नहीं चाहते कि उनकी याद में, शहीदों की याद में बड़े-बड़े मेमोरियल खड़े किये जायं। लेकिन हमारी एक छोटी सी अर्ज जरूर है कि इस आजादी की लड़ाई का एक सही इतिहास अवश्य लिखवाया जाय ताकि हमारी भावी सन्तानें जान सकें कि हमारे पूर्वजों का कैसा उज्ज्वल इतिहास था, कैसी उनकी कृतियां थीं और इसको वह कभी भी भुला न सकें? और वह इतिहास हमारे देश को सदा के लिये एक प्रेरणा देता रहे और पथप्रदर्शन का काम करता रहे जिससे हमारे नौजवान आगे बढ़ते हुये इस देश को पार लगा सकें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदास जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, जो लोग शहीद हो गये और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी थी और जो आज भी जीवित हैं उनका स्थान हमारे समाज में बहुत ही ऊंचा है।

श्रीमन् आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जोकि आजादी की लड़ाई में जेल में मर गये या जेल से निकलने के बाद अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनके परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। जैसा और भी माननीय सदस्यों ने कहा मैं भी चाहता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और एक लिस्ट तैयार करानी चाहिए कि कौन-कौन से लोग आज जीवित हैं और उन्होंने देश के लिये कितनी कुर्बानी की है और अगर वह जीवित नहीं हैं तो उनके घर में माता-पिता या बच्चे जो हैं उनकी क्या हालत है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और कैसे अपना गुजारा करते हैं।

अभी मैंने एक सवाल दिया था बलिया का। एक बहुत बड़े सेनानी थे आजादी की लड़ाई के, वह मर गये और उनके परिवार में सिर्फ उनके माता-पिता हैं। सरकार के सामने बहुत आरजू-मिन्नत उन्होंने की लेकिन कुछ नियमों की वजह से और कानून में कड़ाई होने की वजह से वह पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर सोचे। ऐसे लोगों के प्रति जिनका कि कोई सहारा नहीं है और घर में बच्चे हैं या बूढ़े मां-बाप हैं जिनके नौजवान बेटों ने देश के लिये कुर्बानी की है, हमारी और हमारे समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। जहां तक हो सके सरकार उनको सुविधा प्रदान करे।

सरकार ने राजनैतिक पेंशन देने का एक कानून बनाया है। लेकिन जैसा कि श्री माननीय रावत जी ने कहा, और भी माननीय सदस्यों ने कहा और तिवारी जी ने भी कहा कि १० रुपये से ७५ रुपये तक पेंशन दी जाती है। यह जो विरोध है पेंशन देने में इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपने खून को देकर उस पौदे को सींचा है अगर उनका हमें सम्मान करना है तो यह जो अन्तर्विरोध है इसको खत्म करके एकरूपता लाने की जरूरत है और जितनी पेंशन सरकार दे सके वह सबको एक भाव से दे। तभी मैं समझता हूं कि उनके प्रति हम सम्मान प्रकट कर सकते हैं।

इसी तरह एक और सवाल था। सरकार ने एक नियम बनाया है कि राजनैतिक पीड़ितों को बच्चियों की शादी के लिये भी सरकार कुछ एकमुश्त सहायता देती है। लेकिन गत दो-तीन वर्षों में सैकड़ों ऐसी दरख्वास्तें पड़ी रह गईं, और उन बेचारों ने कर्जा लेकर, चन्दा इकट्ठा करके और अपने साथियों से पैसे मांग कर अपनी बच्चियों की और बेटों की शादी करदी, लेकिन सरकार से उनके लिये एक-मुश्त सहायता नहीं दी गई, और फिर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि उसमें देरी हो गई। इस तरह की देरी या तो नियमों की वजह से हुई या किसी वजह से हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके प्रति हम न्याय या सम्मान नहीं करते। इसलिये हमको इस मसले पर विचार करने की आवश्यकता है और एकमुश्त सहायता जितनी जल्दी हो सके उनको दी जाय। आज भी देखें, सैकड़ों प्रार्थना-पत्र सरकार के यहां विचाराधीन हैं और बहुत लड़कियों की शादियां हो गईं लेकिन सरकार के यहां कोई फैसला नहीं हो सका। उनके बच्चों को छात्रवृति दी जाती है लेकिन बहुत से बच्चों को आज भी ठीक से छात्रवृति नहीं मिल पाती है। इसलिये सरकार इन मसलों पर सोचे और जितना हम उनका सम्मान कर सकते हैं करना चाहिये।

जैसा और लोगों ने कहा, उनके बारे में हमको इतिहास लिखने की आवश्यकता है। जबतक इतिहास नहीं लिखा जायगा तबतक मैं समझता हूं हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम उससे परिचित नहीं करा पायेंगे। माननीय सदस्यों ने बहुत से षड़यन्त्रों का जिक्र किया, जैसे मेरठ का षड़यन्त्र, काकोरी और मैनपुरी का भी नाम लिया गया। आज भी बहुत से लोग उनमें से जिन्दा हैं और बहुत से लोग अपने आत्मसम्मान के लिये सोचते हैं कि हमने जो भी त्याग किया उसकी कीमत पैसे में नहीं आंकेंगे और सरकार के सामने गिड़-गिड़ाना नहीं चाहते। जो लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक ही सोचते हैं। लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि उनका इतिहास लिखाने के लिये एक कमेटी बनाये, उनको प्रमाण-पत्र दे। तभी जा करके हम उनका सम्मान कर सकते हैं। बहुत से हमारे शहीद ऐसे हैं जिनको हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी यादगार में कुछ नहीं बना पाये हैं। एक कमेटी कायम हुई है, वह कुछ शिथिल है। इसलिये सरकार उस कमेटी को सक्रिय करे और सरकारी खजाने में जहांतक सम्भव हो सके पैसे दे करके यादगार में श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करे।

बहुत से सवालों को लेकर उस जमाने में आन्दोलन उठाये गये जिनमें लोगों ने अपनी जानें दीं। मगर आज यह सरकार उनको तोड़ती जा रही है। जैसे शराबबन्दी आन्दोलन, जिसमें लाखों लोगों ने जानें दीं। आज महात्मा गांधी की दुहाई दी जाती है, हर मसले में दी जाती है और सरकार भी कहती है कि हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। उन्होंने नमक आन्दोलन तथा शराबबन्दी आन्दोलन चलाया। लेकिन आज यह सरकार उन्हीं बातों को कर रही है। विदेशी कपड़े का उनके जमाने में वहिष्कार किया गया। लेकिन आज सरकार इन तमाम चीजों पर परदा डाल रही है। तमाम चीजों के लिये दरवाजा खोल दिया है। शराबबन्दी की हालत यह है कि उससे आमदनी बढ़ रही है। ११ जिलों में जहां शराबबन्दी की गई है वहां नाजायज तरीके से शराब बनाई जा रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। हरद्वार के पास सरकार को शराब की दुकान खोलनी पड़ी। इसलिये सरकार को इन चोजों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। जबतक इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तब तक सही मानें में उन शहीदों के प्रति सम्मान नहीं प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इन्हीं सब नारों को ले करके कुर्बानी की थी और उन चीजों का वहिष्कार किया था और देश को एक रौशनी तथा रास्ता दिया था जिसपर चलकर लाखों लोग जेल-खाने गये, डन्डे खाये, अपना घर, जायदाद खोया तथा तरह-तरह की मुसीबतें झेलीं। उस समय हमने जिन चोजों का वहिष्कार किया था उन्हीं को आज जब हम लागू देखते हैं तो समाज के लोगों में काफी क्लेश होता है। इसलिये मैं सरकार के सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि वह इन मसलों पर सोचे।

[श्री ऊदल]

इसी तरह से महारानी लक्ष्मीबाई को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने स्वतन्त्रता के संग्राम में जो हिस्सा लिया था वह केवल इस देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनके परिवार के लोग आज भी मौजूद हैं। जबलपुर में आज भी उनके नाती या कोई दूसरे सम्बन्धी रहते हैं। उनको भारत सरकार भी पेंशन देती है और यह सरकार भी ७५ रुपये महीना पेंशन देती थी। लेकिन अभी मैंने एक सवाल किया था उसके जवाब में बताया गया कि अब सरकार ने उनको पेंशन देना बन्द कर दिया है। यह बड़े दुख की बात है। उनकी बहुत-सी सम्पत्ति आज भी भारत सरकार और इस प्रदेश की सरकार के कब्जे में है और बहुत से सरकारी दफ्तर आज उनके महलों और मकानों में खुले हुये हैं। उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें अपनी सम्पत्ति को वापस करने की मांग की थी। भारत सरकार ने इस सरकार को एक पत्र लिखकर इस सम्बन्ध मे उसकी राय पूछी है। जब बहुत से लोगों को, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी मुआवजा दिया गया और उनकी सम्पत्ति वापस की गई, तो क्या वजह है कि झांसी की रानी के खानदान के लोगों की पेंशन भी बन्द कर दी गई और उनकी सम्पत्ति भी वापस नही की जाती। मैं चाहता हूं कि सरकार इसपर सोचे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों से मैं यह आग्रह करूंगा कि सब लोग मिल कर सरकार पर यह दबाव डालें कि वह भारत सरकार को उनकी सम्पत्ति वापस करने का सुझाव दे।

इसी तरह से जैसा कि माननीय रावत जी ने कहा कि अभी तो हमको राजनीतिक आजादी मिली है, आर्थिक रूप में तो हम आज भी गुलाम हैं। जो लोग उस वक्त शहीद हुये, जिन लोगों ने डन्डे खाये, जेल गये उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि हमको सिर्फ राजनीतिक आजादी मिलेगी, आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां से एक ऐसा प्रस्ताव पास होकर के जाना चाहिये भारत सरकार को कि जो हम आज आर्थिक रूप में गुलाम हैं, जो हमारे आर्थिक साधन हैं जिनके ऊपर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है और हमारे देश की जो गाढ़ी कमाई लूट कर इंगलैन्ड में जाती है उससे हमको मुक्ति मिलनी चाहिये और हम यह मांग करें कि जो आज चाय के बागान या इस तरह की सम्पत्तियां हैं जिनकी आमदनी अंग्रेज ले जाते हैं, बेहिसाब मुनाफा खाते हैं, उस मुनाफे पर वह रोक लगायें और उस पैसे को बचा कर देश के निर्माण में लगाये तभी हम उन शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचेगी।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदास जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सन् १८५७ का स्वतन्त्रता संग्राम वह संग्राम है जिस मे शहीदों के लहू ने आजादी के महल के बनाने में ईंट और गारे का काम दिया था। सन् ५७ में हमारे ही प्रान्त में नहीं बल्कि पूरे देश में अंग्रेजो सरकार के प्रति एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ था और उस में हर जिले-जिले और गांव-गांव में शहीदों ने अपना रक्त दिया था। सन् १८५७ ई० से ही स्वतन्त्रता संग्राम का आरम्भ हुआ था। उस समय अंग्रेजों के प्रति इतनी अधिक घृणा पैदा हो गई थी उनके अत्याचारों के कारण और खासकर हमारे प्रान्त में अवध को तो इस प्रकार उन्होंने तबाह किया था कि उनके खिलाफ वीर राणा बेनीमाधो सिंह ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली थी और उनका प्रभाव ग्वालियर, बुन्देलखन्ड और दिल्ली तक पहुंच गया था। राणा बेनीमाधो सिंह से मेरे जिले के श्री शिवदयाल सिंह, खागा के दरियाव सिंह और उनके लड़के सुजान सिंह, जिन को फांसी दे दी गई थी गंगा को पार करके बराबर अवध में उनसे सलाह लेने और स्वतन्त्रता संग्राम का संचालन करने आया करते थे।

आज भी उस स्वतन्त्रता संग्राम की याद दिलाने के लिये हमारे जिले में, ग्राम खजुहा में बावनी इमली प्रस्तुत है जिसमें एक ही साथ १५२ स्वतन्त्रता संग्राम पुजारियों को रस्सी से बांध कर लटका दिया था। आज वह इमली १२, १५ फीट से ज्यादा ऊंची नहीं है। आज भी

उसका मस्तक उन शहीदों के सम्मान में झुका हुआ है। और भूमि पर उसकी टहनियां लटक रही हैं, आज जब यह प्रस्ताव हमारे सामने आता है और जब यह सवाल आता है कि हम उन शहीदों के वारिसों तथा उनके परिवार वालों का सम्मान करें, उनकी जब्त की हुई जायदादों को पुनः वापस करें तो कहना न होगा कि आज शर्म से हमारा मस्तक झुक जाता है। आज भारत माता को स्वतन्त्र हुये १३–१४ वर्ष हो गये हैं और १४ वर्ष के बाद आज हम यह फिक्र करने जा रहे हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने और हमारी भारत सरकार ने भी १९२० से लेकर १९४२ तक स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के लिये एक पेंशन योजना चलाई है। लेकिन जब हम १८५७ के इधर गौर करते हैं तो जिन लोगों ने देश के स्वतन्त्रता संग्राम का विरोध किया था, अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजी सरकार की तरफ से उनको उन्हीं शहीदों की जायदादें इनाम में दी गई थीं, और उनका सम्मान किया गया था। उनको अंग्रेजी सरकार ने रायबहादुर, खान बहादुर और राय साहब के खिताब दिये। आज तो सिर्फ उनको यादगार बनाये रखने की बात है। एक बात और भी नहीं भुलायी जा सकती कि स्वतन्त्रता संग्राम के सौ वर्ष के दौरान में जिनकी बड़ी इज्जत है, उन देश के सर्वमान्य नेता अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी ने सर्वप्रथम हिन्दु मुसलमान की एकता के लिये अपना रक्त-दान किया था। बापू ने कराची कांग्रेस के अवसर पर उनके लिये कहा था कि गणेश जी की मृत्यु से मुझे ईर्ष्या होती है कि मेरी भी मृत्यु इसी प्रकार हो। भगवान ने उनका वह सुख स्वप्न पूरा किया। आज गणेश जी का स्मारक कानपुर में है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहता हूं जहां गणेश जी का जन्म हुआ, उनके पिता और उनके पुरखों का स्थान है। वह फतेहपुर जिले में एक ग्राम हथगांव है। वहां उनके मकानों के खंडहर आज भी विद्यमान हैं जहां पर मैंने यह कोशिश की कि उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाय। मैंने पिछले वर्ष माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह सुझाव दिया था। लेकिन विभाग की ओर से नकारात्मक उत्तर दिया गया। अब हमारे वर्तमान मुख्य-मन्त्री जी के सामने यह प्रश्न प्रस्तुत है। मैं यह चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम के उस बलिदान में भी उसका जिक्र किया जाय और उनका स्मारक उनके जन्म-स्थान पर अवश्य बनाया जाय। जहांतक पेंशन और सहायता की बात है, दस, बीस, पचास रुपये की मासिक पेंशनों से हम उन स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों का कोई सम्मान या उनके परिवार के पालन-पोषण की बात नहीं कर सकते। जब अंग्रेजी सरकार ने बड़े-बड़े इलाके उनको, जिन्होंने मुल्क की गद्दारी में भाग लिया, इनाम में दे दिये थे तो आज हम स्वतन्त्र होते हुये भी उनकी या उनके परिवार की स्मृति में दस, बीस, पचास रुपये की सहायता ही दे सकें, यह उनके प्रति अन्याय होगा। वैसे पेंशन देने की बात आई है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसकी जिले-जिले में पुनः जानकारी होनी चाहिये, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये और इसके लिये जिले-जिले में स्वतन्त्र कमेटी गैर–सरकारी और सरकारी रूप से मिलकर बनानी चाहिये। बहुत से शहीद ऐसे हैं कि जिनका कोई नाम भी नहीं जानता जिन्होंने कि इस आजादी के लड़ाई में सर्वप्रथम अपना रक्तदान किया है। देहात में उन बेचारे गरीबों का, जिन्होंने की वर्तमान स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी जान गंवाई, अपना खून दिया, आज कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक जिले में पुनः इस बात की जांच होनी चाहिये कि वहां स्वतन्त्रता संग्राम में किन-किन लोगों ने योग-दान किया था।

मेरा एक छोटा-सा जिला है जो इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं कि सन् ३० के आन्दोलन में मेरे उस छोटे से जिले ने ५०० सैनिक कानपुर को दिये और ४०० इलाहाबाद को दिये तथा ७ सौ सैनिक लखनऊ भेजे थे। लेकिन आज इस जिले का स्थान नहीं के बराबर है। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वहां सुविधायें मिलें या न मिलें, कार्य वहां हों या न हों, लेकिन जहां तक स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के सम्मान की बात है हम किसी के पीछे नहीं रहना चाहते और यहां भी बराबर उनका सम्मान होना चाहिये, यह तो एक देश की बात है, प्रदेश की बात नहीं है। अंग्रजी सरकार ने जो इलाके जब्त किये

[श्री वासुदेव दीक्षित]

थे, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि उन इलाकों को जब्त करके उसने उन्हीं को दिये थे जिन लोगों ने कि मीरजाफरी और जयचन्द के काम किये थे। हमारे जिले का बहुत सा भाग उन बोरधर योधासिंह और शिवदयाल सिंह की जायदाद को जब्त करके उन लोगों को दे दिया गया जिन लोगों ने कि मुखबिरी की थी और उनको गिरफ्तार करवाने में लगे थे। खागा के दरियावसिंह का इलाका जब्त कर लिया गया था। उनके पुत्र सुजानसिंह और उनको दोनों को फांसी की सजा दे दी गई थी जिन्होंने कि तहसील के खजाने पर और तहसील पर पूरा अपना कब्जा कर लिया था और तीन महीने तक अपनी सरकार चलायी थी। सन् ५८ में उनका फैसला हुआ था उस अंग्रेजी हुकूमत के मैजिस्ट्रेट ने लिखा था कि दरियावसिंह ने सरकार के साथ बगावत की है और इस बगावत में उनके पुत्र सुजानसिंह ने भी भाग लिया है। अतएव हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उनको फांसी की सजा दे दी जाय। वह उस वक्त उपस्थित नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया और फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। कर्नल नील की अध्यक्षता में एक बड़ी फौज इलाहाबाद से चली जिसने कि उस पूरे गढ़ी को तोपों से उड़ा दिया जिसके कि ध्वंसावशेष अभी तक बाकी हैं और इस जिले के गजेटियर में यह भाग और वह बयान मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाय या उनके परिवार वालों को, जिनका कि अभी एक एक डेप्युटेशन सरकार से मिला था, यह आश्वासन दिया जाय कि उनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया जायगा।

मान्यवर, जिन शहीदों ने इस स्वतन्त्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है और अपना बलिदान दिया है उनके लिये हम आज केवल इतना ही कर सकते हैं कि उनका सम्मान कर सकते हैं, और हम उनको क्या दे देते हैं ? जिन लोगों ने कि स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और अपने आंखों से स्वतन्त्रता को देख लिया वह तो खैर एक तरीके से उनके हौसिले पूरे हो गये, लेकिन जिन लोगों ने अपना मूक बलिदान भारत माता को सुपुर्द किया उनके लिये आज हम इतना भी न करें कि उनका स्मारक बनवा दें, उनकी यादगार बनवा दें तो हमारी भावी सन्तान इस स्वतन्त्रता संग्राम के सम्बन्ध में क्या समझेगी ? यह स्मारक अंग्रेजी जमाने में बना बताया जाता था। अंग्रेजों ने यह किया था कि अंग्रेजी सरकार के साथ बगावत करने से यह फल होता है कि उसको फांसी दे दी जाती है। सरेआम सड़क पर, आम रास्ते पर, आम स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दे दी गई थी। फांसी पर लटका दिया गया था। जनता को आतंकित करने के लिये और अपना रौब जमाने के लिये ऐसा किया गया था। लेकिन आज जब हम स्वतन्त्रता की सोचते हैं तो जिन शहीदों ने अपना रक्तदान दिया और अपने को शहादत में पेश किया तो आज उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को दोहराते हुये, माननीय नारायणदास जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन पूर्णरूप से करता हूं और यह आशा करता हूं कि हमारी सरकार इन बातों को मद्देनजर रखते हुये स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के लिये, जिन्होंने १८५७ से लेकर १९४२ तक आजादी के लिये कार्य किया है, जो बातें प्रस्ताव में कही गई हैं, उनको पूर्ण करेगी।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी उत्तरीय सरहद पर राष्ट्रीयता विरोधी कार्य हो रहे हों तो ऐसे अवसर पर नारायण दास जी पासी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत महत्व रखता है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस प्रस्ताव का सरकारी पक्ष से आना सरकार की बड़ी कमजोरी का द्योतक है। मान्यवर, आप भी दुनिया के देशों में घूमे हैं और हम लोगों ने भी इतिहास पढ़ा है दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के लिये, वहां की आजादी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अपने को बलिदान करने वालों के लिये कोई प्रस्ताव वहां की पार्लियामेंट में इस बात के लिये आता हो कि सरकार को उस देश के सपूतों की मदद करनी चाहिये, उनके बच्चों की या उनके लोगों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बड़ी लज्जा की बात है। इस प्रस्ताव को यहां पर लाने से यह जाहिर होता है कि इस सरकार का १८५७ से लेकर आज तक जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं, उनके बच्चों के साथ और उनके आश्रितों के साथ अच्छा सलूक नहीं है। मान्यवर, आज इस अवसर पर इस प्रस्ताव के जरिये से, जो हमको सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है वह यह कि आज हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। आज खुशी इस बात की है कि इसी हाउस में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो १८५७ के या १९४२ के आन्दोलनों को अंग्रेजों की मुखालफत का आन्दोलन नहीं बतलाते थे बल्कि और कुछ बतलाते थे किन्तु आज वही लोग इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इस बात की हमको खुशी है कि जिन्होंने इस आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया है, आज वह भी इस बात को कह रहे हैं कि यह प्रस्ताव सही है और उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिये। यह अच्छी बात है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि सरकार ने ऐसे लोगों की मदद उतनी नहीं कि जितनी करनी चाहिये थी। देश के लिये उन्होंने कुर्बानी की, लेकिन सरकार ने उतनी मदद नहीं की। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। चन्द्रसिंह गढ़वाली ने अमृतसर में अंग्रेजी कमान्डर के द्वारा आर्डर देने पर गोली चलाने से मना कर दिया कि मैं अपने देशवासी भाइयों पर गोली नहीं चलाऊंगा। आज उस चन्द्र सिंह के परिवार को इसी कांग्रेसी सरकार ने १५ रुपया मासिक वेतन पेंशन देना तय किया है जिसने अमृतसर में अपने अंग्रेजी कमांडर से यह कह दिया था कि यह मेरा पिटीशन लो। जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी उसे १५ रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। राहुल साहब ने जब किताब लिखी तब लोगों को पता चला कि चन्द्रसिंह ने उस रुपये को लेने से इन्कार कर दिया और सन् ४२ में जो महात्मा गांधी और पंत जी की जय के नारे लगाते हुए दो-तीन महीने के लिये भी जेल गये उनको आपने ६० और ७५ रुपये पेंशन दी है। इसीलिये नारायणदास जी ने इस प्रकार के प्रस्ताव को लाना जरूरी समझा।

एक चन्द्रसिंह की बात मैंने बतलायी। ऐसे कितने ही लोग छिपे होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उनके तीन लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। दूसरा ताज्जुब मुझे यह है कि बिस्मिल अपनी मां के एकलौते बेटे थे उनको इस सरकार ने २५ रुपया पेंशन दी है। जानने के बाद मैं वहां गया और मैंने देखा कि एक बुढ़िया चली जा रही थी और लोग उसे प्रणाम कर रहे थे। पूछने पर लोगों ने बतलाया कि ये ही उस शहीद की मां है। मैं भी उस बुढ़िया के पास गया। उस समय कंट्रोल का जमाना था। मैंने पूछा कि माताजी कहां जा रही हैं? उन्होंने बतलाया कि दूकान पर गल्ला खरीदने जा रही हूं। मैंने पूछा कि रुपया कहां से आता है—उनमें ममत्व अधिक था—कहा कि सरकार ने २५ रुपया पेंशन बांध दी है। जिस मां ने अपने एकलौते बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया उसके बदले में उसे २५ रुपया पेंशन मिलती है और जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, जिनका कारबार है, जो कभी एक बार जेल हो आये हैं उनको यहां से ६० और ७५ रुपया पेंशन मिलती है। क्या यह न्यायसंगत तरीका है?

आज पेंशन तीन रूप में दी जाती है। एक तो २५, ३०, ६० या ७० रुपया मासिक पेंशन दी जाती है, दूसरे एक लम्पसम दिया जाता है लड़कियों आदि की शादी के लिये और तीसरे राजनीतिक पीड़ितों के जो बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ते हैं उनको वजीफा आदि मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि वजीफा उन्हीं को मिल पाता है कि जो दरख्वास्त लेकर आप तक पहुंच जाते हैं। जिनके पास जेल जाने का सर्टिफिकेट है, क्या जरूरत है कि उसके बाद उनकी दरख्वास्त पर कोई एम० एल० ए० लिखे या जिलाधीश उसकी सिफारिश करे? उनको सर्टिफिकेट के ऊपर ही मदद मिलनी चाहिये।

[श्री प्रताप सिंह]

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस देश का स्वतंत्रता का संग्राम इतिहास लिखने के लिये एक समिति बनी है। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे महत्व का प्रस्ताव यहां विचाराधीन है। किन्तु उस समिति का कोई सदस्य यहां दिख नहीं रहा है। आज उस समिति के सदस्यों का फर्ज है कि जब ऐसे महत्व का प्रस्ताव यहां विचाराधीन है तो उनको यहां अवश्य रहना चाहिये।

दूसरे देश में बहुत से लोगों ने कुर्बानी की है। इतिहासकारों ने केवल उनका ही जिक्र किया है जिन तक वे पहुंच पाये हैं। उन सैनिकों में तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडेय और झांसी की रानी का नाम ही बहुतों ने सुना होगा, किन्तु बहुत से ऐसे लोग भी निकलेंगे जिन्होंने मंत्रीजी के साथ या गेंदासिंह जी के साथ इनकलाब किया है और आज न तो गेंदासिंह जी के पास पहुंच सकते हैं और न मंत्रीजी के पास। आज पंचायती राज है और मैं चाहता हूं कि जब समाजवाद का ढांचा कायम है तो हर ग्राम सभा में जांच होनी चाहिये कि किन किन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और किन किन लोगों ने उस के लिये लड़ाई लड़ी है। और उनके नाम हमारे ग्रामसभा भवन में संगमरमर के पत्थर पर लिखे जाने चाहिये। इस तरह रेकार्ड रहने से आगे आने वाली पीढ़ी जान सकेगी और उससे सबक लेगी। लेकिन आज तो केवल बड़े-बड़े लोगों का इतिहास लिखा जाता है। १४ अगस्त, १९४७ तक जो लोग उत्तर प्रदेश में और देश में यह कहते थे कि अंग्रेज को देश से नहीं जाना चाहिये और देश से चला जाय तो उत्तर प्रदेश से नहीं जाना चाहिये, आज वही देश की ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं, कांग्रेस के एम० पी० हैं।

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इतिहास लिखने के लिये जो समिति बनायी गयी है उसमें वह काम ऐसे लोगों के हाथों में है जो उस काम को जानते नहीं हैं। जो इस विषय पर अच्छी किताबें लिख रखे थे उनको वहां से अलग कर दिया गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर डिवीजन के कमिश्नरी लेविल पर और ग्राम सभा लेविल पर जांच होने के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक हों उनका जिक्र उसमें होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश की आजादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज सबसे ज्यादा उन लोगों की संख्या कांग्रेस में है, आज एक तरह से जमाना ही उनका है, कांग्रेसी जमाना है और उनके राज्य में ऐसे लोग जो काफी धनी हैं वे कोशिश करके डाक्टर सीताराम जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज सरकार के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि किसको हम मिनिस्टर बनायें, किसको क्या चीज दें। अधिक से अधिक सुविधायें उन लोगों को दी जा रही है जिनसे अधिक वोट मिलने की आशा की जाती है या जो उनके निकट संबंधी वगैरह हैं। उन्हीं लोगों को पड़ोस में रखा जाता है और हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की जाती है। सरकार को अपने इस रवैइये को बदलना चाहिये।

मुझे खुशी है कि हमारे ऊदल जी भी आ गये हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया क्योंकि उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों में आरखंडे राय जी व उनकी पार्टी के लोगों का भी हाथ था, उनको भी काफी कुर्बानियां हैं। आज धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट पार्टी का नजरिया बदल रहा है और वे अब राष्ट्र विरोधी आन्दोलन से दूर जा रहे हैं, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। चीन जो आन्दोलन चला रहा है हम उसका विरोध करते हैं और ऐसे समय में हमें लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने की परम आवश्यकता है।

इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि आज जो स्कूलों में जन-मन-गण नायक का गीत गाया जाता है वही काफी नहीं है, हमें फिर से उसी वन्दे मातरम के गीत की आवश्यकता है। आज स्कूल-स्कूल में, गांव-गांव में, बन्दे मातरम के गीत का प्रचार करने की आवश्यकता है, सन्

४२ की क्रान्ति को फिर से लाने की आवश्यकता है । आज जो कम्युनिस्ट-प्रचार चल रहा है उसको काउन्टरऐक्ट करने के लिये यह जरूरी है कि ऐसे प्रस्तावों पर गंभीरता के साथ विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कहता हुआ, यही कहूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता के साथ विचार करे । स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों को मदद करने के लिये एक पैमाना हो, यह नहीं होना चाहिये कि किसी-किसी के पास ४-४ फार्म्स हैं, हर तरह की सुविधा है, ७५ रुपये पेंशन भी मिल रही है और किसी को कोई सुविधा नहीं है । मेरे यहां एक व्यक्ति चन्द्रसिंह गढ़वाली हैं, उसकी तीन जवान लड़कियां हैं जिनकी शादी करने के लिये उनके पास एक पैसा भी नहीं है । उसने सरकार से काफी निवेदन किया, कोशिश की, लेकिन उसको कोई सहायता नहीं मिली । आजतक दुनिया के इतिहास में भी असेम्बली के अन्दर इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया । सरकार को तो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की मदद करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत से ऐसे भी महान् देश-भक्त हुये हैं जिन्होंने इंग्लैंड में रह कर भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है । सरदार ऊधम सिंह ने इंगलैंड जाकर अंग्रेजों से बगावत की । सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचा है ? आपने उन लोगों के परिवार वालों को क्या दिया ? महात्मा गांधी जी ने छोटे से लेकर बड़े बड़े आदमियों तक वह जादू किया जिसके द्वारा टीकाराम पुजारी जैसे लोग भी उनके पीछे चलने के लिये प्रेरित हो गये । आज आपका वह जादू कहां गया ? अगर आपने हिन्दुस्तान में उस जादू को नहीं चलाया, अगर आपने देश को इसी अस्थिपंजर हालत में छोड़ दिया तो आने वाला समय आपको क्या कहेगा ।

मेरा सुझाव है कि वे वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उनकी आप मदद कीजिये, यह नहीं होना चाहिये कि जो एक बार जेल चला गया, उसको ७५ रुपये की पेंशन भी मिल गयी, और भी सुविधायें मिल गयीं, और दूसरी तरफ उस मां को, जिसने अपने बच्चे को देश की स्वतंत्रता के लिये बलिदान कर दिया, केवल २५ रुपये ही मिल रहेहैं । हमारे यहां हजारों मां ऐसी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अपनी मांगों का सिंदूर तक मिटा डाला । इसलिये मेरा सुझाव है कि ग्राम सभा और अगर वह अधिक छोटी हो तो ब्लाक लेविल पर सर्वे होना चाहिये और ब्लाक कार्यालय पर संगमरमर पर लिखा रहे कि अमुक माता, अमुक बहिन और अमुक भाई ने बलिदान किया । साथ ही उन नियमों में परिवर्तन किया जाय । जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अपना खर्चा चला सकते हैं उनसे पेंशन वापस होनी चाहिये और जो आज नहीं हैं जिनको सचमुच आवश्यकता हो उनको वह पेंशन दी जानी चाहिये ।

मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने यह सुना माननीय मंत्री जी को यह कहते हुये कि शादियों के लिये अर्जियां आयी थीं, उन पर विचार हो रहा है । अफसोस है कि हिन्दुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी तमाम शादियां की तिथियां जन्म कुंडली वगैरह मिलाकर तय कर लेते हैं और यहां अर्जियां देते हैं उनके लिये कहा जाता है कि हम उन पर विचार करेंगे । मैं मंत्रियों की इज्जत इसलिये करता हूं कि वे हमसे सयाने हैं लेकिन सस्ते गल्ले की दूकान खोलने के लिये भी वही जवाब और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक गढ़वाल से, पूर्व या पश्चिम से शादियों के लिये अर्जियां भेजते हैं तो उसके लिये भी वही जवाब कि विचार हो रहा है, यह तरीका डिमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का नहीं है । यह तरीका तो किसी तानाशाह का है जो समझता है कि उसे किसी का डर नहीं है, या सरकार फिर यह समझती है कि हिन्दुस्तान के लोग तो भेड़ हैं, जिधर एक भेड़ चल देगी उधर सभी भेड़ें अपना सिर कटाने के लिये पहुंच जायेंगी । तो सही है कि कसूर मेरा है, आपका नहीं है । लेकिन अगर यह प्रजा के लिये राज्य है तो जो गरीब हैं, जो सचमुच हकदार हैं या शादियों के लिये अर्जियां देते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिये । इसके लिये एक जांच कमेटी बैठानी चाहिये कि जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं वे कौन-कौन हैं और उनकी पेंशन वापस होनी चाहिये और दूसरे सही लोगों को वह पेंशन मिलनी चाहिये ।

[श्री प्रताप सिंह]

इसके पश्चात् मैं इसी सिलसिले में यह कहूंगा कि पहाड़ी इलाकों में कम्यूनिस्ट पार्टी के गलत तरीकों से लड़ने और राष्ट्रीयता का प्रचार करने, राष्ट्रीय लोगों को सहायता देकर वहां के लोगों को जगाने में सरकार हमारी मदद दे ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में माननीय नारायणदास जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज भारत को आजाद हुये करीब १४ साल हो गये और आज मैं इस स्थान पर जो लोग आजादी की लड़ाई में और सन् १८५७ के विद्रोह में या आजादी की लड़ाई में कहिये अपना बलिदान किये उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये यह कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ १८५७ में लड़ी गयी थी उसमें यही गरीब नवजवान सैनिक लड़े थे । बाद में राजा लोग उसमें आ गये थे । उन गरीबों ने इसलिये लड़ाई लड़ी थी कि हमारे यहां गरीबों की हुकूमत कायम की जाय । उसमें कोई राजा या महाराजा नहीं था जिसने उन वीर सैनिकों को सहायता दी हो, वह बाद में संगठित हो कर आगे बढ़े और आये भी ये लोग तो इसलिये कि उन्हें अपनी गद्दी को बचाना जरूरी था । लेकिन जिन लोगों ने वह मशाल जलाई थी उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा ।

अप्रैल, १८५७ में आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुयी थी और वह देश भर में छावनी में फुल रोटी का चिन्ह भेज कर संगठित किया और अंग्रेजी साम्राज्यशाही को हुकूमत को देश से निकालने की लड़ाई शुरू की थी ।

मैं एक बात अपने गोंडा जिले की कहना चाहता हूं । हमारे राजा देवीबख्श सिंह जी एक वीर सैनिक थे । उनके खानदान के लोग और उनकी प्रजा उनके साथ हो गयी और उन्होंने गोंडा जिले के अन्दर अंग्रेजों को न घुसने देने के लिये जो कार्य किया वह इतिहास के पन्नों में तो अंकित नहीं है लेकिन बिरहा के रूप में आज भी गांव-गांव में गाया जाता है । मुझे उसकी दो चार पंक्तियां याद हैं :—

राजा देवीबख्श लोहबंका, जिनका बाजै देश मां डंका ।
उनके सैनिक मारि मारि कर, देशवा से अंगरेजवा दिहिन निकारि ।"
गोंडा जिले के चौरासी कोस मां, राजा कै हुइगा राज,
भाग फिरंगी हैं लमती से, वह का फैजाबाद मां मिला स्थान ।"

तो लमती का जिक्र आज जैसा कि बिरहा में आया है वह गोंडा और फैजाबाद के बेल्ट में है वहीं से, उसी स्थान से लड़ाई शुरू हुई । वहां से उन्होंने अंग्रेजों को मार मार कर भगा दिया और काफी समय तक अंग्रेजों का नामोनिशान उस जिले में नहीं रह गया । राजा गोंडा की जो जागीर थी वह अंग्रेजों के खैर-ख्वाहों को इनाम में दे दी गयी जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता दी थी । आज हमारे देश के आजाद होने पर एक तबका ऐसा आ गया है मैं अनुरोध करूंगा कि जमींदारी तो खत्म हो गयी, लेकिन उसका मुआवजा बाकी है । कुछ तो पा चुके हैं, लेकिन जो बाकी मुआवजा पड़ा हुआ है उसको रोक कर और उनकी जो सीर है उसको भी छीन कर उन शहीदों को यादगार में ले लो जाय । गोंडा में राजादेवीबख्श की यादगार में एक टेक्नीकल विद्यालय खोला जाय जिससे उनका नाम अमर हो जाय । आज उनका एक कोट था जो अयोध्या के राजा ने पड़पर दिया है । कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह प्रस्ताव भी पास हुए, लेकिन उनको दे दिया गया है और अब वह कोट खोदा जा रहा है । मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि बनकसिया कोट की रक्षा की जाय और वहां राजा देवीबख्श की यादगार बनायी जाय । बनकसिया कोट के पास ५२ गांव थे उन गांवों को बरवार जाति के लोगों को राजा देवी बख्श ने बखसीस में दिया था और जब राजा गोंडा से हजरत बेगम महल को लेकर नैपाल गये तो उनके साथ बेखार सरदार भी गये । जब अंग्रेजी राज्य जिले में हुयी तो बरवार के ५२ गांव जब्त कर लिये गये और बरवार जाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट में पाबन्द किया ।

काकोरी केस के जिस वीर सैनिक श्री रामेन्द्र लहड़ी को गोंडे के जेल में फांसी हुई थी, उनका गोंडे में स्मारक बना है, लेकिन वह छोटे चबूतरे के रूप में है । उसे अच्छे पैमाने पर सरकार को बनाना चाहिए । पूज्य गांधी जी ने १९२०–२४ तक आजादी की लड़ाई लड़ी, खिलाफत का आन्दोलन किया और १९३० में नमक का सत्याग्रह आया । गांधी जी ने देश की नब्ज को पकड़ा कि बिना नमक के देश का काम नहीं चल सकता है, इसलिये सत्याग्रह किया । उस जमाने में नमक का भाव क्या था और आज क्या हो गया है ? सरकार को पूज्य गांधी जी के परम पवित्र आन्दोलन का ध्यान रखना चाहिये । आज हम देखते हैं कि नमक का भाव ऊंचा होता जा रहा है और जिस नमक कर के विरोध में सत्याग्रह आरंभ हुआ था, आज वह कर दूना लगाया जा रहा है और आसानी से मिलता नहीं है ।

उस जमाने में विदेशी कपड़े की होलियां जलाई गयी और शराबबन्दी की बात आयी और गांधी जी के सत्याग्रह में सब शामिल हुए, लेकिन आज जब पेंशन की बात आती है तो कहा जाता है कि प्रमाण कहां है ? आज जिस इलाके के एम० एल० ए० हों, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट हों या जो जेल गये साथी हों, अगर उन्हीं से प्रमाण-पत्र ले लिया जाय तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रमाण-पत्र लेने में बड़ी कठिनाई होती है, १५–१५ दिन लगातार दौड़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता है और नाम-मात्र की पेंशन है । जब सरकार ने सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि आजादी के सैनिकों व शहीदों के परिवार को पेंशन देंगे तब उनको उचित पेंशन देनी चाहिये । २० या २५ या ४० रुपये या ७५ रुपया ज्यादा से ज्यादा, यह कोई पेंशन नहीं है । उन सैनिकों के लिए जिनकी आर्थिक हालत खराब है, उचित पेंशन दी जाय जिससे उनको गुजर-बसर हो सके । पेंशन के साथ साथ उनके बच्चों की शिक्षा····

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमान्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री गंगाप्रसाद—श्रीमन्, उनके बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनकी फीस माफ कर दी जाय और जब तक वह शिक्षा ग्रहण करते रहें तब तक उनसे फीस न ली जाय और जिनकी हालत अच्छी न हो उनको वजीफा भी दिया जाय ।

श्रीमन्, जिन शहीदों के परिवारों या विधवाओं को पेंशन नहीं दी जा रही है उनको तुरन्त पेंशन दी जाय ।

एक बात और है । अंग्रेजों ने बहुत से देशभक्तों की जागीरें छीन कर दूसरे नवाब, जमींदार और जागीरदारों को दे दी थी जिनमें मंदिर और मस्जिद भी हैं और ऐसी यादगारें भी हैं जहां पर मेले लगते हैं । सरकार उनको वापस लेकर मंदिरों और मस्जिदों की मरम्मत और रख-रखाव के लिये रुपया मुकर्रर कर दे जिससे उनकी यादगार बनी रहे ।

श्रीमन्, श्री नारायणदास जी ने अपने प्रस्ताव में एक बात छोड़ दी है और वह यह कि जिन राजा व जमींदारों को बख्शीस में जमीनें दी गई थीं वह उनसे वापिस लेकर देशभक्तों के काम में लगा दी जाय तो ज्यादा बेहतर होगा । नारायणदास जी ने अपने प्रस्ताव में यह चीज नहीं रखी लेकिन मैं चाहता हूं कि देशभक्तों को सरकार हर तरह से सहायता दे ताकि उनके परिवारों को उन्नति के रास्ते पर लाया जा सके । और लखनऊ में केसरबाग की सारी इमारत जो वाजिदअली शाह की थी वह लेकर हास्टल बना दिया जाय । जिसमें विद्यार्थी रह कर विद्याध्यान करें ।

एक बात और है । १५ अगस्त और २६ जनवरी को जो जलसे किये जाते हैं उनमें शहीद परिवार के लोगों को सरकार जरूर निमंत्रित करे और उचित स्थान पर उनको सम्मान के साथ बैठाया जाय ताकि वह समझ सकें कि उनके परिवार वालों ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और समाज में भी उनकी इज्जत हो सके ।

[श्री गंगाप्रसाद]

आज श्रीमन्, जिले के अधिकारियों को यह हिदायत होनी चाहिये कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के परिवार वालों को नौकरियों में प्राथमिकता होनी चाहिये जिससे उनकी बेहबूदी हो सके और वे यह समझ सकें कि आजाद होने के बाद हमें भी यह गर्व है कि जब कोई विदेशी आये तो उसका मुकाबला कर सकें ।

## एप्रोप्रियेशन बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना की मांग

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, मैं एक प्वाइन्ट आफ इनफार्मेशन उठाना चाहता हूं, कहिये तो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दूं ?

श्री अध्यक्ष---क्या ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह---जो एप्रोप्रियेशन बिल हम लोगों ने २८ तारीख को पास किया. . . .

श्री अध्यक्ष---मैं उसे बाद में ५ बजने से ५ मिनट पहले, ले लूंगा । इस समय नहीं लिया जा सकता ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---आल राइट ।

## १८५७ के क्रांतिकारियों और देशभक्तों को राजनीतिक पीड़ितों के समान सुविधाएं देने के लिए संकल्प (क्रमागत)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव इतना महत्व का है कि जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा है । इस प्रस्ताव से सब से बड़ी चीज यह मालूम होती है कि हमारी मौजूदा सरकार इस बात का दम भरती है कि अगर किसी के जिम्मे देशभक्ति है, तो इनके जिम्मे है, देशभक्तों का अगर कहीं मजमूआ है तो उनके यहां है, मगर देशभक्तों की तरफ अगर किसी की नजर नहीं उठती है तो इनकी नहीं उठती है। श्रीमन्, जिन पुराने शहीदों ने अपनी संपत्ति तथा जान गवाई, उनकी बात तो छोड़ दीजिये, मौजूदा समय के सब से बड़े शहीद, हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी की बहन बेचारी चरखे पर सूत कातकर अपना जीवन बिताती है और यह हमारी सरकार, चाहे यहां की हो या सेंटर की या और किसी प्रदेश की हो, कांग्रेस की सरकारें यहां तक नहीं कर पाई कि उनको थोड़ा सा भोजन के लिये कुछ देदें । बाद में जब लोगों ने जताया, तो, श्रीमन् मैं आपसे क्या कहूं २० रु० माहवार की पेंशन उनको मुकर्रर की गई है । शर्म आनी चाहिये यह कांग्रेस की सरकार उस महात्मा गांधी की बहन को केवल २० रुपये पेन्शन मुकर्रर करती है जिसके अथक प्रयास से ही हमें स्वतंत्रता मिली और हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक की तरह से बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार करने के काबिल बने ।

श्रीमन्, मैं अपने ही जिले की बात कहता हूं कि मेरे जिले में एक राजा इराहत शाह थे गढ़ मुबारकपुर के, जौनपुर जिले में, जिन्होंने अंग्रेजों की फौजों को मार-मार कर उनका भुर्ता निकाल लिया और उनके दांत खट्टे कर दिये। उनके परिवार को ५०० रुपये पेन्शन की---जो अंग्रेजों के समय में थी---इस सूबे की सरकार ने ६० रुपया कर दिया है । तो क्या यह सरकार कह सकती है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति इसके हृदय में कुछ आस्था है ? बिल्कुल नहीं । झांसी की रानी, तांतिया टोपे, नानाजी, ये तो आपकी ही तरफ के हैं । आप उनके त्याग और तपस्या को हम लोगों से कहीं अधिक अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप तो उसी परिवार

के हैं। मगर उनके वंशजों के साथ इस सरकार का व्यवहार किसी से छिपा नहीं है। अभी लगभग २ साल हुए, एक साहब ने, जो झांसी की रानी के खान्दान के हैं, अपने गुजारे के लिये दरख्वास्त दी जिसका यहां सदन में भी जिक्र आया। मगर इस सरकार के पास वही चपकीदारों वाली २०, ३० या ६० रुपये वाली तनख्वाह सब के लिये है। और जिसने अंग्रेजों के कदम जमाये तांतिया टोपे के मुकाबले में, मैं नाम नहीं लूंगा, आज उस राज्य की महारानी कांग्रेस के टिकट पर एम० पी० मौजूद हैं, जिसकी बदौलत हमारे तांतिया टोपे बहादुर सेनानी की गर्दन उड़ा दी गई। यह है इनका न्याय।

पुरानी बातों से हमारी सरकार को चिढ़ है। ये तो कहते हैं कि पुरानी हर एक चीज बुरी हैं। यहांतक कि खून जो उनके बदन में है, जो अरबों साल पुराना है, उसको भी ये बदल देना चाहते हैं और चाहते हैं उसमें पानी मिलाना।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह वह व्यक्ति हैं जिसके त्याग का मुकाबला, त्याग का जोड़ अगर कोई देखे तो दूसरा नहीं मिलेगा। जिसने अपनी जवानी की जिन्दगी को धूल फांक फांक कर खत्म कर दिया, अपने राज्य को छोड़ कर दर-दर भिखारी बना फिरा, लेकिन उसके लिये सरकार के पास एम० पी० बनाने के लिये एक टिकट भी नहीं है। ऐसे एक वीर के ऊपर इस सरकार के एक इजलास ने २ आना जुरमाना किया। क्या मैं जान सकता हूं कि उस वीर सेनानी के प्रति यही आपकी आस्था का नमूना है?

श्रीमन्, आज भी कई मिसालें मौजूद हैं। आज भी वीर सावरकर एक ऐसा माई का लाल है जो जहाज से कूद कर ५० मील समुद्र में तैरा। उसको वकालत की डिग्री पिछले साल ही वापस हुई है। इतने दिनों तक इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। क्या सावरकर ने समुद्र रुपया कमाने के लिये पार किया था? श्रीमन्, ऐसे आदमियों के प्रति क्या इस सरकार के हृदय में कोई आस्था नहीं?

मैं अपने जिले की मिसाल दे रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे जिले में, सन् ४२ के आन्दोलन में १–२ नहीं, १००–५० नहीं, २००–५०० नहीं, ६ हजार आदमियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा किया था। वे तीन-तीन साल तक घास पर पेड़ों के नीचे पड़े रहे। यह ठीक है कि वे बुजदिली से जेल नहीं गये परन्तु उन्होंने बहादुरी के साथ अंग्रेजों का विरोध किया और ३–३ साल तक जंगलों में पड़े रहे लेकिन आज यह हमारी सरकार उनके लिये इतना तक नहीं कर सकती कि यहां तक मान ले कि वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं। आज भी श्रीमन्, ऐसे ऐसे बहादुर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे नौनिहाल मौजूद हैं जो फांसी के तख्ते को चूम कर लौट आये। जिनकी फांसी की सजा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रपति की तरफ से माफ की गयी लेकिन इस सरकार से इतना भी नहीं हुआ कि उसको एक कागज का पुर्जा भी दे देती कि उन्होंने किसी जमाने में देश के लिये कुछ किया भी है क्योंकि दम यह सरकार यह भरती है कि जितने भी देशभक्त हैं वे सब उसी गिरोह में भरे हुए हैं।

श्रीमन्, मैं अपने यहां की बात कहूंगा। मेरे यहां ऐसे ऐसे कांग्रेसी भी मौजूद हैं और आज वे उच्च–पदस्थ हैं जिन्होंने सन् ४२ के आन्दोलन में इस डर से कि यदि कहीं उनको सत्याग्रह करते हुए या नारा बुलन्द करते हुए गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेजों के जूतों से उनकी नाक तोड़ दी जायगी, थानों के सामने चहलकदमी करते हुए अपने को गिरफ्तार करा दिया। श्रीमन्, उस जमाने में हमारे जौनपुर जिले में देशभक्तों के साथ थोड़े से आदमी ही थे और ज्यादातर लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और उस जमाने में एक नई सजा निकली थी, जिसको 'करेन्ट' कहते थे जिसमें एक आदमी को बिठाकर दो आदमी उसके पैरों को इस तरह से खींचते थे और एक आदमी उसके हाथ पकड़कर आगे की तरफ कर के खींचता था, उसका नतीजा यह होता था कि बीसों आदमियों को नपुंसक बना दिया गया, उनकी जिन्दगी खराब कर दी गई, हजारों नौजवानों को इस तरह की यातनायें दी गई। लेकिन दूसरी तरफ वह लोग थे जो आज उच्चपदस्थ हैं और जो थाने के दरवाजे पर घूमने लगे थे ताकि उनको दरोगा जी

[कुंवर श्री पालसिंह]

गिरफ्तार करके जेल में भेज दें और उनको कोई खाना भुगतना न पड़े। कई व्यक्ति आज सरकार में उच्च पदों पर बने हुए हैं लेकिन वह नौनिहाल और वह माता के लाल जिन्होंने खून से होली खेली थी उनका पुरसांहाल कोई नहीं, कोई सर्टिफिकेट आज उनको नहीं दिया जा सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह सरकार के लिये शर्म और लज्जा की बात है और इससे उनको अपने को बचाना चाहिये। जेलों के अन्दर इन बहादुर नौजवानों के साथ कुछ ऐसे भी बहादुर थे कि जो कम्युनिस्ट बन गये थे, जो कांग्रेस के नाम से डरने लगे वह कम्युनिस्ट बन गये इसलिये कि उस वक्त रूस और अंग्रेजों में एक पैक्ट हो गया था और उस वक्त कम्युनिस्टों ने इस लड़ाई को साम्राज्यवादी लड़ाई घोषित किया था, उसको जनवादी लड़ाई घोषित किया था और उसको सर्वहारा लड़ाई घोषित किया था। फांसी से बचने के लिये इन लोगों ने यह तरकीबें निकाली थीं। वही लोग आज बहादुर बने हैं और आज इस सरकार में उच्चपदस्थ हैं। क्या हक है, आज इस सरकार को यह कहने का कि यह देशभक्तों की सरकार है? कौन सी जगह आज उनके लिये यहां हो सकती है? इस तरह से जो डरे हुए लोग थे, जो भीरु थे उनको उच्चपदस्थ बना कर सोचते हैं कि उनको श्रेय दिया जाय कि यह देशभक्तों की सरकार है।

एक दो बात ही तो कही जाय, यहां तो कुयें में ही भांग पड़ी है, जिसको देखो वह पेन्शन मिल जाती है कि यह राजनैतिक पीड़ित हैं। मुश्किल से ५ प्रतिशत सही लोगों को पेन्शन मिलती हो जिनको कि वाकई में मिलना चाहिये और जिनको जरूरत है। माननीय त्रिपाठी जी ने जैसा कहा मैं अपनी बात कहना तो नहीं चाहता था लेकिन वह छेड़ते हैं तो कहना ही होगा। हालांकि मैं इसे कायरता समझता हूं कि अपने मुंह से अपनी बात कही जाय लेकिन मैं बताता हूं कि सन् ४२ में मैं भी लूटा हूं, हम भी फुके हैं और मुझसे भी सन् ४७ में कलेक्टर ने कहा था कि तुम अपने नुकसान को सरकार से क्यों नहीं मांगते लेकिन हम उस चीज को शर्म की बात समझते थे और हमने जो कुछ भी उस वक्त किया था वह इस देश में पैदा होने के नाते किया था, वह हमारा कर्त्तव्य था, उसके लिये हम कोई कीमत नहीं चाहते। आज भी हमारे जिले में जिन नौजवानों का मैंने जिक्र किया उनमें से ४ हजार ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनको अगर आप आजमाना चाहें तो उनको आप फ्रंट पर भेज कर देख सकते हैं, किसी के मुकाबले में उनको आप भेज दें, उनको आप हथियार न दें वह अपने आप प्रबन्ध कर लेंगे, वह दुश्मनों की आंखें निकाल लेंगे उनकी गर्दनें भी मरोड़ डालेंगे। मुझे गर्व है कि हमारे सिंगरामऊ में ही क्रान्तिकारी कम्प चलता था, ट्रेनिंग होती थी और मैं ही उसको चलाने वाला था, मैं भी उसी का ट्रेन्ड हूं। मैं आज के इन नकली फसली कांग्रेसियों की तरह से नहीं हूं जैसे कि बरसात में मेंढक निकल आते हैं। मैं थाने के सामने घूमने वाले और जेल में कम्युनिस्ट बन जाने वाले कांग्रेसियों में से नहीं हूं। मैं उस वक्त कांग्रेस में था जब जान पर खेलना था। आज तो रुपया कमाना है। हमें यह नहीं चाहिये। हमारे जिले के बहादुरों को रुपया और पेंशन नहीं चाहिये मगर हम इतना जरूर चाहते हैं कि उस लिस्ट में हमारा नाम जरूर हो कि देश के लिये हमने भी कुछ किया था। इतने से ही हमें संतोष हो जायगा। लेकिन यह उन भीरु आदमियों को पैसा देकर वोट खरीदना चाहते हैं, यह उन्हीं को मुबारक हो। इसी हरकत से यह स्वयं चले जायेंगे, आज नहीं तो कल, और सन् ६७ में इन कुर्सियों पर नहीं रहेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का जोकि माननीय पासी जी ने रखा है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैं जब १८५७ के उन शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिये बड़े-बड़े कष्ट सहे, स्मरण करता हूं तो नत-मस्तक हो जाता हूं। वास्तव में इसमें कोई शक नहीं कि हमने जिस आन्दोलन से देश को आजाद किया वह एक भिन्न तरीका था, एक नया तरीका

था, एक नया प्रयोग था। हमारा यह विश्वास है कि अहिंसा का रास्ता अधिक प्रबल और अधिक शक्तिशाली है, परन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि इस आजादी के लिये जो भी प्रयत्न हुए चाहे वह हिंसा से हुए हों या अहिंसा से हुए हों, वह स्तुत्य नहीं हैं।

१८५७ का जो आजादी का युद्ध हुआ उसे इतिहास में कुछ लोगों ने सिपाही विद्रोह का रूप देने का प्रयत्न किया। लेकिन मेरा विचार यह है कि जिन्होंने सारे इतिहास का और सारे घटनाक्रम का अध्ययन किया है वह इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि वह केवल एक फौज का या सिपाहियों का विद्रोह मात्र था और उसके पीछे जनमत नहीं था। श्रीमन्, यह वह समय था जबकि यहां अंग्रेजों की शक्ति करीब-करीब एक अपना रूप ग्रहण कर चुकी थी और यहां उनकी नींवें बहुत गहरी पहुंच चुकी थीं। लेकिन साथ ही कम्पनी का जो शासन था उससे और जिस तरीके से उन्होंने यहां की संस्कृति और विचारों का दमन किया उससे तथा जिस तरह से उन्होंने यहां के लोगों को साधारण नागरिकों के अधिकारों से भी वंचित किया, इन सब चीजों का परिणाम यह हुआ कि जनता में उस राज्य के प्रति एक काफी विरोध की भावना पैदा हो गई थी। उत्साह कितना था, यह इसी से मालूम हो सकता है कि उस समय न तो इतने यातायात के साधन थे, न उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं जबकि सारे देश को एक भावना से ओतप्रोत किया जा सकता था क्योंकि उस वक्त लोग अलहदा थे। १००-१५० साल के इतिहास ने सारे देश को जर्जर कर दिया था और उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी जबकि सारा देश बिखरा हुआ था। देश में अपने विचारों पर खड़े होने की ताकत नहीं रही। लेकिन फिर भी जिस तरीके से स्वतन्त्रता का वह आन्दोलन आग की तरह फैला और उसने हजारों, लाखों आदमियों को प्रेरित किया वह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, उसके पीछे जरूर पापुलर भावना थी जिसने उस आन्दोलन को इतना जाग्रत किया।

हिन्दू और मुसलमानों ने, विशेषकर यहां के मुसलमान शासक और जनता ने किस तरीके से इस कार्य के लिये एकता स्थापित की और उस आन्दोलन को सारे देश में पैदा किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेरा खयाल यह है कि जो उस समय अनेक साधनों की कमी थी, एक दूसरे के समीप आने की कमी थी उसमें अनेक कारणों से वह आन्दोलन सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ समूहों ने उस आजादी के आन्दोलन में देशद्रोही का भाग लिया और उसकी वजह से युद्ध में असफलता हुई। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन वीरों की जब हम याद करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांत्याटोपे और हमारे यहां के अवध के तथा अन्य जो मुसलमान नेता हुये, उन्होंने जिस राष्ट्रीय भावना से उस युद्ध का संचालन किया, मैं समझता हूं वह स्तुत्य है और उसके लिये हम सब के हृदय में आदर की भावना है। यह हो सकता है कि उन्होंने गल्तियां की हों, लेकिन इस के माने यह नहीं हैं कि जो कुछ उन्होंने किया उसके लिये हमारे हृदय में आदर की भावना नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उनके कार्यों से जो प्रेरणा हमको आगे के आन्दोलन में मिली और एक शक्ति प्रदान की उससे हमको आगे लाभ हुये।

जब एक तरफ अहिंसा का आन्दोलन कुछ लोगों ने किया तो दूसरी ओर उस समय देश में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिंसा के मार्ग को अपनाया और उससे देश को आजादी प्राप्त कराने की कोशिश की। लेकिन हम उनके कार्यों को आज भी छोटा नहीं कह सकते हैं। हम समझते हैं त्याग और तपस्या की जो भावना उन्होंने प्रदर्शित की, यद्यपि हम उनके हिंसा के मार्ग को उस समय ठीक नहीं समझते थे, उसके प्रति हमारे दिलों में आदर सदा है। यह प्रश्न है कि उनकी उन सेवाओं को हम किस तरह से राष्ट्रीय रिकग्निशन प्रदान करें, आदर प्रदान करें। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने अब के अहिंसा के आन्दोलन में भाग लिया या जिनके पूर्वजों ने १८५७ के आन्दोलन में भाग लिया उनमें से अनेक स्वाभिमानी ऐसे हैं जो आज भी अपनी उस कुर्बानी का बदला नहीं चाहते क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी उस कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं हो सकता और वास्तव में

[श्री देवकीनन्दन विनय]

मैं भी यही समझता हूं कि जिन लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रख कर अपनी जान और माल की आहुति दी उनका मूल्य राष्ट्र क्या दे सकता है। उसके लिये तो यही है कि आज जो श्रद्धा की भावना हमारे दिलों में है, जो उनके नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे हुये हैं उससे ज्यादा कोई दूसरी चीज हम उनको दे नहीं सकते। यह हो सकता है कि कुछ उनके स्मारक बन जांय और राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि ऐसे वीरों के स्मारक बनाये और ऐसे वीरों को जिन्होंने अहिंसा के आन्दोलनों में भाग लिया हो या जिनके पूर्वजों ने सन् १८५७ के आन्दोलन में भाग लिया हो उनमें से यदि कुछ को वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो उनको वह दी जानी चाहिये। लेकिन यह जानना कि ऐसे लोग कहां हैं, कौन उपयुक्त है, कौन उपयुक्त नहीं है, गलती से कहीं ऐसे लोगों को न मिल जाय जिनको कि नहीं मिलनी चाहिये, ये सब ऐसे काम हैं जोकि सरकार के देखने के हैं। मेरा खयाल है कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिये कुर्बानियां की हैं और जिनको सहायता की आवश्यकता है तो हमारा देश इस लांछन को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी की, वे बाद में भूख से तड़प-तड़प कर मरें। मेरा खयाल है कि हमारा देश और हमारी सरकारें भी उनकी अधिक से अधिक सहायता करने के लिये तैयार हैं और तैयार रहेंगी।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रस्ताव पर बोलने का मुझे सुअवसर प्रदान किया। मान्यवर, इसमें तो दो मत नहीं हो सकते हैं कि सन् १८५७ के शहीदों और क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त किये जांय और उनके परिवारों को प्रत्येक प्रकार की सुविधायें प्रदान की जांय। परन्तु मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह प्रस्ताव कुछ संकुचित भाव से रखा गया है। वास्तव में स्वतन्त्रता-संग्राम तो भारतवर्ष में हजार, ग्यारह सौ वर्ष से चल रहा है। उसका उदाहरण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। स्वतन्त्रता-संग्राम के माने यह हैं कि जब भी बाहर के या अन्दर के लोग हमारी स्वतन्त्रता का अपहरण करना चाहते हों, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करना चाहते हों तो उनके प्रति जितने भी संग्राम हुये हैं वह सब स्वतन्त्रता संग्राम हैं। मान्यवर, यदि गुरु गोविन्दसिंह के दोनों बच्चों को जोकि अपनी इच्छानुसार एक धर्म के अनुयायी रहना चाहते थे, जबर्दस्ती दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की चेष्टा की गई और वह उससे सहमत नहीं हुये तो उन्हें जिन्दा दीवार में चुन दिया गया, तो इस विचार से तथा इस तरह से जो संग्राम हुआ क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं है? इसी तरह से महारानी पद्मिनी बाई को जब एक शासक ने अपहरण करना चाहा और उसके फलस्वरूप एक बहुत जबर्दस्त संग्राम हुआ जिसमें कि १४ हजार क्षत्राणियां जल कर भस्म हो गईं, क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था? क्या वह हमारे श्रद्धा का पात्र नहीं है? इसी तरह से मान्यवर, जब पृथ्वीराज का शासन था और अपने देश के लोगों को जबर्दस्ती बन्दी बनाया गया और वह उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़े क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था? सोमनाथ के मन्दिर में जो लोग पूजा करते थे उनके ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया और इमारत को नष्ट-भ्रष्ट किया, उनका जिन लोगों ने विरोध किया, क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था? मैंने दो-तीन उदाहरण, श्रीमन्, इस सदन के सामने रखे जिससे इस सदन का यह साधारण विचार हो सकता है कि मैं इस प्रकार के मत को मानने वालों के पक्ष का विरोधी हूं परन्तु ऐसी चीज नहीं है। मानसिंह, जयसिंह और जयचन्द आदि ने जिस तरह से इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की चेष्टा की, यहां की ललनाओं के सतीत्व को हरण कराने की चेष्टा की, जो व्यक्ति उनके खिलाफ लड़े क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था? अभी हाल में ही माननीय गणेशशंकर विद्यार्थी की बात को स्वतन्त्रता संग्राम के विषय में कहा जाता है। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने उनका इस विषय में रेफरेंस दिया है, वह या तो उस घटना को जानते नहीं हैं या उसका अनुचित प्रयोग किया है। सन् ३१ में जबकि कानपुर में हिन्दू मुस्लिम दंगा हो रहा था उस समय संयोगवश क्राइस्ट चर्च कालेज

का मैं भी विद्यार्थी था। उस समय स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी विशेषकर उन मुहल्लों में जाकर, जहां हिन्दू बहुमत में थे मुसलमानों की रक्षा किया करते थे, और उन्हीं को बचाने में उनकी मृत्यु हुई। तो जिन लोगों ने उनकी तरह काम किया क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी नहीं थे? इसी तरह डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखुर्जी जिस समय कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर को स्वतन्त्र बनाकर अमेरिकनों के हाथ में सौंपना चाहते थे, जब उन्होंने सत्याग्रह किया और उनके प्राण लिये गये, उन्हें जहर दिया गया तो क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी नहीं थे? क्या कश्मीर को वह अपने लिये लेना चाहते थे? इस तरह की बहुत सी घटनायें हैं। सरदार भगतसिंह ने जब वहां की असेम्बली में बम फेंका था और अंग्रेजों को मारने का प्रयत्न किया था, उनको जेल में डालकर उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया और उनके प्राण लिये गये तो क्या वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी नहीं थे? तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है यह बहुत संकुचित भाव से रखा गया है। स्वतन्त्रता संग्राम बहुत दिनों से चल रहा है और अब भी एक तरह से स्वतन्त्रता संग्राम चल ही रहा है। जो लोग बुरी नीतियों का विरोध करते हैं, वह भी इस तरह से स्वतन्त्रता संग्राम में ही लगे हैं। आप केवल अंग्रेजों के ही राज को परतन्त्रता मानते हैं और उसके पहले का जो राज रहा है या जो शासक यहां रहे, जिन्होंने कि हमारे धर्म को नष्ट-भ्रष्ट किया, जिन्होंने हमारी ललनाओं के सतीत्व का अपहरण किया, जिनकी वजह से अपने यहां स्वयम्बर होना बन्द हो गया क्या वह परतन्त्रता नहीं थी? वह भी परतन्त्रता थी। इसी तरह से मान्यवर, अभी कई उदाहरण हमारे पूर्व वक्ता माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने दिये थे। मैं उनकी पुनरावृति नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो राजनीतिक पीड़ित पेन्शन दी जा रही है इसमें समता नहीं है, इसमें विषमता है। उन्होंने बहुत से उदाहरण रखे। मान्यवर, मैं भी जानता हूं। मेरे जिले के निकट प्रतापगढ़ के एक बड़े जबर्दस्त मुस्लिम लीडर आज कांग्रेस के बहुत बड़े सदस्य हैं। जो आदमी कांग्रेस दल से निकल जाता है वह साम्प्रदायिक हो जाता है और प्रतिक्रियावादी हो जाता है किन्तु जब वही कांग्रेस दल में सम्मिलित हो जाता है तो वह गंगा जल की तरह निर्मल हो जाता है। मेरे यहां २, ३ ताल्लुकेदार हैं। जब वह कांग्रेस में सम्मिलित थे तो बहुत अच्छे थे लेकिन जब वह उनसे अलग हो गये तो उनके अन्दर बहुत से अवगुण आ गये। सब से बड़ा उदाहरण मैं राजगोपालाचार्य का देना चाहता हूं जो हमारे यहां गवर्नर जनरल रह चुके हैं और जिनको एक हजार रुपया पेंशन मिलती है और जिनके विचारों की सदा सराहना की गई। आज जब वह दूसरी पार्टी में आगये अपने स्वतन्त्र विचारों की वजह से और दूसरी पार्टी को ग्रहण कर लिया तो वही बड़े साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी हो गये। इसी तरह से पेंशन के वितरण का भी मामला है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां अमोला शर्मा और कालिका प्रसाद को, जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया, जेल गये, बेदखली सहन की और बड़ी-बड़ी तकलीफें उठाईं, उनकी दरख्वास्त पर उनको केवल २० रुपया पेंशन दी गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जोकि रायबहादुर और खानबहादुर रहे हैं और आज कांग्रेस में आ गये तो उनको कांग्रेस का टिकट दिया जाता है। जब उनको कांग्रेस का टिकट मिल गया तो यहां से एक मन्त्री जाकर उनकी मदद करते हैं। मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा। सन् १९५३ में जब वहां एलेक्शन हो रहा था म्युनिसिपैलिटी का तो उसमें जाकर एक मन्त्री ने मदद की। वह यहां के मन्त्रिमन्डल के एक मन्त्री के रिश्तेदार होते हैं। जब उनको टिकट मिला तो वह कांग्रेस टिकट पर खड़े हुये और यहां के मन्त्री महोदय ने जाकर उनकी मदद की। मदद में यह भी कहा जब कि एक चमार का मामला था कि तुम इनकी मदद करो। कप्तान साहब ने उनके स्थान पर बैठकर कहा कि तुम इनकी मदद करो चेयरमैनी के लिये। हमारे यहां यदि कोई घटना होती है तो उसकी जांच अवश्य होती है। लेकिन दूसरों के मामलों को यह सरकार एक दृष्टि से देखना नहीं चाहती है। इसके लिये मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

[श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल]

डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी की जब कश्मीर में मृत्यु हुई तो उसकी जांच के लिये, जिस पार्टी के वह थे, उस पार्टी का जांच के लिये मांग करना कर्तव्य था ही किन्तु दूसरी पार्टी के लोगों ने, आचार्य कृपलानी जैसे महापुरुष ने कहा, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिये परन्तु आज तक उसकी जांच नहीं हुई और न कोई उसके लिये कमेटी बिठाई गई। अगर सड़क पर कोई आदमी मर जाय तो उसके लिये इन्तजाम किया जाता है। अभी मैं आ रहा था तो बछरावां के पास एक दुर्घटना हो गई जिसमें मोटर से एक साइकिल सवार कुचल कर मर गया था उसके लिये दरोगा दौड़ा हुआ गया और उसके लिये कुछ न कुछ पंचनामा या कोई दूसरी कार्यवाही वह करेगा लेकिन इतने बड़े महापुरुष के लिये, जिन्होंने २८ वर्ष की अवस्था में स्त्री के मर जाने पर दूसरा विवाह नहीं किया और जो आशुतोष मुकर्जी जैसे महापुरुष के लड़के थे, उनकी मृत्यु की जांच सरकार ने नहीं कराई कि किन हालात में, किस दशा में उनकी मृत्यु हुई।

तो इस आदरणीय सदन के सामने मैंने अपने विचार इसलिये रखे हैं कि सरकार उन पर विचार करे। आज दशा यह हो गई है कि जो कुछ काम करने वाले नहीं हैं उनको तो राजनीतिक पेंशन दी जाती है और जो वास्तविक रूप में स्वतन्त्रता के सेनानी हैं और हाथ जोड़कर मन्त्रियों के आगे-पीछे खड़ा होना नहीं चाहते हैं उनके लिये कोई स्थान नहीं है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सन् १८५७ के क्रांतिकारी वीरों के बलिदान के मुआवजे के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस प्रस्ताव पर बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने उस भूमि में जन्म लिया है जिस भूमि में १८५७ का गदर आरम्भ हुआ था। आज मैं आप की अध्यक्षता में और उन महान् पुरुषों के समक्ष अपने विचार प्रकट कर रहा हूं जिन्होंने उस स्वतन्त्रता को लाने के लिये अपने जीवन की आहुति दी है और अपने जीवन को ही खो दिया है और जो इस राजसभा में विराजमान हैं और जिन्होंने देश के हित में कुछ न कुछ किया है। किन्तु इसकी भूमि तैयार करने वाले १८५७ के वीर सेनानी थे जिन्होंने पहले अपने प्राणों की आहुति दी। मेरे दादा अपने और लोगों के बलिदान की कहानी सुनाते थे और उसके बाद शायद १९४२ में ही वैसा साथ आया होगा, उस बीच में तो नहीं आया। देखने की बात श्रीमन्, यह है कि जिन वीरों को इस भूमि ने तैयार किया वे यहीं के थे। इसी भूमि में मंगल पांडेय हुये जिन्होंने पहले-पहल स्वतन्त्रता का बिगुल बजाया था। आज वे पेड़ उन गांवों में मौजूद हैं जहां ४००० आदमियों को लटका कर गोली से उड़ा दिया गया था। इस सदन में भी दो चार सदस्य ऐसे मौजूद हैं जिनको मेरे गांव की हिस्ट्री मालूम है और मेरे खानदान को जो जानते हैं। उस सारे खानदान को गोली से उड़ा दिया गया था, केवल दो चार लोग बचे थे जो कहीं मेहमानी में गये थे। जब मालवीय जी वहां गये थे तो वे कागजात उनको दिखाये गये थे और उन्होंने वायदा किया था कि इन सारी गांवों की जमीन-जायदाद वापस लौटाई जायगी। लेकिन हमने भीख मांगी, गाढ़ूरी की, मुसीबतें उठाईं, अंग्रेजी शासन को हटाने के लिये लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ वापस नहीं मांगा। जुर्माना का जो रकम ३२ में दी थी उसे भी वापस नहीं लिया। मेरे पिताजी ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। कहा कि इसके लिये हमने कुर्बानी नहीं की है, देशसेवा नहीं की है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन वीरों ने....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण परसों जारी रखें। अभी एक व्यवस्था का प्रश्न श्री अवधेशप्रताप सिंह जी उठाना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## एप्रोप्रियेशन बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में सूचना की मांग (क्रमागत)

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यह मेरी जानकारी है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर गवर्नर साहब की असेंट हो चुकी है, लेकिन पूरे प्रदेश में सरकार के जिन कर्मचारियों को साल बसाल एक्सटेंशन दिया जाता है और जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, उनमें से किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये व्यवस्था क्या होगी? कल तो छुट्टी है इसलिये न हम एडजर्नमेन्ट मोशन ला सकते हैं, न कालिंग अटेंशन नोटिस दे सकते हैं और न शार्टनोटिस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब कोई इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो तो क्या हम सदस्यों के पास कोई ऐसा तरीका है कि जिसके आधार पर हम श्रीमान् का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं? इसके लिये क्या व्यवस्था होगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि कम से कम आपके सचिवालय में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनका एक्सटेंशन इयर टु इयर होता हो और जिनको तनख्वाह न मिल पायी हो। कल भी उनको तनख्वाह मिलने की उम्मीद नहीं है। तो यह लोकल बाडीज के नौकर तो नहीं हैं या कोई परिस्थिति विशेष तो नहीं आ गयी है इसलिये उनके पास आज और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वे रस्तोगियों से सूद पर रुपया लें और बाद में उसे अदा करें।

श्री अध्यक्ष—यह जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वेतन आदि का, यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है। आपका जो वैधानिक प्रश्न था और जिसके लिये मैंने आपको इजाजत दी थी वह तो सिर्फ यह था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर गवर्नर महोदय की एसेन्ट आई या नहीं। वह आज आई है। गवर्नर महोदय की एसेन्ट २९ तारीख को मिली थी। बात यह थी कि वे यहां मौजूद नहीं थे, लड़की की शादी में हैदराबाद गये हुए थे। वैसे यह बिल आपने २७ को पास किया यहां से, २८ को विधान परिषद् में पास हुआ, २९ तारीख को उस पर मंजूरी मिल गयी। लेकिन सूचना हमारे पास आज आई है। लेकिन मेरा अन्दाज यह है कि हो सकता है कि पहली तारीख को रुपया न मिल सका हो। मेरे सचिव ने अभी मुझे बताया है कि उनके यहां सब को वेतन मिल रहा है। इस बारे में तो आप सरकार से पूछ सकते हैं, किन्तु जहां तक वैधानिक प्रश्न था वह स्पष्ट हो गया और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर बुधवार, ३ मई, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१ मई, १९६१।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६३ पर)

## चेयरमैन, टाऊन एरिया कमेटी, फतेहाबाद के विरुद्ध लगाये गये आरोप

आपके कार्यालय में कस्बा की रोशनी की दशा बहुत खराब है। रोशनी करने वाला लालटेन जलाया जाता है और उसके पीछे लालटेन गुल हो जाती है इसका कारण आपकी निजी स्वार्थपूर्ति व बदनीयती है।

### प्रमाण स्वरूप :—

आपने माह दिसम्बर, १९५९ में ५३ रुपये ४४ नये पैसे का मिट्टी का तेल खरीदा अर्थात् रोशनी, अमानत में कराई गई तथा साथ ही साथ माह दिसम्बर ५९ में ठेकेदार रोशनी को २२० पया अदा कराए हैं इस तरह से टाऊन एरिया के धन का अपव्यय हुआ।

२—आप श्री गोपीचन्द ठेकेदार रोशनी नगर क्षेत्र के साझीदार हैं, माह दिसम्बर में ठेकेदार ने कोई रोशनी नहीं की है अतः ठेकेदार का भुगतान गलत है।

३—उपरेती इन्जीनियर वर्कस से जो लालटेन खरीदी गई है उसकी अनुमानतः कीमत ८ रुपया है जबकि आपने १३ रुपया ५० नये पैसे प्रति लालटेन के हिसाब से अदा की है।

४—आपने दिनांक १५ जुलाई, १९५९ की पैरवी मुकदमा का खरचा गलत व बदनीयती से लिया है जब कि आप उस दिन पैरवी मुकदमा को नहीं गये अर्थात् आपने झूठा टी० ए० बिल बनाया है और रुपया लिया है।

५—आप २१ जून, १९५९ से २० जुलाई, १९५९ तक छुट्टी पर थे, आपकी अनुपस्थिति में श्री रामस्वरूप, वाइस चेयरमैन ने मुकदमात की पैरवी की है और टी० ए० बिल बनाया है अतः सिद्ध होता है कि आपने फरजी टी० ए० बिल बनाकर नगर-क्षेत्र समिति के धन का गबन किया है।

६—आपने अपने नाजायज फायदे की गरज से जनता पर बहुत से झूठे मुकदमे लगाये। जिनसे कि लगभग १,५०० रुपया डी० ए० व टी० ए० के आप ले चुके हैं, और लगभग ५०० पये के वकीलों की फीस में खर्च किये हैं।

७—आपने निरुद्ध विरुद्ध ५ रुपया बाबत खुराक तथा ८ रु० बाबत खर्चा होटल चार्ज लिया है, यह सर्वथा अनुचित था।

८—आपने अपने चाचा के साले अर्थात् मामा श्री तोताराम जी वकील को नाजायज फायदे की गरज से मुकदमात की पैरवी के लिये नियुक्त किया।

९—आपने फेहरिस्त टैक्स बनाने में पक्षपात से काम लिया है।

१०—आपने साल १९५८-५९ में श्री रामकिशन पर बाबत ठेला नम्बर ६८६ यू० पी० आई० १८० रुपया टैक्स लगाया किन्तु बाद को यह गलत बयानी करके कि उस पर टैक्स पहिले से लगा हुआ है, टैक्स माफ करा दिया कारण कि वह आपके बहनोई हैं

११—आपने उज्रदारी बाबत टैक्स ५८-५९ में भ्रष्टाचार से काम लिया और फैसले उज्रदारी में बिना कारण या किसी नियम टैक्स के लगाने में अनाचार बरता, ७० रुपये के टैक्स को घटाकर ७ रुपया कर दिया और फैसलों में रद्दोबदल की जैसा कि उज्र दारियों के फैसलों से काट-छाट से प्रतीत होता है।

१२—कस्बे में सफाई की दशा शोचनीय है, नालियों में सफाई नहीं की जाती।

१३--आपको स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण आप कर्मचारियों की तनख्वाह २, ३ महीने तक नहीं बांटते हैं ।

१४--आपकी जेब न भर पाने के कारण निम्न कर्मचारियों को इस्तीफा देना पड़ा :

गौरीशंकर, अम्बिका दयाल, सुरेश चन्द्र, मंगलसेन, भूदेव प्रसाद, तेज सिंह व क्यूमखाँ ।

१५--आने साल ५८-५९ की तह बजारी का ठेका फरजी तौर पर आपने अपनी बहन, श्रीमती सरस्वती देवी के मुख्तार आम गनेशीलाल के पुत्र रामेश्वर दयाल के नाम कर दिया और नाजायज तौर पर फायदा उठाया तथा उनसे बकाया रकम अभी तक नहीं वसूल की ।

१६--आपने टाउन एरिया के सदस्य के चाचा श्री नन्दराम को ठेका दे दिया ६०-६१ के पब्लिक निर्माण का ।

१७--टेम्परेरी एडवान्स का हिसाब तुरन्त आप नहीं करते किन्तु आप उसको निजी इस्तेमाल में लाते हैं और बाद को हिसाब देते हैं ।

१८--टाउन एरिया कमेटी के ४ सदस्यों की शिकायत है कि आपने वाइस चेयरमैन के चुनाव को २ वर्ष से अपनी स्वार्थसिद्धि की प्रेरणा से नहीं कराया है ।

१९--आप टाउन एरिया की बैठक में अपनी मनमानी बर्तते हैं और सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं।

२०--आपने नगर क्षेत्र समिति के टैक्स की वसूलयाबी में कोई कदम नहीं उठाया यहांतक कि आपने ही अपना टैक्स अदा नहीं किया है ।

२१--टाउन एरिया के सदस्यों ने भी अभी तक टैक्स अदा नहीं किया है और आपने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के कारण उनसे कर वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की है।

२२--आपने श्री सुरेशचन्द्र भूतपूर्व वक्सी टैक्स को माह, अप्रैल, मई माह का वेतन, नुकसान पहुंचाने की गरज से नहीं दिया और न टी०ए० बिल ही माह, अप्रैल, मई का वेतन के बिल के साथ संलग्न करके भेजा ।

२३--आपने माह फरवरी, माह मार्च के वेतन बिल पर श्री सुरेशचन्द्र भूतपूर्व वक्सी टैक्स के हस्ताक्षर करा लिये परन्तु वेतन नहीं दिया ।

२४--इस प्रकार आप अपने कार्यकाल में अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में असफल रहे एवं आपने अनेक अनियमितायें की हैं ।

अतः मैं पंच बहादुर सिंह हाकिम परगना, फतेहाबाद धारा ४, टाउन एरिया ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा दी गई आज्ञा दिनांक २४ अक्टूबर, १९६० के अनुसार जिलाधीश के अधिकारों का प्रयोग करते हुए टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ७-क (१) के अधीन आपको आदेश देता हूं कि आप इस आदेश की प्राप्ति से १४ दिन की अवधि में उपरोक्त अभियोगों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ।

---

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--डी० एल० ए०--१९६१--८४५ ।